प्रारंभिक शिक्षा का प्रशासन

प्रारंभिक शिक्षा की सर्वव्यापकता के संबंध में
एक अध्ययन

बिहार में प्रारंभिक शिक्षा का प्रशासन

प्रारंभिक शिक्षा की सर्वव्यापकता के संबंध में एक अध्ययन

1979

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान

17-बी श्री अरविन्दो मार्ग, नई दिल्ली-110016

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B,Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No..............................
Date..............................

विषयवस्तु

			पृष्ठ संख्या
	प्राक्कथन		v
	प्रस्तावना		ix
अध्याय 1	परिचय		1
अध्याय 2	अध्ययन के उद्देश्य		5
अध्याय 3	नमूना उपकरण और तकनीकें		8
अध्याय 4	आंकड़ों का विश्लेषण		12
अध्याय 5	अध्ययन के निष्कर्ष		31
अध्याय 6	सिफारिशें		38
सारणियाँ	1.1	6-11 तथा 11-14 वर्ष के आयुवर्ग के बच्चों के नामांकन की प्रगति	2
	1.2	1975 में जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में 6-11 तथा 11-14 वर्ष की आयुवर्गों में जनजातीय बच्चों का नामांकन	2
	1.3	1965 से 1975 तक बीच में पढ़ाई छोड़ जाने वाले बच्चों का प्रतिशत	3
	3 1	नमूने में सम्मिलित जिला, ब्लाक, पंचायत और स्कूल	9
	4.1	नमूना ग्राम पंचायत में 6-11 वर्ष के आयुवर्गों में अनामांकित बच्चे	12
	4.2	नमूना ग्राम पंचायत में 11-14 वर्ष के आयुवर्ष में अनामांकित बच्चे	14
	4.3	नमूना ग्राम पंचायतों में 6-11 वर्ष के आयुवर्ग में अनुसूचित जातियों के अनामांकित बच्चे	15
	4.4	नमूना ग्राम पंचायतों में 11-14 वर्ष के आयुवर्ग में अनुसूचित जातियों के अनामांकित बच्चे	17
	4.5	नमूना ग्राम पंचायतों में 6-11 वर्ष के आयुवर्ग में अनुसूचित जनजातियों के अनामांकित बच्चे	18
	4.6	नमूना ग्राम पंचायतों में 11-14 वर्ष के आयुवर्ग में अनुसुचित जनजातियों के अनामांकित बच्चे	19
	4.7	1978 के रिकार्ड के आधार पर कुछ नमूना स्कूलों में श्रेणी के अनुसार औसत उपस्थिति	21
	4.8	बीच में पढ़ाई छोड़ जाने तक ले जाने वाले अपव्यय और गतिरोध का विश्लेषण	28

परिशिष्ट I	उपयोजना क्षेत्रों में जनजातीय जनसंख्या का जिलानुसार विवरण	42
II	पिछले पाँच वर्षों में वार्षिक अतिरिक्त नामांकन की समीक्षा	42
III	नामांकन के आधार पर जिलों का कोटि-क्रम	43
IV	अध्ययन में प्रयुक्त उपकरण	43
V	(i) नमूना स्कूलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बच्चों की संख्या तथा नामांकन	44
	(ii) सभी समुदायों के संबंध में नमूना ब्लाकों तथा जिलों में सर्वव्यापीकरण में ग्राम पंचायत के अनुसार उपलब्धि	57
VI	1978 के आंकड़ों पर आधारित कक्षा 1 के ऊपर कक्षा 11 तक तथा अन्य उच्च कक्षाओं में उपस्थिति में कमी	60
VII	पिछले पाँच वर्षों में नमूना स्कूलों में उपस्थिति पंजी और उपस्थिति में वृद्धि/कमी	66
VIII	शैक्षिक पैटर्न में संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण प्रारंभिक स्कूलों में बीच में पढ़ाई छोड़ जाने वाले बच्चे	70
IX	चौथे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में पहले से उपलब्ध स्कूली सुविधायें	72
X	छठी मध्यावधि योजना (1978-83) में प्रारंभिक शिक्षा की सर्वव्यापकता	73

इस रिपोर्ट में अभिव्यक्त विचार एक

अनुसंधान दल के हैं, न कि राज्य सरकार के।

प्राक्कथन

26 जनवरी, 1950 को अपनाए गए भारतीय संविधान की धारा 45 के अंतर्गत राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत ने राज्यों को आदेश दिया कि 1960 तक 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा दी जाए। यह अभी भी दूरगामी लक्ष्य है।

पिछले तीन दशकों में प्रारंभिक शिक्षा का आश्चर्यजनक रूप से विस्तार हुआ है। इसका परिणाम यह हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 92.8 प्रतिशत बच्चों को 1 कि०मी० की दूरी और 97.85 प्रतिशत को 2 कि०मी की दूरी के अन्दर ही प्राथमिक स्तर (6-11 आयु वर्ग) की शिक्षा सुविधायें उपलब्ध हो गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 78.83 प्रतिशत बच्चों को 3 कि० मी० की दूरी के भीतर ही माध्यमिक स्तर तक की पढ़ाई की सुविधायें (11-14 आयु-वर्ग) दी गई हैं। प्राथमिक स्तर पर भरती 1950-51 में 191.5 लाख थी जो कि 1977-78 में बढ़कर 701.3 लाख तक हो गई और इसमें 6-11 आयु वर्ग के 80.8 प्रतिशत बच्चे आ गए। इसी प्रकार माध्यमिक स्तर (11-14 आयु वर्ग) पर भरती 1950-51 में 31.2 लाख से बढ़ कर 1977-78 में 174.9 तक पहुंच गई जो उस आयु वर्ग की कुल संख्या का 38.4 प्रतिशत बैठता है। प्रारंभिक शिक्षा पर व्यय (प्रत्यक्ष) 1950-51 में रु० 44.11 करोड़ से बढ़कर 1975-76 में 787.38 करोड़ हो गया।

इन उपलब्धियों के बावजूद राज्यों में ही और राज्यों आपस में ही भरती में भारी विषमता जारी है विशेष रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में। लड़कियों की और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा की स्थिति किसी भी तरह सन्तोषजनक नहीं है। शैक्षिक अवसरों के लाभ उठाने की दिशा में वे सबसे नीचे रखे जाते हैं। चतुर्थ अखिल भारतीय सर्वेक्षण के निष्कर्ष दर्शाते हैं कि प्राथमिक (1-5 कक्षा) और माध्यमिक स्तर (6-8 कक्षा) तक लड़कियों की भरती कुल भरती का 38.74 प्रतिशत और 32.80 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा की स्थिति और भी निराशाजनक है। प्राथमिक स्तर (1-5 कक्षा) तक अनुसूचित जाति के और अनुसूचित जनजाति के बच्चों की भरती का प्रतिशत कुल भरती का क्रमशः केवल 14.62 प्रतिशत और 6.27 प्रतिशत है। माध्यमिक स्तर पर (छठी से आठवीं कक्षाओं तक) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों का प्रतिशत कुल भरती का क्रमशः 10.56 और 3.55 मात्र है।

पर्याप्त साधनों की कमी, लड़कियों की शिक्षा के प्रति माता-पिताओं की उदासीनता, बच्चों का विभिन्न आर्थिक कार्यक्रमों में फँसे रहना, माता-पिताओं की निरक्षरता और जनसंख्या में अभूतपूर्व वृद्धि, अध्यापन-सीखने के तरीकों और परीक्षा-पद्धति की अनुपयुक्तता सर्वव्यापक प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त कर न पाने के प्रमुख कारण हैं। प्राथमिक और माध्यमिक दोनों ही स्तर पर बड़े पैमाने पर पढ़ाई बीच में छोड़ देने वालों और बार-बार कक्षा दोहराने वालों से स्थिति और भी अधिक गंभीर हो गई है।

प्रारंभिक शिक्षा की सर्वव्यापकता की समस्याओं के सभी पक्षों के व्यापक अध्ययन के बाद शिक्षा आयोग (1964-66) ने निम्नलिखित सिफारिशें कीं :

— प्रत्येक बच्चे के घर से सुविधाजनक दूरी पर स्थित हो ऐसे स्कूलों की व्यवस्था करना,

— प्रचार, फुसलाकर और यदि सम्भव हो तो दंड देने की क्रिया द्वारा प्रत्येक बच्चे को निर्धारित उम्र पर स्कूल की पहली कक्षा में भरती करना, और

— भरती किए गए हर बच्चे को तब तक स्कूल में रखना जब तक कि वह निर्धारित आयु का न हो जाए अथवा निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा न कर ले।

इन उपायों की सिफारिश करते समय आयोग को इस तथ्य का मान था कि अवसरों की व्यवस्था करना प्रारंभिक शिक्षा की सर्वव्यापकता की दिशा में केवल एक चरण है और इसे सर्वव्यापक भरती और सर्वव्यापक रोक के संदर्भ में विचारना चाहिए

इसलिए आयोग ने तीनों ही चरणों पर समान बल दिया जैसे कि अवसरों की सर्वव्यापक व्यवस्था, 6-14 आयु वर्ग के बच्चों की सर्वव्यापक भरती और स्कूल में भरती किए गए बच्चों की सर्वव्यापक रोक। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अधिसंख्यक बच्चे प्रारंभिक शिक्षा के बाद नहीं पढ़ेंगे और उनको दी जाने वाली शिक्षा देश के सामाजिक-आर्थिक विकास पर निर्भर करेगी, आयोग ने प्रारंभिक शिक्षा के गुणात्मक पक्ष का विशेषरूप से उल्लेख किया।

देश में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति की जांच करने की गरज से भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने सन् 1977 के दौरान संघ शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक कार्य-समूह नियुक्त किया जिसने दूसरी सिफारिशों के साथ-साथ यह भी सिफारिश की कि सर्वव्यापकता के कार्यक्रम को प्रभावशाली ढग से क्रियान्वित करने के लिए प्रारंभिक शिक्षा के प्रशासन को सुदृढ़ करना चाहिए और उसे सरल तथा कारगर बनाना चाहिए। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए राज्यों में यह विशेष रूप से आवश्यक है। रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल—इन छः राज्यों को शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ पाया गया क्योंकि देश में भरती होने वाले बच्चों का 74 प्रतिशत इन राज्यों में था। समूह ने महसूस किया कि इन राज्यों को जिस समस्या का सामना करना पड़ रहा है वह बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण है तथा उन्हें अपने स्तर पर अत्यंत विशेष प्रयास करने पड़ेंगे जिसमें प्रशासनिक तंत्र को शक्तिशाली बनाना शामिल है। यह प्रशासनिक तंत्र प्रारंभिक शिक्षा के सर्वव्यापकता के कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में जुटा हुआ है।

परिणामस्वरूप इन राज्यों में प्रारंभिक शिक्षा के कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर संरचनाओं, कार्मिकों, नीतियों और पद्धतियों तथा निर्णय लेने की कार्य-विधियों के संदर्भ में प्रशासनिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करना आवश्यक समझा गया। इन अध्ययनों के समन्वय और मार्गदर्शन का दायित्व राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली को सौंपा गया। उस चरण में इस अध्ययन की सीमा में असम राज्य को भी सम्मिलित किया गया। अर्हता प्राप्त (योग्य) परियोजना दलों का गठन किया गया। अपने अपने राज्यों में अध्ययन कराने का दायित्व इन अधिकारियों को सौंपा गया।

राज्यों में वास्तविक कार्य शुरू होने से पूर्व नवम्बर 1978 में राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संस्थान में परियोजना अधिकारियों की दो दिवसीय कार्यगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यगोष्ठी में अध्ययन के उद्देश्य, नमूना, डिजाइन और अध्ययन के पद्धति तंत्र पर विचार किया गया और अंतिम रूप दिया गया। राज्य अनुसंधान दल द्वारा काम में लाए जाने वाले साधनों को भी अंतिम रूप दिया गया।

परियोजना का लक्ष्य निम्नलिखित उद्देश्यों का अध्ययन करना था :—

— राज्यों में प्रारंभिक शिक्षा के सर्वव्यापकता के कार्यक्रमों के संदर्भ में प्रारंभिक शिक्षा के वर्तमान प्रशासनिक तंत्र की पर्याप्तता का अध्ययन करना,

— अध्ययन द्वारा की गई खोजों क आधार पर राज्यों में प्रारंभिक शिक्षा के प्रशासन को मजबूत और सरल एव कारगर बनाने के तरीके और रास्ते बनाना, और

— शिक्षा विभाग का दूसरी विकासात्मक एजेन्सियों के साथ समन्वय के प्रयासों के साधन और मार्ग सुझाना।

यह तय किया गया कि सभी जिलों में स्कूल की भरती के कम होते क्रम में क्रमबद्ध करने के बाद तीसरे और चौथे चतुर्थकों में से प्रत्येक से एक एक यानी कुल दो जिले छांट लिए जाएं। इसके अलावा हर जिले से दो ऐसे ब्लाक छांटे गए जिनमें एक में सबसे अधिक और दूसरे में सबसे कम भरती थी और प्रत्येक ब्लाक से गहन अध्ययन के लिए छः गांव चुने गए। राज्यों की विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए नमूना कार्यविधि में कुछ परिवर्तन की अनुमति दे दी गई। उदाहरण के लिए राजस्थान के अध्ययन में मरूस्थल और आदिवासी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने के लिए दो और जिले चुने गए। दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के विशाल आकार को देखते हुए अध्ययन किए जाने वाले जिलों की संख्या बढ़ाकर चार कर दी गई।

परियोजना दल को सलाह दी गई कि राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान द्वारा तैयार किए गए फार्मेट का का पालन करें ताकि कुछ एकरूपता बनी रहे और निष्कर्षों के अधिक व्यापक उपयोग के लिए तुलना और व्याख्या की जा सके।

मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिमी बंगाल इन तीन जिलों में नवम्बर-दिसम्बर, 1978 में अध्ययन प्रारम्भ किए गए जबकि असम को छोड़ कर अन्य राज्यों में पहली जून,

1979 से अध्ययन शुरू किए। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान ने पत्र-व्यवहार के द्वारा और परियोजना क्षेत्रों में जाकर अध्ययनों की प्रगति की समीक्षा की और उसे मानीटर किया। मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिमी बंगाल की अंतरिम रिपोर्टें पहले पूरी की गईं। 23 अप्रैल, 1979 को संस्थान में हुई बैठक में संबंधित राज्यों के परियोजना अधिकारियों और अन्य विशेषज्ञों ने भाग लिया और रिपोर्टों की जांच की। असम को छोड़ कर अन्य रिपोर्टों पर 3 अगस्त, 1979 को हुई बैठक में विचार हुआ। इसके बाद संघ शिक्षा मंत्रालय के तत्कालीन शिक्षा सचिव श्री पी० सबानायगम की अध्यक्षता में 7-8 फरवरी, 1980 को हुई बैठक में अंतिम रिपोर्टों पर विचार-विमर्श हुआ और उनका अनुमोदन किया गया।

हम संबंधित राज्य सरकारों के आभारी हैं, विशेष रूप से प्रारंभिक शिक्षा के विषय को विभिन्न स्तरों पर देखने वाले अधिकारियों, परियोजना कर्मचारियों, नमूना स्कूलों के अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों, सामुदायिक नेताओं और दूसरों के आभारी हैं जिन्होंने अध्ययन में भाग लिया। यदि इन अध्ययनों में राष्ट्रीय और राज्य दोनों ही स्तरों पर योजनाकारों और नीति निर्धारकों को अध्ययन के लिए चुने गए राज्यों में शैक्षिक प्रशासन को सुदृढ़ करने और उसे सरल एवं कारगर बनाने में सहायता दी तो हम समझेंगे कि हमारे प्रयास पर्याप्त रूप में पुरस्कृत किए गए हैं। हमारा विश्वास है कि इन अध्ययनों के निष्कर्ष और सिफारिशों में दूसरे राज्य की रुचि इस रूप में होगी कि सहयोगी राज्यों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए ये अध्ययन उन्हें अपने कार्यक्रमों को सुधारने में सहायता देंगे।

हम संस्थान के भूतपूर्व निदेशक, प्रोफेसर एम० वी० माथुर के अत्यधिक आभारी हैं जिन्होंने व्यवसायी सहारा दिया और इस अध्ययन में व्यक्तिगत रुचि ली जिसके बिना यह अध्ययन समय पर पूरा नहीं किया जा सकता था।

कार्यकारी निदेशक श्री जे० वीरराघवन ने रिपोर्ट के डिजाइन और फार्मेट से संबंधित सभी मामलों में सलाह दी। आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश राज्यों की तीन रिपोर्टों को इनके समूचे मार्ग निर्देशन में अंतिम रूप दिया गया और निकाला गया। हम उनके प्रयासों की भूरि भूरि प्रशंसा करते हैं।

हम संस्थान के अध्येता डा० सी० एल० सप्रा का भी हार्दिक धन्यवाद करते हैं जिन्होंने परियोजना के मुख्य समन्वयक अधिकारी के रूप में काम किया। मुख्य समन्वय अधिकारी के रूप में उन्होंने अध्ययन के डिजाइन और उपकरण तैयार किए, भाग लेने वाले राज्यों के प्रभारी अधिकारियों का मौके पर मार्गदर्शन किया और अध्ययन की विकास की सभी अवस्थाओं में उसे प्रशिक्षण सहकारी श्रीमती उषा नायर की सुयोग्य सहायता मिली। शिक्षा सचिवों, शिक्षा निदेशकों और संबंधित राज्यों के प्रभारी परियोजना अधिकारियों की बैठकों के सिलसिले में जो कार्य उन्होंने विशेष रूप से किया है वह उल्लेखनीय है।

संस्थान के सह अध्येता डा० के० डी० शर्मा ने अध्ययन की अंतिम पांडुलिपि सम्पादित और तैयार की। हम उनके बहुत आभारी हैं।

मुनीस रज़ा
निदेशक

प्रस्तावना

भारत के संविधान की 45 वीं धारा में यह उल्लेखित है कि 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना सरकार का कर्त्तव्य है। यह अभी तक पूरा न होने वाला स्वप्न है। बिहार राज्य, जो देश के सबसे पिछड़े हुए राज्यों में से एक है, प्रारंभिक शिक्षा के सर्वव्यापकता के लक्ष्य से बहुत दूर है, जिसमें 6-14 वर्ष की आयु के केवल 56.92 प्रतिशत बच्चे ही स्कूलों में नामांकित हैं।

भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रारंभिक शिक्षा की सर्वव्यापकता पर कार्य समूह ने यह सिफारिश की थी कि पिछड़े हुए राज्यों को सर्वव्यापकता के कार्यक्रम को जितने शीघ्र संभव हो सके और अधिमान्य रूप से 1982-83 के अंत तक पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए और किसी भी स्थिति में इसे 10 वर्षों से अधिक बढ़ाया नहीं जाना चाहिए। अंत में कार्य समूह से निम्न नीति को अपनाए जाने का सुझाव दिया :—

6-14 वर्ष की आयु का प्रत्येक बच्चा संभव हो सके तो पूरे समय तक और यदि आवश्यक हो तो अल्पकालिक समय तक नियमित रूप से शिक्षा प्राप्त करता रहेगा।

ऊपर सुझाए इस मुख्य नीति परिवर्तन में यह अपेक्षित है कि राज्यों की शिक्षा की औपचारिक पद्धति तथा साथ ही विविध प्रकारों और जटिलताओं वाली अनौपचारिक शिक्षा को सुदृढ़ करने तथा उसमें सुधार लाने के लिए एक विशाल कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए लाभवंचित बच्चों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों, लड़कियों तथा समाज के कमजोर वर्गों के अन्य बच्चों तक पहुँचने के लिए नई नीतियों वाले इस प्रकार के कार्य के लिए ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक एक सुगठित तथा कुशल प्रशासन की स्थापना की आवश्यकता है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के निर्देशन तथा पर्यवेक्षण में बिहार राज्य में प्रारंभिक शिक्षा के प्रशासन के विशेष अध्ययन का कार्य हाथ में लिया गया।

इस अध्ययन के लिए एक परियोजना अधिकारी, दो अनुसंधान अधिकारी तथा एक निजी सहायक एवं टंकणकर्ता के पद स्वीकृत किए गए। अध्ययन के लिए चार जिले और आठ ब्लाक चुने गए। शिक्षा उपनिदेशक श्री मुकुट नाथ दुबे परियोजना अधिकारी थे। उनकी सहायता के लिए अनुसंधान अधिकारी श्री कलेश्वर सिंह, निजी सहायक श्री संतलाल पासवान नियुक्त किये गये थे। उनके विस्तृत अध्ययन के लिए मैं उनका तथा व्यक्तियों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस अध्ययन में अपना योगदान दिया। श्री दुबे ने आंकड़े एकत्रित करने तथा उन्हें तालिका रूप में, जो इस रिपोर्ट के परिशिष्ट का एक भाग हैं, ब्यौरेवार प्रस्तुत करने में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। मैं श्री एम०एस०पी० वर्मा अवर योजना अधिकारी, शिक्षा विभाग, को रिपोर्ट लिखने तथा उसे उचित आकार देकर प्रस्तुत करने के लिए, हार्दिक सराहना करता हूं।

इस अवसर पर मैं प्रो० एम० वी० माथुर, निदेशक, एन० आई० ई० पी० ए०, नई दिल्ली, प्रो० सी० एस० सपरा, अध्येता, एन० आई० ई० पी० ए०, श्री एस के० श्रीवास्तव, भूतपूर्व शिक्षा आयुक्त का उनके समय-समय पर महत्त्वपूर्ण निर्देशन दिए जाने के लिए अपना हार्दिक धन्यवाद तथा आभार प्रकट करता हूं।

इस रिपोर्ट के तैयार होने में विलंब के लिए मुझे खेद है। मैं आशा करता हूं कि अध्ययन के आधार पर इस रिपोर्ट में दिए गए सुझाव तथा निष्कर्ष बिहार में प्रारंभिक शिक्षा के सर्वव्यापकता के विशाल कार्य का सामना करने के लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के प्रशासनिक तंत्र को सरल और कारगर बनाने में सहयता करेंगे।

21 जून, 1980
पटना

के० एन० अर्धनरेश्वरन
शिक्षा आयुक्त, बिहार

अध्याय 1

परिचय

पृष्ठभूमि

1.01 बिहार देश के अत्यधिक जनसंख्या वाले राज्यों में से एक है। यह राज्य मुख्य रूप से ग्रामीण है। इसकी 90 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामों में रहती है। केवल 10 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में। इसके निवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। यह राज्य औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ है यद्यपि देश की खनिज सम्पति का 41 प्रतिशत, कच्चे कोयले का 87 प्रतिशत, तांबे और काइनाइट का 88 प्रतिशत, अभ्रक का 50 प्रतिशत, लोहे का 25 प्रतिशत इस राज्य की आरक्षित निधि है। पूरे देश की तुलना में इस राज्य की प्रति व्यक्ति आय बहुत निम्न है (1976-77 में इसका अनुमान 699.7 रुपये है जबकि पूरे देश का 1,048.6 रुपए है)। 1971 की गणना के अनुसार, जहाँ तक अनुसूचित जातियों और जन जातियों की जनसंख्या का संबंध है, देश में इस राज्य का तीसरा स्थान है। अनुसूचित जातियाँ, इस राज्य के सभी जिलों में फैली हुई हैं जबकि आदिम जातियों की जनसंख्या का 93 प्रतिशत भाग छोटा नागपुर और संस्थाल परगना में केन्द्रित है।

संविधानिक निर्देश

1.02 भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 में राज्य को 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का दायित्व सौंपा गया है। इस लक्ष्य की पूर्ति संविधान लागू होने के दस वर्ष की अवधि में ही होनी चाहिए थी परन्तु हम अभी भी लक्ष्य से दूर हैं। राष्ट्रीय नीति व्यक्तव्य (1968) में इस निर्देशक सिद्धांत को शीघ्र ही पूरा किये जाने के लिये फिर से कहा गया था और इसके लिये 6-14 वर्ष के आयु वर्ग में नामांकन के विस्तार का सुझाव भी दिया गया था और अपव्यय तथा गतिरोध को कम करने के लिए प्रभावी उपाय भी सुझाए गये थे। इस संबंध में राज्य और शासित क्षेत्रों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में यह निश्चय किया गया :

छठी योजना के अन्त तक प्रारंभिक शिक्षा की सर्वव्यापकता के लक्ष्य को पूरा करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। प्रत्येक राज्य और केन्द्र शासित राज्यों से लड़कियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के विशेष संदर्भ में ब्लाक स्तर योजनाओं पर आधारित प्रारंभिक शिक्षा की सर्वव्यापकता के कार्यान्वियन के लिये योजना तैयार करने के लिये अनुरोध किया जा सकता है।

जनजातीय उप-योजना क्षेत्र

1.03 जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में बिहार राज्य का तीसरा स्थान है। जनजातीय क्षेत्रों का विकास करने लिये जनजातीय-उपयोजना के अन्तर्गत जनजातीय जनसंख्या के सकेन्द्रण वाले क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के मानकों के अनुसार छोटा नागपुर और संथाल परगना के 193 ब्लाकों में से 112 ब्लाक चुने गये जिसके अंतर्गत 49.33 लाख जनजातीय लोग आते हैं (उपयोजना क्षेत्र में जनजातीय जनसंख्या के विषय से अधिक जानने के लिये देखिए परिशिष्ट-I)।

साक्षरता दृश्य

1.04 साक्षरता के संबंध में बिहार का नीचे से तीसरा स्थान है। 1971 की जनगणना के अनुसार अखिल भारतीय साक्षरता दर 30.55 प्रतिशत के विरुद्ध इस राज्य की प्रभावी साक्षरता 19.91 प्रतिशत है। साक्षरता के इस प्रतिशत से राज्य के 587 ब्लाकों में काफी भिन्नताएँ हैं। पाँच जिलों के 27 ब्लाकों में साक्षरता दर 10 से नीचे है और 236 ब्लाकों में यह 10 और 15 के बीच में है।

1.05 उपयोजना क्षेत्र में साक्षरता का स्तर 21.2 है जबकि

पूरे बिहार में 19.9 प्रतिशत हैं। तथापि जिलों के बीच काफी विभिन्नताएँ हैं। पालामऊ और संथाल परगना में साक्षरता दर क्रमश: 13.4 प्रतिशत तथा 14.8 प्रतिशत है जबकि रांची और सिंहभूम जिलों में साक्षरता प्रतिशत क्रमश: 23.2 तथा 25.9 है। पूर्ण राज्य की तुलना में जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में साक्षरता का उच्चतम प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्रों जैसे रांची और जमशेदपुर में साक्षर लोगों के सकेन्द्रण के कारण हैं। उपयोजना के ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता केवल 15.5 प्रतिशत है जबकि पूरे राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 17.1 प्रतिशत है।

नामांकन

1.06 1951 में 6-11 (1-5 कक्षा) वर्ष के आयु वर्ग के 14.65 लाख बच्चे नामांकित थे जो इस आयु वर्ग के कुल नामांकन का 27.9 प्रतिशत था। इसी वर्ष में 11-14 वर्ष के आयु वर्ग के 2.23 लाख बच्चे नामांकित थे जो इस आयु वर्ग के पूरे नामांकन का 7.8 प्रतिशत था। इस संबंध में हुई प्रगति को सारणी 1.1 में दिखाया गया है।

सारणी-1.1

6-11 तथा 11-14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के नामांकन की प्रगति

वर्ष	लिंग	निम्न आयु वर्ग में कुल जनसंख्या के नामांकन का प्रतिशत 6—11 भारत	6—11 बिहार	11—14 भारत	11—14 बिहार
1950-51	लड़के	60.8	47.7	20.8	14.7
	लड़कियाँ	24.9	8.1	4.3	0.9
	कुल	43.1	27.9	12.8	7.8
1973-74	लड़के	105.6	88.1	53.0	40.7
	लड़कियाँ	73.9	34.2	26.4	7.9
	कुल	90.2	62.2	40.2	24.3
1977-78	लड़के	101.0	99.8	51.4	37.5
	लड़कियाँ	68.2	48.4	26.5	10.1
	कुल	84.9	74.8	39.8	24.2

1.07 1950-51 में 6-11 वर्ष की आयु वर्ग में नामांकन 27.9 प्रतिशत से बढ़कर 1977-78 में 74.85 प्रतिशत हो गया और 1950-51 में 11-14 वर्ष की आयु वर्ग में नामांकन 7.8 प्रतिशत से बढ़कर 1977-78 में 24.25 हो गया। सारणी से यह पता चलता है कि प्राथमिक स्कूलों में लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में काफी निरुत्साही है।

1.08 प्राथमिक (कक्षा 1-5) तथा माध्यमिक (कक्षा 6-8) अवस्थाओं में वर्ष 1975 में जनजातीय जनसंख्या के नामांकन की स्थिति नीचे दी गई सारणी में दिखाई गई है :—

सारणी 1.2

1975 में जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में 6-11 तथा 11-14 वर्ष की आयु वर्गों में जनजातीय बच्चों का नामांकन

वर्ष	लिंग	निम्न आयु वर्ग में कुल जनसंख्या के नामांकन का प्रतिशत 6—11 जनजातीय उप-योजना क्षेत्र	6—11 राज्य	11—14 जनजातीय उप-योजना क्षेत्र	11—14 राज्य
1975	लड़के	74.4	88.1	31.4	40.7
	लड़कियां	33.6	34.2	9.2	7.9
	कुल	59.9	62.2	20.5	24.3

1.09 सारणी 1.2 से यह स्पष्ट है कि प्राथमिक के साथ-साथ माध्यमिक कक्षाओं में जनजातीय बच्चों का नामांकन प्रतिशत 1975 में राज्य-नामांकन की तुलना में भिन्न था। यह अन्तर 6-11 वर्ष की आयु वर्ग तथा 11-14 वर्ष के आयु वर्ग में क्रमश: 2.3 प्रतिशत तथा 3.8 प्रतिशत था।

पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वाले विद्यार्थी

1.10 अनुभव से यह पता चलता है कि प्रारंभिक शिक्षा की सर्वव्यापकता में सबसे कठिन कार्य नामांकित बच्चों का स्कूल में बनाए रखना है। पूरे देश में पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वाले विद्यार्थियों की दर कक्षा में 5 में 60 प्रतिशत तथा कक्षा 8 में 75 प्रतिशत होने का अनुमान है। सारणी 1.3 में राज्य में बीच में पढ़ाई छोड़ जाने वाले बच्चों की 1965 से 1975 तक की स्थिति प्रस्तुत की गई है।

सारणी 1.3

1965 से 1975 तक बीच में पढ़ाई छोड़ जाने वाले बच्चों का प्रतिशत

बच्चे	कक्षाएँ						
1	2	3	4	5	6	7	8
लड़कियाँ	43.6	57.6	72.0	77.7	78.6	83.0	91.8
लड़के	44.8	57.8	68.1	72.1	73.6	78.4	83.0
कुल	44.5	57.7	69.1	73.7	75.0	79.6	85.3

1.11 बिहार में 6-11 वर्ष की आयु वर्ग में स्कूल न जाने वाले बच्चे 25 प्रतिशत हैं तथा 11-14 वर्ष के आयु वर्ग के ऐसे बच्चों का प्रतिशत 76 है। बीच में पढ़ाई छोड़ जाने वाले बच्चों की संख्या 1965 से 1975 तक की अवधि में बहुत अधिक है।

1.12 राज्य में 1959 से 1975 तक की अवधि में बीच में पढ़ाई छोड़ जाने वालों के अध्ययन से निम्न बातें पता चलती हैं :—

कक्षा 2 में बीच में पढ़ाई छोड़ जाने वालों की संख्या 39.8 प्रतिशत से 53.7 प्रतिशत है, कक्षा 3 में 50.3 प्रतिशत से 65.6 प्रतिशत है, कक्षा 4 में 61.2 प्रतिशत से 74.4 प्रतिशत हैं, कक्षा 5 में 68.1 प्रतिशत से 78.7 प्रतिशत है, कक्षा 6 में 72 प्रतिशत सें 80.6 प्रतिशत है, कक्षा 7 में 75 प्रतिशत से 82.8 प्रतिशत है, कक्षा 8 में 85.3 प्रतिशत है।

सभी कक्षाओं में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या बीच में पढ़ाई छोड़ जाने वालों में अधिक है।

बिहार में कक्षा 5 और कक्षा 8 में पढ़ाई छोड़ जाने वालों का प्रतिशत क्रमशः 18.7 तथा 12.7 है जो सारे देश की तुलना में अधिक है।

भविष्य लक्ष्य

1.13 1977-78 के अनुमान के अनुसार 6-14 वर्ष की आयु वर्ग के 56.92 प्रतिशत बच्चे (6-11 वर्ष की आयु वर्ग के 74.8 प्रतिशत तथा 11-14 वर्ष के आयु वर्ग के 24.25 प्रतिशत बच्चे) स्कूल में दाखिल थे। मध्यावधि योजना 1978-83 की अवधि में प्रारंभिक शिक्षा के सर्वव्यापकता के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 64.40 लाख बच्चों (19.25 लाख लड़के तथा 45.15 लाख लड़कियों) का नामांकन करना आवश्यक है क्योंकि बच्चों की जनसंख्या 139.07 लाख तक पहुँच जाने की आशा है यह एक विशाल कार्य है। इसलिए यह प्रस्तावित किया गया कि 1978-83 की अवधि के दौरान केवल 27.79 बच्चों, 11.43 लाख लड़के तथा 16.36 लाख लड़कियों को नामांकित किया जाए जिसे प्राप्त कर लेने पर नामांकन का कुल प्रतिशत 73.68 हो जाएगा (89 10 प्रतिशत लड़के तथा 57.23 प्रतिशत लड़कियाँ)। निर्धारित आयु से नीचे के बच्चों को दाखिला देने से नामांकन की संख्या अतिरिक्त 30 लाख हो सकती है। इनमें से 22 लाख अतिरिक्त बच्चे औपचारिक शिक्षा के द्वारा और 3 लाख बच्चों का अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा नामांकित किए जाने का अनुमान है।

भविष्य के नामांकन दर में त्वरण की आवश्यकता

1.14 1973-74 तथा 1977-78 में 6-14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के नामांकन की वार्षिक वृद्धि लगभग 4.72 लाख थी। मध्यावधि योजना 1978-83 के लिए अतिरिक्त 30 लाख का लक्ष्य का अर्थ है कि स्कूलों में 6 लाख बच्चों की वार्षिक वृद्धि। चालू योजना के पहले दो वर्षों में अतिरिक्त नामांकन 9 लाख के लगभग हो जाने की आशा है और 21 लाख की वृद्धि शेष तीन वर्षों में पूरी हो जाने की संभावना है। इसका अर्थ है प्रतिवर्ष औसतन 4 लाख बच्चे नामांकित किए जाएंगे। यह एक कठिन कार्य है और 1983 के अंत में नामांकन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए लगातार प्रयत्न किए जाने चाहिए (ब्यौरे के लिए परिशिष्ट-II देखिए)।

अध्यापक शिक्षा तथा अध्यापकों की नियुक्ति

1.15 वर्तमान समय में 84 प्राथमिक अध्यापक शिक्षा कालिज हैं जिसमें से 27 केवल महिलाओं के लिए और 25 केवल सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए हैं। प्राथमिक अध्यापक शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए आठ अध्यापक प्रशिक्षण कालिज हैं जिनमें केवल एक महिलाओं के लिए है। तथापि शेष सात कालिजों में भी महिलाओं को प्रवेश प्राप्त है। आशा की जाती हैं कि 1980-81 में तीन अतिरिक्त नए अध्यापक प्रशिक्षण कालिजों की स्थापना की जाएगी जिससे कम से कम एक एक अध्यापक प्रशिक्षण कालिज प्रत्येक मंडल में स्थापित हो सके। इसके अतिरिक्त विविध विषय के अध्यापकों के विषय-वस्तु स्तर को उच्चस्तरीय बनाने के लिए 19 अनुवर्ती (पूरक) शिक्षा केन्द्र हैं। इन शिक्षा केन्द्रों की संख्या 31 तक बढ़ाने की आशा है जिससे सभी जिले इसके अंतर्गत आ सकें। राज्य सरकार भी निदेशालय के अध्यापक शिक्षा प्रशिक्षण सैल के द्वारा पत्राचार एवं संपर्क पाठ्यक्रम चला रही है।

1.16 राज्य की विविध शैक्षिक संस्थाओं जैसे राज्य शिक्षा संस्थान, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, इंगलिश संस्थान, व्यावसायिक निदेशन ब्यूरो तथा दृश्य-श्रव्य ब्यूरो के कार्यों का समन्वय करने तथा उनमें संवर्धन के लिए इन संस्थाओं को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एन०सी०ई०आर०टी०) के अंतर्गत रखा गया है।

1.17 एक सुगठित सेवाकालीन कार्यक्रम के द्वारा लगभग दो लाख प्रारम्भिक स्कूल अध्यापकों के नियमित पुनः अभिविन्यास का कार्य बहुत विशाल है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम से कक्षा के प्रशिक्षण में सुधार होगा तथा इससे समुदाय को अधिक अच्छी सहायता प्राप्त होगी, निरन्तर प्रयत्न किए जाने की आवश्यकता है।

1.18 पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में प्रारम्भिक स्कूलों में अध्यापकों की संख्या 1,57,826 थी। 1974-78 की अवधि में 15,740 अध्यापकों की नियुक्ति की गई और नए स्कूलों के राष्ट्रीयकरण के कारण 6,917 अध्यापकों की सेवायें इसके अंतर्गत ले ली गईं। इस प्रकार 1977-78 के अंत तक अध्यापकों की कुल संख्या 1,80,483 हो गई। 1979-80 में 12,000 अतिरिक्त अध्यापक के पद स्वीकृत किए गए।

1.19 जहां तक शैक्षिक प्रशासन का संबंध है, राज्य स्तरीय शैक्षिक प्रशासन के दो भाग सचिवालय और निदेशालय स्तरों पर कार्य कर रहे हैं। यह दोनों भाग एक एकक के रूप में कार्य कर रहे हैं। सचिवालय स्तर पर प्रधान शिक्षा आयुक्त है जो सरकार का मुख्य सचिव है। उसकी सहायता के लिए अनेक विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, उपसचिव तथा अवर सचिव हैं। वर्तमान पुनर्गठन के अनुसार विभाग में प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा, खेलकूद और युवा सेवाओं, पुरातत्व और संग्रहालय तथा प्रशासन प्रत्येक के लिए एक-एक निदेशक की व्यवस्था है। निदेशकों की सहायता के लिए अनेक उप निदेशक तथा सहायक निदेशक हैं।

1.20 क्षेत्र में मंडलीय स्तर पर क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, (आर० डी० डी० ई०) विभाग का मुख्य प्रतिनिधि है। इस कार्य में उसे क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक तथा शारीरिक शिक्षा के अधीक्षक की सहायता प्राप्त है। वर्तमान समय में नौ शिक्षा मंडल हैं। जिला स्तर पर शिक्षा अधिकारी (डी० ई० ओ०) जिले का प्रभारी अधिकारी है, जबकि जिला शिक्षा अधीक्षक (डी० एस० ई०) को प्रारम्भिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य स्टाफ के नियोजन, कार्मिक प्रशासन तथा उनके विकासात्मक कार्य का विशेष दायित्व सौंपा गया है। जिला शिक्षा अधिकारी तथा जिला शिक्षा अधीक्षक के क्षेत्राधिकार राजस्व जिले की सीमा के साथ ही समाप्त होता है। उप जिला स्तर पर उप जिला शिक्षा अधिकारी है जिन्हें शैक्षिक उप-मंडल में नियुक्त किया गया है। तथापि इस बात को सुनिश्चित किया गया है कि प्रत्येक राजस्व उप-मंडल में कम से कम एक उप मंडलीय शिक्षा अधिकारी (एस० डी० ई० ओ०) की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। यद्यपि अपने अपने उप मंडल के वे प्रभारी अधिकारी होते हैं, मुख्यतः वे माध्यमिक शिक्षा के प्रभारी अधिकारी होते हैं। उप-मंडलीय स्तर पर प्रारम्भिक स्कूलों की देखभाल करने के लिए एक स्कूल निरीक्षक भी होता है। ब्लाक स्तर पर ब्लाक विस्तार शिक्षा अधिकारी (बी. ई. ई. ओ. एल.) होते हैं जो प्रारम्भिक स्कूलों का निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण करते हैं और विकासात्मक कार्य करते हैं। मानक के अनुसार प्रत्येक 60 प्रारम्भिक स्कूलों के लिए ऐसा एक अधिकारी होता है। इन अधिकारियों को विभाग द्वारा अपेक्षित सभी सूचनाओं को एकत्रित करने तथा प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया है। लड़कियों की शिक्षा के लिए राज्य स्तर पर एक निरीक्षक, प्रत्येक जिले में एक जिला स्कूल निरीक्षिका और प्रत्येक मुफसिल उप-मंडल में स्कूल उप निरीक्षिका की व्यवस्था की गई है।

निष्कर्ष

1.21 प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वव्यापकता के कार्य में एक सुविचारित नीति की आवश्यकता है। इस दिशा में अत्यधिक आवश्यक कार्य राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा की वर्तमान प्रशासन व्यवस्था को कारगर तथा सुदृढ़ बनाना है। प्रारम्भिक शिक्षा के प्रशासन की अत्यधिक आवश्यकता को देखते हुए वर्तमान प्रारम्भिक शिक्षा के प्रशासनिक तंत्र का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाना चाहिए और इस शिक्षा की आवश्यकताओं तथा अपेक्षाओं के अनुकूल बनाने के लिए विविध विधियों और साधनों को सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है। इसी संदर्भ में सर्वव्यापकता के कार्यक्रम के संबंध में प्रारम्भिक शिक्षा के इस अध्ययन की विशेष महत्ता है।

अध्याय 2

अध्ययन का उद्देश्य

2.1 प्रारंभिक शिक्षा के सर्वव्यापकता में सर्वव्यापक नामांकन, सर्वव्यापक प्रतिधारण, गुणात्मक संवर्धन तथा कार्मिक प्रबन्ध की कुशल पद्धति निहित है। 1978-83 की मध्यावधि योजना में बिहार राज्य के लिए निर्धारित लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की पूर्ण रूप से पूर्ति से संबंधित कार्यों को पूरा करने के लिए सभी स्तरों पर वित्तीय, मानवीय तथा संगठनात्मक संसाधन के उचित उपयोग की अपेक्षा है। प्रारंभिक शिक्षा के सर्वव्यापकता पर कार्य समूह ने शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए राज्यों के शैक्षिक प्रशासन में मुख्य रूपांतरण की परिकल्पना की है। बिहार राज्य में प्रारंभिक शिक्षा के प्रशासन के विस्तृत तथा गहन अध्ययन के आधार पर सुधारे जाने वाले क्षेत्रों तथा स्तरों की पहचान करने के पश्चात ही शैक्षिक प्रशासन को सुदृढ़ तथा कारगर बनाने की आवश्यकता है। वर्तमान अध्ययन में बिहार में प्रारभिक शिक्षा की सर्वव्यापकता की समस्या के प्रशासनिक भाग से निपटने का प्रयत्न किया गया है।

2.2 इस अध्ययन के उद्देश्य इस प्रकार हैं :—

(क) बिहार में प्रारंभिक शिक्षा के सर्वव्यापकता के कार्यक्रम के संबंध में प्रारंभिक शिक्षा की वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था की पर्याप्तता का अध्ययन,

(ख) इस अध्ययन के परिणामों के आधार पर बिहार राज्य में प्रारंभिक शिक्षा के सर्वव्यापकता के कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए प्रारंभिक शिक्षा के प्रशासन को सुदृढ़ तथा कारगर बनाने के तरीके तथा साधनों की जानकारी देना,

(ग) बिहार में शिक्षा विभाग के प्रयत्नों का अन्य विकासात्मक एजेंसियों के कार्यों से समन्वय करने के तरीके तथा साधन का सुझाव देना तथा 1978-83 के मध्यावधि योजना में दृष्टिगत प्रारंभिक शिक्षा की सर्वव्यापकता।

(घ) बिहार में प्रारभिक शिक्षा के प्रशासन के विकेन्द्रीकरण की रूपरेखा का सुझाव देना, जिससे मौके पर ही निर्णय लिया जा सके और इस कार्यक्रम में समुदाय का पूरी तरह से भाग लिया जाना सुनिश्चित हो।

2.3 बिहार में वर्तमान प्रशासनिक संरचना की पर्याप्तता का अध्ययन केवल उसके द्वारा किये जाने वाले कार्यों के संबंध में ही किया जा सकता है। प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वव्यापकता के संबंध में योजना की अवधि में प्रारंभिक शिक्षा के प्रशासन द्वारा विविध स्तरों पर की जाने वाली संक्रियायें इस प्रकार हैं :—

(क) अनामांकित, बीच में पढ़ाई छोड़ जाने वाले तथा स्कूल न जाने वाले बच्चों की पहचान, ऐसे स्थानों की पहचान जहां नए स्कूल अथवा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जा सके, उन बच्चों की पहचान जिन्हें प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है तथा जरूरतमंद बच्चों में प्रोत्साहन के सामयिक वितरण की प्रक्रिया का निर्धारण।

(ख) सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए अध्यापकों की आवश्यकताओं का मूल्यांकन, प्रारंभिक शिक्षा में गुणात्मक संवर्धन के लिए अध्यापकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(ग) स्कूलों में आवश्यक भौतिक सुविधायें देने की व्यवस्था।

(घ) स्कूलों के प्रबंधन और पर्यवेक्षण की व्यवस्था।

(ङ) स्कूलों के लिए समुदाय संसाधनों का उपयोग।

(च) प्रारम्भिक शिक्षा के गुणात्मक संवर्धन के लिए अपनाये जाने वाले उपाय।

(छ) नामांकन तथा अन्य उप कार्यक्रमों की मानिटरिंग और मूल्यांकन की स्व-निर्मित पद्धति की स्थापना।

(ज) ब्लाक से राज्य स्तरों तक शिक्षा प्रशासकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था।

(झ) शिक्षा विभाग का अन्य विकासात्मक एजेंसियों से समन्वय की व्यवस्था।

2.4 ऊपर बताये गये विविध संक्रियात्मक कार्यों को ध्यान में रखते हुए बिहार में विविध स्तरों पर ग्राम, ब्लाक, जिला, मंडलीय तथा राज्य, प्रारम्भिक शिक्षा की वर्तमान पद्धति के अध्ययन का प्रयत्न किया गया है।

बिहार

(मानचित्र)

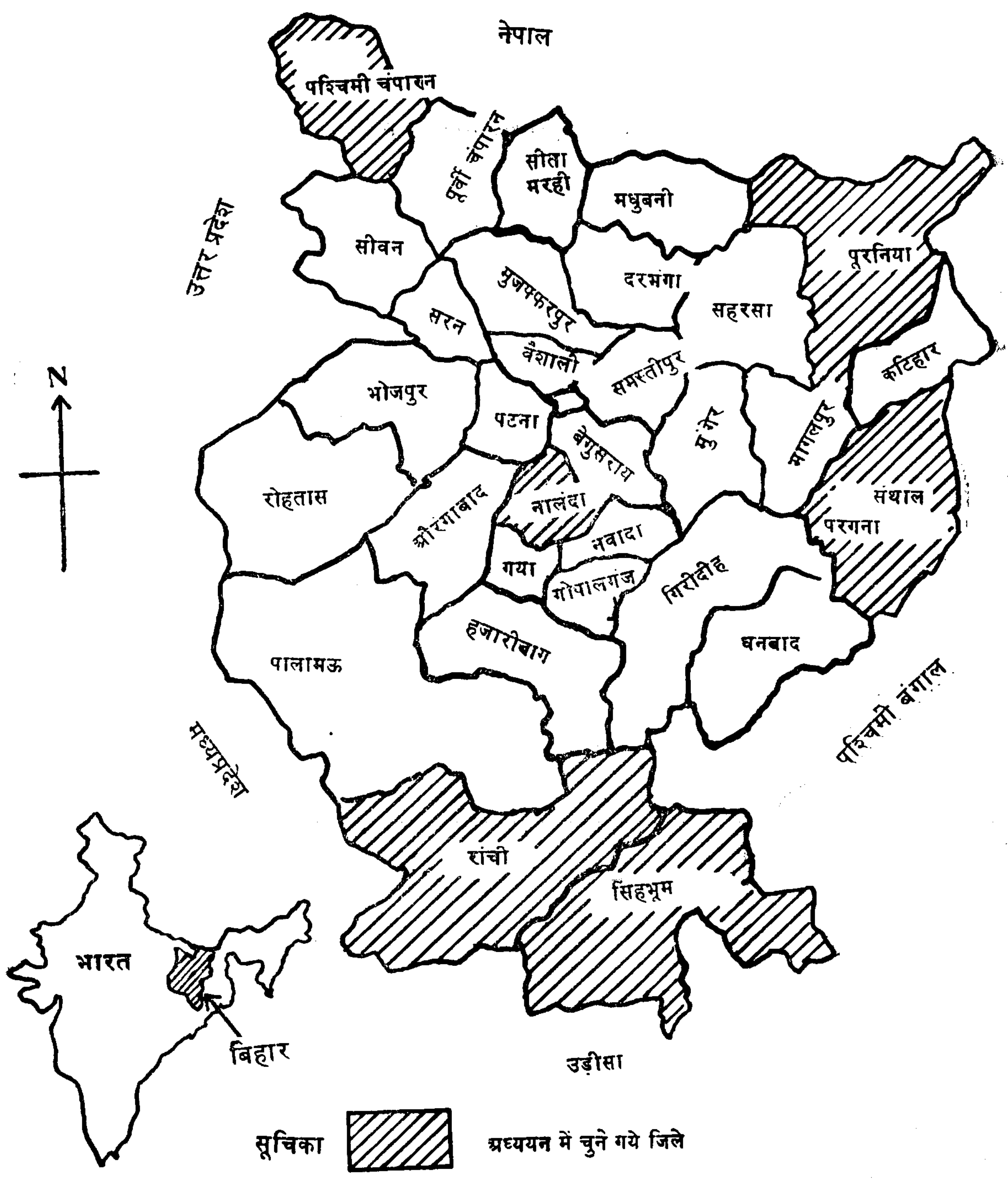
नेपाल
पश्चिमी चंपारन
पूर्वी चंपारन
सीता मरही
मधुबनी
उत्तर प्रदेश
सीवन
पुरनिया
दरभंगा
मुजफ्फरपुर
सरन
सहरसा
वैशाली
समस्तीपुर
कटिहार
N
भोजपुर
पटना
बेगुसराय
मुंगेर
भागलपुर
रोहतास
औरंगाबाद
नालंदा
संथाल परगना
नवादा
गया
गोपालगंज
गिरीडीह
हजारीबाग
धनबाद
पालामऊ
पश्चिमी बंगाल
मध्यप्रदेश
रांची
सिंहभूम
भारत
बिहार
उड़ीसा
सूचिका
अध्ययन में चुने गये जिले

अध्याय 3

नमूना, उपकरण और तकनीकें

3.01 अध्ययन के नमूना, उपकरणों और तकनीकों को राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (एन. आई. ई. पी. ए.) दिल्ली द्वारा बुलाई गई परियोजना अधिकारियों की बैठक में दी गई मार्गदर्शी रूपरेखाओं के आधार पर अंतिम रूप दिया गया।

नमूना

3.02 बिहार राज्य में सात राजस्व मंडल, 31 जिले, 71 उप मंडल तथा 587 ब्लाक हैं। कुछ जिलों जैसे संथाल परगना, रांची, सिहभूम, पूरनिया, मौंघर तथा गया में विशाल क्षेत्र सम्मिलित हैं और उनके पुनर्गठन से यह संख्या 40 तक पहुंच सकती है।

3.03 मार्गदर्शी रूपरेखाओं के अनुसार स्कूल नामांकन के संबंध में 31 कुल जिलों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके तीसरे और चौथे चतुर्थक में से एक-एक जिलों को चुनना था। परन्तु राज्य के विशाल आकार को देखते हुए वस्तुतः चुने हुए जिलों की संख्या छह थी। दूसरे और चौथे चतुर्थक से एक एक और पहले और तीसरे चतुर्थक में से दो दो जिलों को सम्मिलित किया गया (जिलों की क्रमवार व्यवस्था के ब्यौरे के लिए देखें परिशिष्ट III)। कुल मिलाकर नौ ब्लाक चुने गए। पश्चिमी चंपारन का जिला, जो सूची क्रम में सबसे अंत में था, चौथे चतुर्थक में से चुना गया, जबकि दो जिले संथाल परगना और पूरनिया तीसरे चतुर्थक में से चुने गए। रांची और सिहभूम जिले भी यद्यपि पहले चतुर्थक के थे, इस अध्ययन के लिए चुने गए। स्कूल समूह का नया प्रयोग इन तीन जिलों में प्रारम्भ नहीं किया गया सीतामरही, पालमऊ और नालंदा। नालंदा जिला, इस प्रयोग में अग्रगणनीय होने के कारण इस नवीन प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया यद्यपि यह दूसरे चतुर्थक का है।

3.04 रांची, संथाल परगना और पश्चिमी चंपारन इन तीनों जिलों में से दो ब्लाक—प्रारंभिक शिक्षा में एक प्रगतिशील और दूसरा पिछड़ा हुआ चुने गए। ऊपर वर्णित जिलों में शैक्षिक रूप से प्रगतिशील ब्लाक क्रमशः नमकुम, सारथ तथा नौतन हैं, इसी प्रकार मरहू, जाम और गौनहा शिक्षा के विषय में पिछड़े हुए ब्लाक हैं। शेष तीन ब्लाक नालंदा, पूरनिया तथा सिहभूम जिलों में से एक-एक हैं।

3.05 ग्राम पंचायतों को चुनते समय शैक्षिक विकास की दृष्टि से प्रगतिशील, औसत तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली तीन पंचायतों को सम्मिलित करने का प्रयत्न किया गया। ऐसा छह ब्लाकों के संबंध में भी किया जा सकता था जबकि शेष दो ब्लाकों में से छह ग्राम पंचायत अर्थात् प्रत्येक ग्राम में से दो गहन अध्ययन के लिए चुनी गईं। नमूना डिजाइन सारणी-III में वर्णित है।

3.06 अध्ययन के उद्देश्य—चुनी हुई ग्राम पंचायतों में स्थित प्रत्येक प्रारंभिक स्कूल तथा प्रत्येक निवास स्थल को सम्मिलित किया गया। इस प्रकार इस अध्ययन के निष्कर्ष तथा सिफारिशें 6 जिलों, 9 ब्लाकों, 24 ग्राम पंचायतों तथा 127 राजस्व ग्रामों जिसमें 332 निवास स्थान आ जाते हैं, के गहन अध्ययन पर आधारित हैं।

3.07 प्रारम्भिक शिक्षा से संबंधित सभी मुख्य कार्यकर्ताओं जैसे ब्लाक शिक्षा अधिकारी (10) स्कूल उप निरीक्षक (8), स्कूल उप निरीक्षिका (4), जिला स्कूल निरीक्षिका (4), जिला शिक्षा अधीक्षक (8) तथा जिला शिक्षा अधिकारी (6) ने नमूने को तैयार किया।

सारणी 3.1

नमूने में सम्मिलित जिला, ब्लाक, पंचायत और स्कूल

जिला	ब्लाक	पंचायत	जिले की चतुर्थक स्थिति	माध्यमिक स्कूल लड़के	माध्यमिक स्कूल लड़कियां	बहुअध्यापक स्कूल	दो अध्यापक स्कूल	एक अध्यापक स्कूल	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
नालंदा	गिरियक	बेलारी पुरी	दूसरा (स्कूल क्षेत्रीय जिला)	2	—	3	2	2	9
पूरनिया	कृत्या-नंदनगर	बेलरिकाब-गंज	तीसरा (विशेष क्षेत्र)	2	—	4	6	1	13
रांची	मरहू	गतूहाता जालसार मरहू		2	1	3	3	2	11
	नमकुम	कोछमोंग टेकरी तूपूदाना	पहला (जनजातीय क्षेत्र)	1	—	1	7	4	13
संथाल परगना	जामा	जामा लक्ष्मीपुर अपरसेतु	तीसरा (जनजातीय क्षेत्र)	4	—	6	12	5	27
	सारथ	गोपीबंध खैरबानी सबाइजोर		3	—	6	4	—	13
सिंहभूम बंदगांव	बंदगांव	बंदगांव हसादीह औतर	पहला (जनजातीय क्षेत्र)	4	—	1	2	10	17
पश्चिमी चंपारन	गौनहा	बेलवा गौनहा सीमरीधुमरी मारहन	चौथा (निम्नतम प्राप्ति)	2	1	7	3	3	16
	नौतन	शिओराजपुर		1	—	4	1	—	6
				21	2	35	40	27	125

उपकरण और तकनीकें

3.08 प्रारम्भिक शिक्षा के प्रशासन की वर्तमान पद्धति के अध्ययन के लिए अनेक साधनों और तकनीकों का प्रयोग किया गया। इनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

(क) विभिन्न स्तरों पर विविध प्रशासनिक कार्मिकों के कार्य से संबंधित शैक्षिक संहिता प्रशासनिक निर्देशों तथा विभागीय विनियमों का विस्तृत अध्ययन,

(ख) नमूना क्षेत्रों में प्रशासनिक कार्यकर्ताओं के कार्य विवरण से संबंधित आधारभूत दत्त सामग्री का संग्रह,

(ग) प्रशासनिक कार्मिकों की विविध कार्य प्रणालियों का प्रेक्षण, ,

(घ) प्रशासनिक कार्मिकों की विविध श्रेणियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूचना प्राप्त करने हेतु तथा कार्यों को प्रभावपूर्ण ढंग से किए जाने के विषय में उनके सुझाव प्राप्त करने के लिए साक्षात्कार, तथा

(ङ) राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा के प्रशासन को सुदृढ़ तथा कारगर बनाने के आवश्यक उपायों पर चर्चा।

3.09 एन०आई०ई०पी०ए० द्वारा प्रदत्त मार्गदर्शी रूपरेखाओं के आधार पर विविध स्तरो पर संबद्ध दत्त सामग्री एकत्रित करने के लिए अनुसूचियों का विकास किया गया इन उपकरणों का उपयोग 6-11 तथा 11-14 वर्ष की आयु वर्गों में नामांकित, अनामांकित, स्कूल न जाने वाले तथा पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाले बच्चों के विषय में तथा ग्रामीण समितियों, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों, प्रोत्साहनों आदि के विषयों में सूचना प्राप्त करने के लिए किया जाता है । (अनूसूचियों की सूची के लिए परिशिष्ट IV देखिए)।

उपकरणों के प्रयोग की प्रक्रिया

3.10 ग्राम स्तर पर संबंधित ब्लाक विस्तार शिक्षा अधिकारी (बी.ई.ई.ओ.), ब्लाक विकास अधिकारी (बी.डी.ओ.) तथा अधीन कर्मचारी की संयुक्त बैठक के पश्चात ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ। प्रत्येक पंचायत में संभवतः अधिक से अधिक स्कूलों में वीक्षण किये गये । केन्द्रीय स्थित स्थानों पर प्रधानाध्यापकों से समूह परिचर्चा की व्यवस्था की गई । प्रधानाध्यापक के लिए बनाई गई प्रश्नावलियां उन्हें पहले से दे दी गईं और स्कूल समिति के सदस्यों तथा स्थानीय कार्यकर्ताओं के लिए तैयार की गई अनुसूचियाँ परियोजना अधिकारी की उपस्थिति में उन्हें दे दी गईं।

अनुसूचियों में भरी गई सूचनाओं पर मुक्त चर्चा की गई। व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत साक्षात्कारों के अनुरोध को भी स्वीकार किया गया। बच्चों की गणना, नामांकन, उपस्थिति, बीच में पढ़ाई छोड़ जाने, अन्य क्रियाकलाप जैसे स्कूल समितियों की कार्यपद्धति, नियंत्रण अधिकारियों द्वारा निरीक्षण तथा अन्य संबद्ध सूचना और दत्त सामग्री वास्तविक स्कूल रिकार्ड से मिलायी गई। इन आकड़ों पर प्रधानाध्यापक तथा अध्यापकों से चर्चा की गई। लोकहित तथा व्यक्तियों द्वारा दिए जाने वाले सहयोग से संबंधित समस्याओं पर भी विचार किया गया। आवश्यकता पड़ने पर इस सूचना को भी ब्लाक विकास अधिकारियों, ब्लाक विस्तार शिक्षा अधिकारियों द्वारा एकत्रित सूचना से मिलाया गया। इस अध्ययन में स्कूल समितियों के सदस्यों, तत्कालीन तथा पहले से चले आ रहे मुखियों और सरपंचों, विशेष व्यक्तियों और सेवानिवृत अधिकारियों, किसानों, कलाकारों तथा श्रमिकों के विचार भी आमंत्रित किए गए।

ब्लाक स्तर पर ब्लाक और पंचायत समितियों के विषय में सामान्य सूचना से संबंधित प्रश्नावलियां पहले ही ब्लाक विस्तार शिक्षा अधिकारी तथा ब्लाक विकास अधिकारी, स्कूल उपनिरीक्षकों तथा उपनिरीक्षिकाओं के पास भेज दी गई। उनके द्वारा प्रश्नावलियों के भरे जाने के पश्चात् संबंधित अधिकारियों से उनमें दी गई सूचनाओं पर भी चर्चा की गई। ब्लाक विकास अधिकारियों के साथ भी चर्चा की गई जिनमें संबंधित केन्द्रीय अधिकारियों, चिकित्सा अधिकारियों, कल्याण निरीक्षकों, पशुचिकित्सा अधिकारियों, विस्तार पर्यवेक्षकों आदि ने भाग लिया। यह अधिकारी काफी प्रतिक्रियाशील थे। ब्लाक विकास अधिकारियों ने स्कूल संवर्धन कार्यक्रमों के लिए निर्धारित अथवा जमा की गई निधियों के ब्यौरों को भी उपलब्ध करवाया। लड़कियों की शिक्षा तथा उसकी उन्नति के लिए प्रोत्साहन दिए जाने पर भी जिले की शिक्षा निरीक्षिकाओं तथा उपनिरीक्षिकाओं से चर्चा की गई। ब्लाक स्तर पर मंडल प्रमुख से साक्षात्कार किए गए। मरहू ब्लाक (रांची), नौतन (पश्चिमी चम्पारन), बंदगांव (सिंहभूम) तथा सारथ (संथाल परगना) के प्रमुखों ने अध्ययन के उद्देश्यों और तकनीकों में विशेष रुचि ली और अपना सहयोग दिया।

3.12 जिला स्तर पर कार्य करने वालों में ये लोग सम्मिलित थे—जिला शिक्षा अधिकारी (डी.ई.ओ.एस.), जिला शिक्षा अधीक्षक (डी.एस.ई.), जिला शिक्षा निरीक्षिका (डी.आई.एस.),

जिला मजिस्ट्रेटों (डी. एम.) अथवा उप आयुक्त (डी.सी.) तथा जिला विकास अधिकारी (डी. डी ओ.)।

3.13 संबंधित जिले के ब्लाक जिला अधिकारी ने निष्क्रिय जिला बोर्ड का प्रतिनिधित्व किया। रांची तथा संथाल परगना के उप आयुक्तों, पश्चिमी चम्पारन के जिला मजिस्ट्रेट, सिंहभूम और पश्चिमी चंपारन के जिला विकास अधिकारियों ने इस अध्ययन में बहुत रुचि ली और मुक्त रूप से अपने विचार और सलाह दी।

3.14 मंडलीय स्तर पर पांच मंडल यथा छोटा नागपुर, भागलपुर, तिरहुट, कोशी और पटना इस नमूने में सम्मिलित किए गए। इस स्तर के अधिकारियों से भी चर्चा की गई।

3.15 राज्य स्तर पर योजना सैल, सांख्यिकी अनुभाग तथा चौथे शैक्षिक सर्वेक्षण एकक सहित निदेशालय के अधिकारियों से चर्चा की गई।

अध्याय 4

आँकड़ों का विश्लेषण

4.01 24 नमूना ग्राम पंचायतों, 9 ब्लाकों तथा 6 जिलों में से प्रारम्भिक शिक्षा के प्रशासन से संबंधित आँकड़े प्राप्त किए गए हैं जिनका विश्लेषण नीचे दिया गया है।

बच्चों की जनगणना

4.02 नमूना ग्राम पंचायत के 6-11 और 11-14 वर्ष के आयु वर्गों के बच्चों की जनगणना पूरी नहीं है। यह पता चला कि चौथे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के समय एकत्रित की गई सूचना का प्रयोग नामांकन को बढ़ाने की नीति की योजना बनाते समय बिल्कुल नहीं किया गया। तथापि ब्लाक विस्तार शिक्षा अधिकारियों ने नमूना ग्रामों की पूरी जनगणना की और साथ ही अध्ययन के लिए यह सूचना संकलित की।

नामांकन

4.03 24 ग्राम पंचायतों में 6-11 तथा 11-14 वर्ष के आयु वर्गों के लड़के और लड़कियों—के नामांकन का अध्ययन अलग अलग किया गया। इसी प्रकार अनुसूचित जातियों और जन-जातियों के आँकड़े भी एकत्रित किए गए। अनामांकित बच्चों की स्थिति सारणी 4.1 से 4.6 में दिखाई गई है। (विस्तृत आँकड़ों के लिए देखिए परिशिष्ट V)।

सारणी 4.1

नमूना ग्राम पंचायतों में 6-11 वर्ष के आयु वर्ग में अनामांकित बच्चे

जिला (ब्लाक) ग्राम पंचायत	अनुमानित जनसंख्या			अनामांकितों की जनसंख्या			अनामांकितों का प्रतिशत		
	लड़के	लड़कियाँ	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियाँ	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
नालंदा (गिरिक)									
बेलारी	544	393	937	216	260	476	40	66	51
पुरी	430	328	758	105	168	273	25	51	36
पूरनिया (कृत्यानंदनगर)									
बेला रिकाबगंज	485	332	817	108	178	281	22	52	34
कजाह	597	378	975	172	201	273	29	56	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
रांची (मरहू)									
गुटुहाटू	167	138	305	108	112	220	65	81	72
जालसार	84	67	151	44	50	94	52	75	62
मरहू	382	518	900	88	185	273	23	36	30
रांची (नमकूम)									
कोछबोंग	64	43	107	33	25	56	48	58	52
तेकरी	199	134	383	108	137	245	54	75	64
तुपुदाना	463	302	765	205	202	407	44	64	53
संथाल परगना (जामा)									
जामा	687	512	1,119	174	271	445	26	53	22
लक्ष्मीपुर	560	371	931	127	232	359	23	63	39
अपरसेतु	312	205	517	54	140	194	17	68	28
संथाल परगना (सारथ)									
गोपीबंध	385	251	636	56	158	214	15	63	34
खेरबानी	427	314	741	57	196	253	13	62	34
सबाइजोर	226	146	372	31	84	115	14	58	21
सिंहभूम (बंदगांव)									
बंदगांव	217	176	393	115	136	251	53	79	64
ईसादीह	158	167	325	58	140	198	37	84	61
ओतार	216	146	362	[illegible]	113	183	34	77	51
पश्चिमी बंगाल (गौनाह)									
बेलवा	488	371	859	142	220	362	29	59	42
गौनहा	465	253	748	219	230	449	47	[illegible]	60
सिमरीकुमरी	171	164	335	61	120	181	34	[illegible]	54
पश्चिमी चंपारन (नौतन)									
मारहून	257	151	409	162	131	293	63	67	[illegible]
मिश्रोराजपुर	688	479	1,167	373	385	758	54	81	65

सारणी 4.2

नमूना ग्राम पंचायत में 11-14 वर्ष के आयु वर्ग के अनामांकित बच्चे

जिला (ब्लाक) ग्राम पंचायत	अनुमानित जनसंख्या			अनामांकितों की जनसंख्या			अनामांकितों का प्रतिशत		
	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
नालन्दा (गिरिएक)									
बेलारी	276	198	474	179	176	355	65	89	75
पुरी	232	161	393	104	128	232	45	80	51
पूरनिया (कृत्यानंदनगर)									
बेलारिकाबगंज	201	78	279	173	73	246	86	94	82
कजाह	246	124	370	142	84	226	58	68	61
रांची (मरहू)									
गोदुहादु	90	73	163	90	73	163	100	100	100
जालसार	37	40	77	37	40	77	100	100	100
मरहू	163	206	369	85	122	207	52	59	56
रांची (नमकुम)									
कोछबोंग	—	—	—	—	—	—	—	—	—
तेकरी	73	81	154	41	53	94	56	65	61
तुपुदाना	28	15	43	16	10	26	57	67	61
संथाल परगना (जामा)									
जामा	234	161	395	144	125	269	62	78	68
लक्ष्मीपुर	170	130	300	93	106	199	55	82	66
अपरसेतु	66	37	103	26	33	59	39	89	69
संथाल परगना (सारथ)									
गोपीबंध	179	117	296	—	—	—	—	—	—
खेरबानी	121	73	194	92	55	147	76	75	76
सबाइजोर	27	18	45	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
सिहभुम (बंदगांव)									
बंदगांव	144	90	234	67	71	138	47	79	59
हैमादीह	121	69	190	56	64	120	46	93	63
ग्रोतार	95	53	148	42	37	79	44	30	47
पश्चिमी चंपारन (गौनाहा)									
बेलवा	218	193	411	158	161	319	23	83	78
गौनाहा	207	89	296	136	72	208	66	81	68
सिमरीधपमरी	154	115	269	106	86	192	69	75	71
पश्चिमी चंपारन (नौतन)									
मारुहन	91	31	122	39	24	63	43	77	52
शिग्रोराजपुर	285	111	396	251	105	356	88	95	87

सारणी 4 3

नमूना ग्राम पंचायतों में 6-11 वर्ष की ग्रायु वर्ग में ग्रनूसूचित जातियों के ग्रनामांकित बच्चे

जिला (ब्लाक)	ग्रनुमानित जनसंख्या			नामांकितों की संख्या			ग्रनामांकितों का प्रतिशत		
ग्राम पंचायत	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
नालंदा (गिरिएक)									
बेलारी	150	97	247	94	87	181	63	90	83
पुरी	160	132	292	116	120	236	73	91	81
पूरनिया (कृत्यानंदनगर)									
बेलारिकाबगंज	121	58	179	117	53	120	55	91	77
कजाह	173	112	285	48	51	99	28	46	55
रांची (मरहू)									
गोट्टहाटु	15	19	34	12	13	25	80	68	74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
जालमार	7	12	19	2	9	11	29	75	58
मग्हू	26	16	42	15	11	26	58	69	62
रांची (नमकुम)									
कोछबोंग	3	1	4	3	1	4	100	100	100
तेकरी	45	33	78	32	26	58	71	79	74
तुपुदाना	56	49	105	28	35	63	50	62	60
संथाल परगना (जामा)									
जामा	12	13	25	3	11	14	25	85	56
लक्ष्मीपुर	46	24	70	28	14	42	61	58	60
अपरसेतु	7	4	11	—	—	—	—	—	—
संथाल परगना (सारथ)									
गोपीबंध	29	24	53	24	21	45	83	88	85
खेरबानी	21	25	46	7	21	28	34	84	61
सबाइजोर	47	35	82	29	33	62	62	94	76
सिंहभूम (बंदगांव)									
बंदगांव	22	16	38	10	6	16	46	38	42
हैसादीह	2	—	2	—	—	—	100	100	100
ओतार	1	—	1	—	—	—	100	100	100
पश्चिमी चंपारन (गौनाह)									
बेलवा	119	85	204	38	37	75	32	44	37
गौनहा	130	91	221	45	73	118	35	80	53
सिमरीधुमरी	63	35	98	46	34	80	73	97	82
पश्चिमी चंपारन (नौतन)									
मरुहन	83	55	138	38	44	82	45	80	59
शिओराजपुर	129	94	223	74	69	143	57	73	64

नोट : जिले रेखांकित हैं तथा ब्लाक ब्रैकिट में दिए गए हैं।

सारणी 4.4

नमूना ग्राम पंचायतों में 11-14 वर्ष के आयु वर्ग के अनुसूचित जातियों के अनामांकित बच्चे

जिला (ब्लाक)	अनुमानित जनसंख्या			अनामांकितों की संख्या			अनामांकितों का प्रतिशत		
	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
नालंदा (गिरिएक)									
बेलारी	47	31	78	37	30	67	79	97	86
पुरी	62	46	108	56	46	102	90	100	95
पूरनिया (कृत्यानंदनगर)									
बेलारिकाबगंज	10	3	13	10	3	13	100	100	100
कजाह	56	30	86	27	20	47	48	67	55
रांची (मरहू)									
गोदुहाटु	—	—	—	—	—	—	—	—	—
जालसार	—	—	—	—	—	—	—	—	—
मरहू	—	—	—	—	—	—	—	—	—
रांची (नमकुम)									
कोछबोंग	—	—	—	—	—	—	—	—	—
टेकरी	30	17	47	13	15	28	43	88	68
तुपुदाना	9	8	17	9	8	17	100	100	100
संथाल परगना (जामा)									
जामा	3	—	3	3	—	3	100	100	100
लक्ष्मीपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
अपरसेतु	—	—	—	—	—	—	—	—	—
संथाल परगना (सारथ)									
गोपीबंध	7	2	9	6	—	6	86	—	67
खेरबानी	7	5	12	1	5	6	14	100	50
सबाइजोर	5	3	8	5	3	8	100	100	100
सिंहभूम (बंदगांव)									
बंदगांव	8	2	10	8	2	10	100	100	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
हैसादीह	1	—	1	1	—	1	100	—	100
औतर	1	1	2	1	1	2	100	100	100
पश्चिमी चंपारन (गौनाहा)									
बेलवा	33	25	58	19	18	37	58	72	63
गोनहा	29	18	47	18	17	35	62	95	75
सिमरीघुमरी	18	11	29	18	11	29	100	100	100
पश्चिमी चंपारन (नौतन)									
मरुहन	19	8	27	11	4	15	58	50	56
शिश्रोराजपुर	15	7	22	10	7	17	63	100	77

सारणी 4.5

नमूना ग्राम पंचायतों में 6-11 वर्ष के आयु वर्ग में अनुसूचित जनजातियों के अनामांकित बच्चे

जिला (ब्लाक) ग्राम पंचायत	अनुमानित जनसंख्या			अनामांकितों की संख्या			अनामांकितों का प्रतिशत		
	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
नालंदा (गिरिएक)									
बेलारी	—	—	—	—	—	—	—	—	—
पुरी	—	—	—	—	—	—	—	—	—
पूरनिया (कृत्यानंदनगर)									
बेलारिकाबगंज	178	177	295	113	101	214	63	86	73
कजाह	44	24	68	24	23	47	55	96	69
रांची (मरहू)									
गुटुहाटु	323	404	727	144	171	315	45	42	43
जालसार	77	55	132	42	41	83	55	75	63
मरहू	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
रांची (नमकुम)									
कोछबोंग	61	42	103	31	25	56	51	60	54
टेकरी	154	151	305	87	119	206	57	79	68
तुपुदाना	278	160	438	134	99	233	48	62	51
संथाल परगना (सारथ)									
गोपीबंध	161	109	270	62	64	126	39	59	41
खेरबानी	196	132	328	71	87	158	36	66	48
सबाइजोर	42	25	67	18	23	41	43	92	61
सिंहभूम (बंदगांव)									
बंदगांव	195	160	355	105	130	235	51	81	66
हैसादीह	156	167	323	58	140	198	37	84	61
ओतर	147	109	256	75	87	162	51	80	63
पश्चिमी चंपारन (गौनाह)									
बेलवा	—	—	—	—	—	—	—	—	—
गोनाह	81	50	131	35	42	77	43	84	59
सिमरीघुमरी	63	55	118	20	31	51	32	56	43
पश्चिमी चंपारन (नौतन)									
मरुहन	—	—	—	—	—	—	—	—	—
शिओराजपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	—

सारणी 4.6

नमूना ग्राम पंचायत में 11-14 वर्ष के आयु वर्ग के अनुसूचित जनजातियों के अनामांकित बच्चे

जिला ब्लाक ग्राम पंचायत	अनुमानित जनसंख्या			अनामांकितों की संख्या			अनामांकितों का प्रतिशत		
	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियाँ	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
नालंदा (गिरिएक)									
बेलारी	—	—	—	—	—	—	—	—	—
पुरी	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पूरनिया (कृत्यानंदनगर)									
बेलारिकाबगंज	37	11	48	26	11	37	70	100	77
कजाह	11	9	20	3	9	12	27	100	60
रांची (मरहू)									
गोटुहाटु	153	159	312	110	120	230	72	77	75
जालसार	37	40	77	37	40	79	100	100	100
मरहू	—	—	—	—	—	—	—	—	—
रांची (नमकुम)									
कोछबोंग	—	—	—	—	—	—	—	—	—
तेकरी	43	64	107	11	36	47	26	50	44
तुपुदाना	—	—	—	—	—	—	—	—	—
संथाल परगना (जामा)									
जामा	135	91	226	85	69	154	63	76	68
लक्ष्मीपुर	73	41	114	59	40	99	81	98	90
अपरसेतु	37	14	51	35	14	49	95	100	96
संथाल परगना (सारनाथ)									
गोपीबंध	55	36	91	55	36	91	100	100	100
खेरवानी	28	10	38	19	10	29	61	100	76
सबाइजोर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
सिंहभूम (बंदगांव)									
बंदगाँव	136	88	224	82	78	160	60	89	72
हैसादीह	120	69	189	56	64	120	47	93	64
औतर	64	36	100	38	26	64	59	72	64
पश्चिमी चंपारन (गौनाह)									
बेलवा	—	—	—	—	—	—	—	—	—
गौनाह	49	17	56	33	17	50	85	100	89
सिमरीधुमरी	31	24	55	14	14	28	45	58	51
पश्चिमी चंपारन (नौतन)									
मरुहन	—	—	—	—	—	—	—	—	—
शिम्रोराजपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	—

नोट:—जिले रेखांकित हैं तथा ब्लाक ब्रैकिट में दिए गए हैं।

सारणी 4.7

1978 के रिकार्ड के आधार पर कुछ नमूना स्कूलों में श्रेणी के अनुसार उपस्थिति

जिला ब्लाक पंचायत	स्कूल	श्रेणी-1						श्रेणी-2						श्रेणी-3					
		औसत उपस्थिति औसत रोल			उपस्थिति का प्रतिशत			औसत उपस्थिति औसत रोल			उपस्थिति का प्रतिशत			औसत उपस्थिति औसत रोल			उपस्थिति का प्रतिशत		
		लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियाँ	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियाँ	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
(क) माध्यमिक स्कूल																			
नालंदा (गिरिएक)																			
बेलारी	माध्यमिक स्कूल गंगापुर पलटपुर	38/40	12/12	50/52	95	100	97	32/34	15/16	47/50	94	93	94	35/39	14/15	49/54	89	93	92
पूरनिया (कृत्यानंदनगर)																			
	माध्यमिक स्कूल अमचूरा	95/98	21/24	118/122	96	95	97	33/39	6/8	29/47	84	75	83	25/52	0/2	25/54	48	0	46
राँची (मरहू)																			
	माध्यमिक स्कूल	26/45	13/20	39/65	58	65	60	11/17	7/10	20/27	76	79	74	11/22	2/4	13/26	50	50	50
	सेंट जोन्स माध्यमिक स्कूल, मरहू	23/43	—	23/43	76	—	76	36/42	—	36/42	86	—	85	36/40	—	36/40	90	—	90
संथाल परगना (जामा)																			
जामा	माध्यमिक स्कूल जामा	7/27	1/8	8/35	25	12	23	3/7	2/2	5/9	42	100	56	7/16	—	7/16	44	—	44
लक्ष्मीपुर	माध्यमिक स्कूल बंधीगोपा	27/53	85/20	43/73	58	75	58	27/32	6/9	33/41	84	66	80	24/33	5/6	29/39	72	83	79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	माध्यमिक स्कूल लक्ष्मीपुर	21/11	10/16	31/47	67	62	66	6/10	2/3	8/13	60	66	62	8/12	2/4	10/16	66	50	63
	माध्यमिक स्कूल पचरुखी	14/51	1/22	15/73	27	4	21	8/34	1/2	9/36	23	50	25	7/9	1/1	8/10	77	100	80
सिंहभूम (बंदगांव)																			
	माध्यमिक स्कूल बंदगाँव	14/72	5/11	19/43	43	45	44	7/14	3/3	10/17	50	100	59	9/16	2/3	11/19	56	66	58
पश्चिमी चंपारन (गौनहा)																			
गौनहा	माध्यमिक स्कूल गौनहा	34/42	13/14	37/56	80	92	65	14/21	7/11	21/32	66	63	66	13/17	3/4	16/21	76	75	76
	माध्यमिक स्कूल (लड़कियां) गौनहा	15/22	6/14	21/36	68	42	58	5/10	1/2	6/12	50	50	50	6/8	0/3	6/11	75	0	56
सिमरीधुमरी	माध्यमिक स्कूल सिमरीधुमरी	27/36	7/9	34/45	75	77	76	14/18	4/4	18/22	77	100	82	10/12	1/1	11 13	83	100	85
(ख) बहुअध्यापक प्राथमिक स्कूल																			
नालंदा (गिरिएक)																			
पुरी	प्राथमिक स्कूल, पुरी	26/26	15/16	41/42	100	94	98	14/17	8/10	22/27	82	80	81	14/16	7/11	21/29	78	63	73
	प्राथमिक स्कूल, पोखरपुर	24/28	19/20	43/48	85	95	90	23/26	12/13	35/39	88	92	90	18/23	8/4	26/32	78	88	81
	प्राथमिक स्कूल, कमलबीघा	42/44	18/20	60/64	95	90	94	16/18	13/14	29/32	38	92	91	18/20	8/10	26/30	90	80	87
पूरनिया (कृत्यानंदनगर)																			
कजाह	प्राथमिक स्कूल, कजाहकोठी	28/46	17/28	45/74	61	60	61	6/6	5/5	11/11	100	100	100	8/8	3/3	11/11	100	100	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
बेलारिकाबगंज	प्राथमिक स्कूल, बाघमरी	9/17	5/9	14/26	52	55	54	10/14	2/8	12/22	71	25	55	6/6	3/3	9/9	100	100	100
	प्राथमिक स्कूल, बेलारिकाबगंज	25/82	27/27	32/109	30	26	29	13/20	4/9	17/29	65	44	59	10/16	4/5	14/21	62	80	66
रांची (मरहू)																			
मरहू	प्राथमिक स्कूल, शोमरबाजार	4/6	12/5	16/21	66	80	77	6/10	3/4	9/14	60	75	64	3/4	5/6	8/10	75	83	80
	प्राथमिक स्कूल, दुदरी	13/20	9/12	22/32	65	75	69	5/5	6/6	11/11	100	100	100	3/4	—	3/4	75	—	75
संथाल परगना (जामा)																			
जामा	प्राथमिक स्कूल, सिंदला	14/28	11/23	25/51	50	48	49	10/19	5/10	15/29	52	50	52	13/24	3/6	16/30	54	50	53
अपरसेतु	प्राथमिक स्कूल, अपरसेतु	13/24	3/8	16/32	54	37	58	6/12	2/6	8/18	50	33	44	6/11	2/5	8/16	54	40	50
लक्ष्मीपुर	प्राथमिक स्कूल, अगिया	14/19	4/11	18/30	75	36	60	8/16	11/2	9/18	50	50	50	4/7	1/2	5/9	57	50	56
	प्राथमिक स्कूल, काद	20/37	9/11	29/48	54	42	60	5/19	2/4	7/13	56	50	54	4/5	4/3	5/8	80	33	63
सिंहभूम (बंदगांव)																			
रसादी	प्राथमिक स्कूल, चम्पारन	35/62	6/14	41/76	56	43	54	13/13	—	13/13	100	—	100	—	—	—	—	—	—
पश्चिमी चंपारन (गौनाह)																			
बेलवा	प्राथमिक स्कूल, बेलवा बाजार	15/25	7/10	22/35	60	70	63	20/27	8/8	28/35	74	100	80	5/6	1/1	6/7	83	100	86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	प्राथमिक स्कूल (लड़कियाँ)																		
	बेलवा बाजार	23/36	8/9	31/45	64	89	69	11/18	1/2	12/20	61	50	60	9/12	3/2	11/14	75	100	79
	प्राथमिक स्कूल माधोपुर बेरिया	17/17	8/9	25/36	100	89	96	9/12	2/2	11/14	75	100	79	9/12	2/2	11/14	75	100	79
	प्राथमिक स्कूल माधोपुर मोजा	13/18	4/4	17/22	72	100	72	16/20	3/6	19/25	80	50	73	14/16	3/4	17/20	87	75	88
पश्चिमी चंपारन (नौतन)																			
	प्राथमिक स्कूल, मरहू	11/14	4/8	15/27	58	50	50	9/10	2/2	11/10	90	100	92	4/4	2/3	6/7	100	66	86
(ग) दो अध्यापक स्कूल																			
नालंदा (गिरिएक)																			
बेलारी	प्राथमिक स्कूल, करारपुर	20/24	12/18	32/42	83	66	77	15/19	1/1	16/20	79	100	80	7/8	3/5	10/13	87	66	27
पुरी	प्राथमिक स्कूल, दौलाचक्र	20/25	13/15	23/40	80	87	83	10/11	8/8	18/19	91	100	96	14/14	5/6	19/20	100	83	95
पूरनिया (कृत्यानंदनगर)																			
बेलारिकाबगंज	प्राथमिक स्कूल, जोकजामर	12/23	0/1	12/24	52	0	50	9/13	3/3	12/16	69	100	75	5/8	0/1	5/9	62	0	56
	प्राथमिक स्कूल भुनी इस्तमेबाजार	16/21	5/7	21/28	76	71	75	13/14	4/6	17/32	93	60	85	8/11	2/9	10/20	73	2	50
	प्राथमिक स्कूल मिरजापुर	8/11	5/6	13/17	73	83	76	11/13	3/8	14/21	85	37	66	6/13	2/5	8/17	50	50	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
नभा	प्राथमिक स्कूल हरिपुर मुशाहरी	17/30	10/19	27/49	57	53	55	8/11	7/9	15/20	73	78	75	3/4	1/1	4/5	75	100	80
	प्राथमिक स्कूल, मेघीतल	17/23	10/13	27/36	74	77	75	5/6	3/3	8/9	83	100	89	4/4	6/1	4/5	100	0	80
संथाल परगना (जामा)																			
जामा	प्राथमिक स्कूल बेलरूपी	8/15	8/12	16/27	53	68	99	3/4	—	3/4	75	—	75	3/3	3/3	6/6	100	100	100
	प्राथमिक स्कूल बंगीबाद	7/16	10/16	17/32	44	63	53	4/6	1/2	5/8	66	50	63	4/5	2/3	6/8	80	66	78
	प्राथमिक स्कूल घोरीबंद	6/12	4/11	1/23	50	36	44	4/6	4/5	8/11	96	80	73	4/5	9/4	7/9	80	75	78
	प्राथमिक स्कूल गुंचुवा	13/33	6/9	19/42	39	66	45	4/7	4/5	8/12	57	80	66	5/10	—	5/10	50	—	50
	प्राथमिक स्कूल जरातिकर	13/13	8/10	21/23	100	80	91	5/5	—	5/5	100	—	100	4/4	1/1	5/5	100	100	100
	प्राथमिक स्कूल मोहलाना	18/20	2/6	20/26	50	33	77	2/2	1/2	3/4	100	50	75	4/4	—	4/4	100	—	100
	प्राथमिक स्कूल रंगानी	16/21	6/9	22/30	76	66	73	10/14	9/16	19/30	71	56	63	8/12	3/4	11/16	66	75	69
	प्राथमिक स्कूल सेजाकोर	4/5	4/6	8/11	80	66	73	5/6	3/4	8/10	83	75	80	7/8	3/4	10/12	87	75	12
पश्चिमी चंपारन (गौनाहा)																			
गौनाहा	प्राथमिक स्कूल मंगुराह	19/34	3/5	22/39	56	60	56	12/14	—	12/14	86	—	86	2/2	3/3	3/5	100	100	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	प्राथमिक स्कूल ररसा	22/32	2/3	24/35	69	66	69	10/16	—	10/16	62	—	62	9/13	—	9/13	69	—	69
सिमरीधुमरी	प्राथमिक स्कूल परहरी	5/7	7/11	7/18	74	64	40	3/4	1/3	4/7	75	33	53	3/5	1/1	4/6	60	100	66
(घ) एक अध्यापक स्कूल																			
नालंदा (गिरिएक)																			
बेलारी	प्राथमिक स्कूल सैयदपुर	9/13	8/11	17/24	69	73	71	2/3	3/3	5/6	66	100	83	2/3	2/3	4/6	66	66	66
	प्राथमिक स्कूल वाराबाधा	12/16	7/7	19/23	75	100	83	8/9	1/2	9/11	89	59	82	7/7	1/1	8/8	100	100	100
पूरनिया (कृत्यानंदनगर)																			
बेलारिकावगंज	प्राथमिक स्कूल मूथा	2/3	2/2	4/5	66	100	80	5/6	10/13	15/19	83	77	79	7/7	3/4	10/11	100	75	91
संथाल परगना (जामा)																			
जामा	प्राथमिक स्कूल केंदुग्रा	9/14	6/9	15/23	64	66	65	3/3	1/1	—	100	100	—	3/4	—	—	75	—	—
सिंहभूम (बंदगांव)																			
बंदगांव	प्राथमिक स्कूल कीवा	7/8	5/6	12/14	87	83	86	1/1	2/2	3/3	100	100	100	1/1	—	1/1	100	—	100
हैसादीह	प्राथमिक स्कूल बिरदा	13/20	1/6	14/26	65	16	54	3/5	—	3/5	60	—	60	2/3	—	2/3	66	—	66
पश्चिमी चंपारन (गौनाह)																			
बेलवा	प्राथमिक स्कूल अजियासखा	3/5	3/4	6/9	60	75	66	5/7	3/5	8/12	71	60	66	2/3	1/1	3/4	66	100	75
गौनाह	हरकतवा	9/11	1/1	10/12	81	100	83	1/1	—	1/1	100	—	100	2/2	—	2/2	100	—	100
सिमरीधुमरी	प्राथमिक स्कूल तुरावसवरिया	3/4	2/2	5/6	77	100	83	3/4	1/1	4/5	75	100	80	2/2	0/1	2/3	100	0	66

नोट :—जिला रेखांकित हैं और ब्लाक ब्रैकिट में दिए गए हैं।

4.04 सारणियाँ 4.1 तथा 4.2 6-11 और 11-14 वर्ष के आयु वर्गों में अनामांकित बच्चों के विस्तार की ओर इंगित करती है। समग्र रूप से अनामांकितों की संख्या लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में निरन्तर उच्च पाई गई। 6-11 तथा 11-14 वर्ष के आयु वर्ग की अनामांकित लड़कियों का प्रतिशत 36 से 87 तथा 59 से 100 है जबकि लड़कों के मामले में यह प्रतिशत 13 से 65 तथा 23 से 100 है।

4.05 6-11 तथा 11-14 वर्ष के आयु वर्ग के अनुसूचित जातियों का अनामांकन सारणी 4.3 तथा 4.4 में दिया गया है। हमने पाया कि दोनों वर्गों अर्थात 6-11 तथा 11-14 आयु वर्गों में अनामांकन का प्रतिशत लड़कियों मे लड़कों की अपेक्षा अधिक है। 6-11 वर्ष के आयु वर्ग में अनामांकित लड़कों का प्रतिशत 25 से 100 था जबकि अनामांकित लड़कियों का प्रतिशत 38 से 100 था। इसी प्रकार 11-14 वर्ष के आयु वर्ग में लड़के और लड़कियों का अनामांकन क्रमश: 14 से 100 तथा 50 से 100 था।

4.06 तालिका 4.5 तथा 4.6 में प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर शैक्षिक सुविधाओं के उपयोग के संबंध में अनुसूचित जातियों के बच्चों की स्थिति दिखाई गई है। समग्र रूप से समाज का यह भाग शैक्षिक सुविधाओं के उपयोग में सदा ही सांस्कृतिक लाभवंचन से पीड़ित रहा है। लड़कियों के नामांकन की स्थिति की सामान्य राष्ट्रीय प्रवृति लड़कों से पीछे रह जाने की है।

4.07 सारणियों के कुल परिणामों से यह पता चलता है कि नामांकन की सामान्य स्थिति अत्यन्त निरुत्साही है। लड़कियों के संबंध में यह विशेष रूप से सही है जो व्यापक रूप से शिक्षा के सभी स्तरों पर लड़कों की अपेक्षा अधिक खराब दशा में हैं। इस प्रकार राज्य में प्रारंभिक शिक्षा के सर्वव्यापकता कार्यक्रम में लड़कियों के नामांकन के लिए सकेन्द्रित प्रयत्नों की आवश्यकता है।

औसत उपस्थिति

4.08 1978 तथा 1979 में प्रत्येक श्रेणी के उपस्थिति रजिस्टर के आधार पर प्रत्येक कक्षा की उपस्थिति की जांच की गई। वर्ष भर में से पाँच अथवा छह दिनों की वास्तविक उपस्थिति का औसत लिया गया। उपस्थिति के आँकड़े सारणी 4.7 में प्रस्तुत किये गए हैं।

4.09 रजिस्टरों की जांच से इस प्राकल्पना की पुष्टि होती है कि श्रेणी 1 और 2 में अनुपस्थितियों की संख्या अधिक थी विशेष रूप से लड़कियों के केस में। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में यह पाया गया कि बच्चों के स्कूल से वर्ष भर अनुपस्थित रहने पर भी उपस्थिति रजिस्टरों में उनके नाम तब भी लिखे हुए थे। विभिन्न क्षेत्रों और श्रेणियों में अनामांकनों में भी अंतर पाए जाने के विषय में भी पता चला। माध्यमिक स्कूलों के विषय में लक्ष्मीपुर ग्राम पंचायत में पंचरुखी माध्यमिक स्कूल की श्रेणी 1 में उपस्थिति का प्रतिशत 21 से नालंदा जिले की ग्राम पंचायत बेलारी में गंगापुर माध्यमिक स्कूल में 97 प्रतिशत तक था। पहाड़ी क्षेत्रों में उपस्थिति की स्थिति और भी खराब थी, सात माध्यमिक स्कूलों में से केवल एक स्कूल में ही 76 प्रतिशत उपस्थिति थी। अन्य केसों में उपस्थिति प्रतिशत का क्रम 21, 23, 44, 58, 60 तथा 66 था। मैदानी क्षेत्रों में निम्नतम उपस्थिति प्रतिशत 58 लड़कियों के माध्यमिक स्कूल, गोनाह में था और उच्चतम प्रतिशत 97 पूरनिया जिला में कजाह ग्राम पंचायत के अंचूरा माध्यमिक स्कूल से पाया गया। कक्षा 2 तथा 3 में भी इसी प्रकार की प्रवृत्ति पाई गई।

अपव्यय और गतिरोध

4.10 इस उद्देश्य के लिए पांच स्कूलों के वर्तमान स्थित नामांकन की दो भागों में बांट कर जांच की गई। पहले भाग में वे बच्चे थे जो बिल्कुल नए दाखिल हुए थे और दूसरे भाग में फेल हो जाने वाले और एक श्रेणी में दुबारा रहने वाले बच्चे थे। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए प्रयत्न किया गया कि किस सीमा तक बच्चे अंतिम वार्षिक परीक्षा में नहीं बैठे हैं।

पांच स्कूलों के संबंध में आंकड़ों का अध्ययन सारणी 4.8 में किया गया है।

4.11 पांच स्कूलों के अध्ययन से पता चलता है कि चार स्कूलों की श्रेणी एक में नये दाखिले कम थे और पहले से चले आ रहे विद्यार्थियों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक थी। एक स्कूल में 15 विद्यार्थी अंतिम परीक्षा न देकर श्रेणी एक में ही बने रहे।

4.12 अध्ययन के दौरान यह पता चला कि 1978 में मरहू ब्लाक के गुट्टहाटु प्राइमरी स्कूल में 17 बच्चे दाखिल हुए जिनमें से 11 ने सत्र की अवधि में ही पढ़ाई बीच में छोड़ दी, पांच फेल हो गए, केवल दो ही कक्षा 2 में जा पाए जबकि 1978 से कक्षा 1 में उनकी नामांकन संख्या निरंतर बनी रही। इससे प्रकट होता है कि रजिस्टर में नामांकित संख्या से बच्चों के स्कूल में बने रहने की वास्तविक स्थिति पता नहीं चल पाती।

4.13 1978 में जब कक्षा 2-5 तक के विद्यार्थियों की संख्या कक्षा 1 के विद्यार्थियों से की गई तब यह पता चला कि 30 से 40

प्रतिशत लड़के तथा 50 से 60 प्रतिशत लड़कियाँ कक्षा 2 तक नहीं पहुँच पाए। इसी प्रकार कक्षा 3 में जाने से पहले बीच में पढ़ाई छोड़ जाने वाले लड़के और लड़कियों का प्रतिशत क्रमशः 60 और 70 था (ब्यौरे के लिए देखिए परिशिष्ट VI)।

सारणी 4.8

बीच में पढ़ाई छोड़ जाने तक ले जाने वाले अपव्यय और गतिरोध का विश्लेषण

ब्लाक	स्कूल	श्रेणी 1 में उपस्थिति नए दाखिल	पहले से चले आ रहे बच्चों की संख्या	परीक्षा में नहीं बैठने वालों की संख्या
1	2	3	4	5
बंदगांव	प्राथमिक स्कूल बंदगांव	43	6	
	प्राथमिक स्कूल, बिरदा	12	14	15
कुल्यानंदनगर	प्राथमिक स्कूल बेलारिकाबगंज	39	71	
	प्राथमिक स्कूल कजाह	24	59	
नौतन	प्राथमिक स्कूल मगुराहा	15	24	

4.14 निरीक्षण टिप्पणी के आधार पर पिछले पांच वर्षों में कुछ नमूना स्कूलों में विद्यार्थी की संख्या और उपस्थिति में वृद्धि और कमी का एक और अध्ययन किया गया। (ब्यौरे के लिए देखिए परिशिष्ट VII) : आंकड़ों से पता चलता है कि नामांकन अभियान का नामांकन पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा।

4.15 शैक्षिक पद्धति में संरचनात्मक परिवर्तन किस प्रकार पढ़ाई बीच में छोड़ जाने को प्रभावित करते हैं। परिणामों से यह प्रकट हुआ कि चौथी और पांचवीं कक्षाओं और छठी से आठवीं कक्षाओं में कक्षा पांच से छह के बीच पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वालों की संख्या अपेक्षाकृत इस तथ्य के कारण अधिक थी कि पहले मामले में विद्यार्थियों को स्कूल बदलने पड़े जबकि दूसरे मामले में इस प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं था। इसका कारण यह था कि नई शैक्षिक संरचना के कार्यान्वयन के दौरान कक्षा पांच प्राथमिक स्कूल से अलग कर ली गयी और माध्यमिक स्कूल में मिला दी गयी और कक्षा सात उच्च विद्यालय में मिला दी गयी। फलस्वरूप बहुत से बच्चे कक्षा पांच में अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए माध्यमिक स्कूल नहीं गये। इसी प्रकार माध्यमिक स्कूल में कक्षा छह की पढ़ाई पूरी करने के पश्चात् बहुत से बच्चों ने कक्षा सात में जो उच्च विद्यालय में मिला दी गयी थी, में पढ़ाई छोड़ दी। इससे भी अधिक संरचनात्मक परिवर्तन के कारण बीच में पढ़ाई छोड़ जाने वालों में लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक थी क्योंकि लड़कियां दूर का रास्ता पैदल चल कर पूरा नहीं कर सकती थीं (ब्यौरे के लिए देखिए परिशिष्ट VIII)।

4.16 अतिरिक्त बच्चों को दाखिल करने अथवा अध्यापक छात्र अनुपात, जो अधिकांश स्कूलों में बहुत निम्न था, में सुधार लाने के लिए कोई भी संगठित और निरंतर प्रयत्न नहीं किया गया।

अध्यापकों का प्रभाव

4.17 लड़कियों के नामांकन पर अध्यापिकाओं का तथा अनु-

सूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अध्यापकों का समाज के कमजोर वर्गों के नामांकन पर इतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ा जिससे लड़कियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के नामांकन की संख्या में वृद्धि हो सके।

अध्यापकों की गुणवत्ता

4.18 प्रधान अध्यापकों और अध्यापकों की अहर्ताओं के विषय में भी आंकड़े एकत्रित किए गए। विश्लेषण से यह पता चला कि एक माध्यमिक स्कूल का प्रधान अध्यापक केवल मैट्रिक पास था। 60 प्रतिशत स्कूलों में स्नातक स्तर तक अथवा इंटर-मीडिएट स्तर तक प्रशिक्षित कोई भी विज्ञान का अध्यापक नहीं था। इससे यह प्रकट होता है कि अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान नहीं के बराबर थे। प्राथमिक स्कूलों में से एक में प्रधान अध्यापक, बहु अध्यापक प्राथमिक स्कूलों में 12 प्रधान अध्यापक, दो अध्यापकों वाले प्राथमिक स्कूलों में 9 प्रधान अध्यापक और एक अध्यापक वाले स्कूल में 7 प्रधान अध्यापक केवल माध्यमिक स्कूल पास थे।

निरीक्षण और पर्यवेक्षण

4.19 अध्यापकों का निरीक्षण यदाकदा ही निर्धारित मानकों की अपेक्षा पूरी कर सका है। इससे भी अधिक इस निरीक्षण से अध्यापकों और प्रधान अध्यापकों को कुछ ही व्यावसायिक निर्देशन प्राप्त हो सका है। 5 माध्यमिक स्कूलों में से एक स्कूल का, जिसकी निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध थी, 1972 तक निरीक्षण नहीं किया गया, दो स्कूलों का लगातार चार और तीन वर्षों तक निरीक्षण नहीं किया गया। 12 बहु अध्यापक प्राथमिक स्कूलों में से दो का लगातार चार वर्षों तक और आठ का लगातार दो वर्षों तक निरीक्षण नहीं किया गया। 20 अध्यापक वाले स्कूलों में से 9 का लगातार चार वर्षों तक तथा दो का लगातार दो वर्षों तक निरीक्षण नहीं किया गया। इन 20 स्कूलों में से केवल तीन ही स्कूलों का चार वर्षों में एक बार निरीक्षण किया गया। इसी प्रकार समीक्षाधीन 10 अध्यापक वाले स्कूलों में से दो का निरीक्षण पांच से अधिक वर्षों तक किया गया, चार का चार वर्षों तक निरीक्षण नहीं किया गया और छह का केवल पांच वर्ष की अवधि में एक बार निरीक्षण किया गया। इससे इस सामान्य धारणा की पुष्टि होती है कि निरीक्षण बार बार नहीं किए जाते और निरीक्षण के लिए निर्धारित मानकों का पालन भी संभवत: त्रुटिपूर्ण होता है।

4.20 निरीक्षण की गुणात्मकता के लिए निरीक्षण टिप्पण का कोई भी निर्देशन महत्व नहीं होता है। पूछताछ करने से यह पता चला कि किसी प्रकार के निरीक्षण फार्म का प्रयोग नहीं किया गया। केवल एक मामले में ब्लाक विस्तार शिक्षा अधिकारी के पिछले निरीक्षण का पालन किया गया।

अध्यापक निवास स्थान

4.21 बहुत से अध्यापक और प्रधान अध्यापक उस गांव में नहीं रहते है जहां स्कूल स्थित है। कुछ निकट के गांवों से आते हैं और कुछ अपने निकट के संबंधियों के साथ रहते हैं।

अध्यापकों का वेतन

4.22 अध्यापकों के वेतन के भुगतान की प्रक्रिया इस प्रकार है—ब्लाक विस्तार शिक्षा अधिकारी प्रत्येक मास पांच तारीख तक स्कूल से वेतन बिल प्राप्त करते हैं। इन बिलों का निरीक्षण ब्लाक विस्तार शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाता है और उनके द्वारा बनाये गए समेकित बिल 15 तारीख तक जिला अधीक्षक (डी०एस०ई०) को प्रस्तुत किए जाते हैं। वह इन बिलों की जांच करने के पश्चात् पास करता हैं और 25 तारीख से पहले संबंधित कोष में भेज देता है। कोष (खजाने) इन बिलों को पास करते हैं और प्रत्येक अध्यापक के बैंकों में खुले हुए खातों में प्रत्येक के वेतन जमा कर दिए जाते हैं और इस प्रकार वेतन का भुगतान बैंक के द्वारा महीने के पहले सप्ताह में किया जाता है। संथाल परगना जिले के सारथ ब्लाक में यह पाया गया कि अध्यापकों को अपने वेतन प्राप्त करने के लिए दो दिन तक अपने बैंकों के चक्कर लगाने पड़े।

छात्रवृत्तियां

4.23 कल्याण विभाग अनुसूचित जातियों और जनजातियों से संबंधित विद्यार्थियों को उनके बचत खातों के द्वारा वजीफा देता है। जांच के दौरान यह पता चला कि सभी योग्य विद्यार्थियों को वजीफा प्राप्त नहीं हुआ।

छात्रावास और विद्यार्थियों को आवासीय सुविधायें

4.24 आश्रय स्कूलों में छात्रावास की सुविधायें हैं। रांची जिले के सालगादीह में एक ऐसा ही स्कूल है जो परियोजना दल के पहुंचने के दिन बन्द था। इसलिए छात्रावास की सुविधाओं का मूल्यांकन नहीं किया जा सका। नमूना स्कूलों में केवल एक ही स्कूल, पूरनिया जिला में कजाह माध्यमिक स्कूल है जिसमें स्वैच्छिक प्रयत्नों से एक छात्रावास चलाया जा रहा है। कल्याण विभाग भी अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए छात्रावास की व्यवस्था करता है। नमूने में केवल एक ही स्कूल

खुनती के निकट कुन्डी में लड़कियों को आवासीय माध्यमिक स्कूल, ही उचित रूप से कार्य करता हुआ पाया गया।

प्रोत्साहन

4.25 पूछताछ करने पर पता चला कि कक्षा एक और दो के सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें दी जाती हैं और इस योजना से 37 लाख बच्चे लाभांवित हुए। स्कूल की पौशाकें केवल लड़कियों को ही दी गई। मध्य दिवसीय भोजन की भी बहुत मांग थी।

स्कूल भवन

4.26 बहुत से एक और दो अध्यापक वाले प्राथमिक स्कूलों की कोई इमारत नहीं थी। दूसरे मामले में इमारतें तो थीं परन्तु उनकी तत्काल मरम्मत किये जाने की आवश्यकता थी।

अनौपचारिक केन्द्र

4.27 भुवनेश्वर के शिक्षा के क्षेत्रीय कालिज ने रांची में 10 प्रयोग केन्द्र खोले हैं जिनके लिए विशेषज्ञ व्यक्ति पहले से प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करके राज्य को इस क्षेत्र में अपनी प्रभावी भूमिका निभानी चाहिए।

स्कूल समितियां

4.28 सर्वव्यापकता की गति को त्वरित करने के लिये अनुकूल परिस्थिति बनाने की दृष्टि से तथा स्कूलों के कार्य करने की पद्धतियों और उसके विकास पर दृष्टि रखने के लिए 1977 में सरकार द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसार प्रत्येक स्कूल के लिए 11 सदस्यों वाली एक सतर्कता और विकास समिति बनायी गई है। संबद्ध प्रधान अध्यापक स्कूल का सदस्य-सचिव होता है। सभी नमूना स्कूलों में इस प्रकार की समितियां बनाई गई हैं और उनकी पहली और दूसरी बैठक हो चुकी है।

आकस्मिकतायें

4.29 नमूना स्कूलों में आकस्मिकताओं की व्यवस्था के संबंध में पूछताछ के दौरान यह पता चला कि नमकुम ब्लाक के स्कूलों में इस प्रकार के भुगतान में लगभग दो वर्ष की देरी हुई थी।

स्कूली सुविधायें

4.30 प्राथमिक स्कूल इन निम्न आधारों पर खोले जाते हैं :—

— 1.5 किलोमीटर की पैदल दूरी पर प्राथमिक स्कूल की व्यवस्था,

— 300 व्यक्तियों की जनसंख्या वाले स्थान पर प्राथमिक स्कूल की व्यवस्था, और

— 500 जनसंख्या वाले एक वासस्थान पर स्कूल की व्यवस्था, यद्यपि 314 किलोमीटर की पैदल दूरी पर एक और स्कूल हो सकता है।

4.31 माध्यमिक स्कूलों के मामले में निम्नलिखित आधार अपनाए जा सकते हैं :—

— 1,000 जनसंख्या वाले वासस्थान में 5 किलोमीटर की पैदल दूरी पर माध्यमिक स्कूल की व्यवस्था,

— 1,500 जनसंख्या वाले वासस्थान में दूरी को 3 किलोमीटर तक रखा जा सकता है।

4.32 चौथे शैक्षिक सर्वेक्षण पर आधारित स्कूली सुविधाओं के अध्ययन में बच्चे के पैदल चलने की दूरी और वासस्थानों के जनसंख्या मंडलों के संबंध में राज्य में उपलब्ध स्कूली सुविधाओं के विषय में पता चलता है। (ब्यौरे के लिए देखिए परिशिष्ट IX)।

4.33 जांच पड़ताल के दौरान यह पाया गया कि अतीत में कुछ स्कूल जो स्वैच्छिक प्रयत्नों से खोले गए थे, जनसंख्या की आवश्यकतानुसार उचित स्थानों पर स्थित नहीं थे।

पूर्व प्राथमिक स्कूल

4.34 शिक्षा विभाग ने राज्य के निम्न साक्षरता वाले 263 ब्लाकों में प्रत्येक प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल में पूर्व प्राथमिक कक्षायें प्रारंभ करने के आदेश जारी किए हैं। इसकी उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया हुई हैं। यह स्पष्ट था कि लगभग आधे नमूना स्कूलों में पूर्व प्राथमिक कक्षायें बढ़ाई गई और वे कार्य कर रही थीं। यह अक्टूबर 1978 में कार्यान्वित किया गया और कक्षा-1 में बच्चों के नामांकन में इसका अच्छा प्रभाव पड़ा।

ब्लाक पंचायत समिति

4.35 ब्लाक पंचायत समिति में शिक्षा समिति सहित आठ उप समितियां हैं। यह देखा गया कि स्कूलों के संवर्धन के लिए ये अभी तक कोई गंभीर प्रयत्न नहीं कर रही हैं। इससे भी अधिक, इसके लिए कोई भी निधि इकट्ठी नहीं की गई है। विविध स्तरों पर विभिन्न अधिकारियों से होने वाली चर्चा में उभर कर आने वाला सामान्य मत यह था कि ब्लाक पंचायत समितियों को सर्वव्यापकता के संदर्भ में सलाहकारी कार्य करने चाहिए और इन समितियों तथा ग्राम पंचायत स्तर पर उनके प्रतिस्थानियों को सर्वव्यापकता से संबंधित विविध कार्यों में सहयोग देना चाहिए।

अध्याय 5

अध्ययन के निष्कर्ष

5.01 राज्य शिक्षा विभाग में गौण आंकड़ों तथा अध्ययन के नमूने के लिए चुने गए 24 ग्राम पंचायतों, 6 जिलों और 9 ब्लाकों से प्रश्नावलियों, प्रेषणों और कार्यकर्त्ताओं से साक्षात्कारों द्वारा एकत्रित किए गए प्राथमिक आँकड़ों के विश्लेषण के आधार पर सर्वव्यापकता कार्यक्रम के संबंध में प्रारंभिक शिक्षा के प्रशासन के उचित स्तरों पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गए।

I ग्राम स्तर

5.02 नमूना स्कूलों में प्रधान अध्यापकों के लिए कोई कार्य चार्ट नहीं था। सेवा संहिता और नियम पुस्तिका में भी इसका जिक्र नहीं किया गया है। सामान्य जनमत यह था कि प्रधान अध्यापक के कार्य चार्ट में अन्य बातों के साथ एक सामान्य प्रपत्र पर बच्चों की अद्यतन जनगणना, जो एक स्कूल से दूसरे स्कूल, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, भिन्न भिन्न होती है, का रिकार्ड भी रखा जाना चाहिए। एक कार्य चार्ट तैयार किया जाना चाहिए जो प्रधान अध्यापक के कर्त्तव्यों और कार्यों का उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से बता सके।

5.03 यह पाया गया कि स्कूल समितियां प्रभावपूर्ण नहीं है। स्कूल न जाने वाले बच्चों के नामांकन के लिए नामांकन नीतियाँ उचित रूप से निर्धारित नहीं है।

5.04 प्रोत्साहनों की व्यवस्था के लिए कोई अग्रिम योजना नहीं है जिसके फलस्वरूप जरूरतमंद बच्चों को समय पर लाभ प्राप्त नही होता। इससे भी अधिक, निर्णय लिए जाना भी लगभग केन्द्रीकृत था और प्रारंभिक शिक्षा के संवर्धन में जन संपर्क साधनों और शिक्षा के अन्य लोकप्रिय साधनों का बहुत कम उपयोग किया गया।

II ब्लाक स्तर

5.05 ब्लाक स्तर पर अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं :

— मानिटरिंग और निर्णय लिए जाने में प्रशासन बहुत कम प्रभावी सिद्ध हुआ।

— संस्थानों के अद्यतन निर्देश चिह्न आंकड़े रखने और शैक्षिक कार्यक्रमों के नियोजन और कार्यान्वियन में इनके उपयोग की कोई भी पद्धति नहीं।

— वर्तमान छात्रावास सुविधा बच्चों के लिए अपर्याप्त हैं।

— जनगणना उचित फार्म पर रिकार्ड नहीं की गई और नामांकन लक्ष्य के विषय में निर्णय स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर नहीं लिए गए।

— स्कूल के क्रियाकलापों में समुदाय का भाग अपेक्षा से बहुत कम है। यह इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि स्कूल की इमारतों की मरम्मत करने, कैम्पस की देखरेख करने तथा साज सामान और सम्पत्ति की सुरक्षा करने में व्यक्तियों की सहायता न के बराबर थी।

— गुणवर्ता संवर्धन कार्यक्रम के संबंध में बच्चों के नामांकन की नियमित मानिटरिंग की कोई पद्धति नहीं थी।

— स्कूलों का निरीक्षण भी सामान्यतः नैत्यिक प्रकार का था और इससे बहुत कम व्यावसायिक निर्देशन प्राप्त होता था। ये निरीक्षण न तो पूर्ण और न ही वर्ष में नियमित रूप से होते थे। आकस्मिक वीक्षणों की आवृत्ति आवश्यकता से बहुत कम थी। इससे भी अधिक,

निरीक्षण कार्य की जांच सूचियों की देखभाल भी उचित रूप से नहीं की गई थी और उन्हें निरीक्षण के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया था।

III जिला स्तर

5.06 वर्तमान व्यवस्था में कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं था जो प्रारंभिक शिक्षा का कुल प्रभारी हो। जिले में प्रारंभिक स्कूलों के नियोजन, उद्घाटन और प्रशासन के साथ साथ अध्यापक कार्मिक प्रशासन जिला शिक्षा अधीक्षक (डी एस इ) के कार्यालय में सकेन्द्रित था नामांकन नीतियों और शैक्षिक कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग में अग्रताओं का अभाव था।

विविध स्तरों पर पर्यवेक्षण व्यवस्था

5.07 ब्लाक स्तर पर ब्लाक विस्तार शिक्षा अधिकारी प्राथमिक स्कूलों का निरीक्षण और पर्यवेक्षण अधिकारी है। वह सबोर्डिनेट एजुकेशन सर्विस, बिहार का सदस्य है। कुछ ब्लाकों में जहाँ स्कूलों की संख्या अधिक है वहाँ दो ब्लाक विकास शिक्षा अधिकारी हैं जबकि मानक के अनुसार 60 स्कूलों का एक ब्लाक विकास शिक्षा अधिकारी होता है। ब्लाक विकास शिक्षा अधिकारी ने लड़कियों के प्राथमिक स्कूलों का भी निरीक्षण किया।

5.08 स्कूलों का उप निरीक्षक माध्यमिक स्कूलों का तत्कालिक पर्यवेक्षण अधिकारी भी है। वह स्बोर्डिनेट एजुकेशनल सर्विस, बिहार का वरिष्ठ सदस्य भी है। उनका क्षेत्राधिकार राजस्व मंडल मे क्षेत्राधिकार के साथ ही समाप्त होता है। नालंदा, पालमभाऊ और सीतामरही इन तीन जिलों में जहाँ स्कूल-समूह पद्धति प्रचलित है, वहाँ इन क्षेत्रों में कोई भी जिला स्कूल निरीक्षक (डी आइ एस) नहीं है। उसके स्थान पर सहायक क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी (ए ए इ ओ) है जो प्रस्थिति और सेवा में जिला स्कूल निरीक्षक के बराबर होता है। जिला स्कूल निरीक्षक अपने अधीन काम करने वाले शिक्षा अधिकारियों का नियंत्रण अधिकारी है और अपने क्षेत्राधिकार के प्राथमिक स्कूलों का कुल प्रभारी अधिकारी है। राज्य के मुफसिल उप मंडलों में नियुक्त स्कूल उप निरीक्षिका लड़कियों के माध्यमिक और प्राथमिक स्कूलों की एक मात्र प्रभारी अधिकारी है। वह स्बोर्डिनेट सर्विस बिहार की महिला शाखा की भी सदस्या है।

5.09 उप मंडलीय स्तर पर बिहार शैक्षिक सेवा में वर्ग दो के उप मंडलीय शिक्षा अधिकारी भी हैं। कुछ राजस्व मंडलों में जहाँ उच्च विद्यालयों की संख्या अधिक है वहां एक से अधिक उप मंडलीय शिक्षा अधिकारी हैं। ये अधिकारी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक अध्यापकों के शिक्षा कालेजों, जहाँ के प्रधानाचार्य उन्हीं की कोटि और प्रस्थिति के होते हैं, को छोड़ कर अपने उप मंडलों में शिक्षा के कुल प्रभारी अधिकारी होने के साथ साथ गैर सरकारी माध्यमिक स्कूलों के निरीक्षण और पर्यवेक्षण के उत्तरदायी भी होते हैं।

5.10 जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल शिक्षा के निरीक्षण, पर्यवेक्षण और प्रशासन का कुल प्रभारी अधिकारी होता है। जिले में शिक्षा के जिला अधीक्षक को प्रारंभिक स्कूलों के विस्तार और संवर्धन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है और वह स्कूल के अध्यापकों और अन्य स्टाफ से संबधित व्यवस्था-कार्यों जैसे वेतन तथा अन्य भत्तों का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी है। जिले में नियुक्त जिला शिक्षा निरीक्षिका लड़कियों की शिक्षा की कुल प्रभारी अधिकारी है। वह लड़कियों के गैर सरकारी माध्यमिक स्कूलों का भी निरीक्षण और पर्यवेक्षण करती है।

5.11 जिलों के ऊपर शैक्षिक मंडल हैं जो राज्य में कुल 9 हैं। एक क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, एक मंडल का प्रभारी अधिकारी है। वह अपने मंडल में निदेशालय का मुख्य प्रतिनिधि है, और अपने मंडल में स्कूल-शिक्षा का कुल प्रभारी अधिकारी है।

5.12 राज्य स्तर पर, निदेशालय के अतिरिक्त एक स्कूल निरीक्षिका भी है जो राज्य में लड़कियों की शिक्षा की देखभाल करती है। वह क्षेत्र में लड़कियों की शिक्षा से संबंधित शिक्षा निदेशालय का प्रतिनिधित्व करती है।

कर्त्तव्य और कार्य

5.13 ब्लाक विस्तार शिक्षा अधिकारी (स्कूल सबनिरीक्षकों, स्कूल उप निरीक्षकों) निरीक्षिकाओं के कर्त्तव्य और कार्य बिहार शिक्षा संहिता में क्रमशः 112 और 114 अनुच्छेद, 98 से 102 अनुच्छेद तथा 105 से 107 अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 114 में दिया हुआ है कि ब्लाक विस्तार शिक्षा अधिकारी वर्ष में 200 दिन दौरे पर रहेगा और कम से कम वर्ष में एक बार अपने क्षेत्र के प्रत्येक प्राथमिक स्कूल का निरीक्षण करेगा और इसके अतिरिक्त वर्ष भर में कम से कम चार बार प्रत्येक स्कूल में आकस्मिक वीक्षण करेगा। आकस्मिक वीक्षण अन्य स्कूलों के साधारण निरीक्षण दौरे के समय किया जाना चाहिए। ब्लाक विस्तार शिक्षा अधिकारी को अपने ब्लाक विकास अधिकारी के द्वारा अपनी मासिक दौरा डायरी प्रस्तुत करनी चाहिए। ब्लाक विकास अधिकारी को अपनी इच्छानुसार दिए गए टिप्पणी सहित इस डायरी को संबंधित स्कूल उप निरीक्षक को प्रस्तुत करनी चाहिए।

5.14 स्कूलों का उप निरीक्षक माध्यमिक स्कूलों के निरीक्षण

और पर्यवेक्षण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। उसे अपने अधीन कार्य कर रहे ब्लाक विस्तार शिक्षा अधिकारी/स्कूल उप निरीक्षक के कार्य का पर्यवेक्षण करना होता है। उसे वर्ष में 180 दिन दौरे पर रह कर प्रत्येक माध्यमिक स्कूल का निरीक्षण करना होता है। इसके अतिरिक्त उसे उतने प्राथमिक स्कूलों का निरीक्षण भी करना होता है जितना वह सरलता से कर सकता हो। ब्लाक विकास शिक्षा अधिकारी को जांच सूची सहित अपनी दौरा डायरी नियंत्रक स्कूल उप निरीक्षक को प्रस्तुत करनी पड़ती है। स्कूल उप निरीक्षक को इसी प्रकार की जांच-सूची अपने कर्त्तव्यों के भाग के रूप में नियंत्रक उपमंडलीय शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करनी पड़ती है। उसे अपने ब्लाक विकास शिक्षा अधिकारी द्वारा आयोजित अधिक से अधिक आवधिक सम्मेलनों में भाग लेना होता है।

5.15 उपमंडलीय शिक्षा अधिकारी के कर्त्तव्य और कार्य बिहार-सेवा संहिता के अनुच्छेद 80 से 85 में दिए हुए हैं। उपमंडलीय शिक्षा अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी के नियंत्रण में रहते हुए उपमंडल के स्कूल स्तर के सभी शैक्षिक कार्यकलापों का प्रभारी अधिकारी होता है। वह सरकारी उच्च स्कूलों और प्राइमरी अध्यापक शिक्षा कालिज, जिनके प्रधानाचार्यों की श्रेणी और प्रस्थिति उसी के बराबर होती हैं, को छोड़कर सभी स्कूलों के निरीक्षण और शैक्षिक पर्यवेक्षण का उत्तरदायी होता है। वह अपने उपमंडल के माध्यमिक स्कूलों को मान्यता प्रदान करने अथवा प्रदान न करने का अधिकारी होता है। उससे वर्ष भर में 150 दिन दौरे पर रहने की आशा की जाती है और अपने क्षेत्राधिकार के सभी गैर सरकारी उच्च विद्यालयों का वर्ष में एक बार और सभी सरकारी बेसिक स्कूलों का यदाकदा दौरा करना उसके लिए अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त उससे अपने क्षेत्राधिकार के इतने अधिक प्राथमिक स्कूलों का निरीक्षण करने की अपेक्षा की जाती है जितने वह आसानी से कर सके। उसको अपने अधीन कार्य कर रहे स्कूल उप निरीक्षकों तथा ब्लाक विस्तार शिक्षा अधिकारी, स्कूल उपनिरीक्षकों के कार्यालय का निरीक्षण वर्ष में एक बार यह देखने के लिए करना चाहिए कि कार्यालय कुशलतापूर्वक व्यवस्थित है और इन अधिकारियों का निरीक्षण और पर्यवेक्षण कार्य अद्यतन है। स्कूल उपनिरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत ब्लाक विस्तार शिक्षा अधिकारियों तथा स्कूल उपनिरीक्षकों की दौरा डायरी की इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उप-मंडलीय शिक्षा अधिकारियों द्वारा जांच की जानी चाहिए कि निरीक्षण सुनियोजित रूप से किया गया है तथा गुणात्मक और मात्रात्मक दृष्टिकोण से दौरे सफल हुए हैं।

5.16 जिला शिक्षा अधीक्षक के कर्त्तव्य और कार्य बिहार शिक्षा संहिता के अनुच्छेद 130 में वर्णित है। जिला शिक्षा अधीक्षक का निरीक्षण और पर्यवेक्षण संबंधी कोई कार्य नहीं है। उसका मुख्य कर्त्तव्य और कार्य प्रारंभिक शिक्षा का विस्तार और संवर्धन है जिसमें नए स्कूलों का नियोजन और उद्घाटन, स्कूलों के उच्च श्रेणीकरण आदि से लेकर स्कूल की व्यवस्था से संबंधित जैसे प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों और स्टाफ के वेतन तथा भत्तों का भुगतान तथा उनकी सेवा स्थितियों से संबंधित कार्य तक सम्मिलित है।

5.17 जिला शिक्षा अधिकारी के कर्तव्य और कार्य बिहार शिक्षा संहिता के अनुच्छेद 65 से 67 में दिए हुए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी अपने अधीन सभी संस्थाओं और अधिकारियों के कुशल निरीक्षण के लिए उत्तरदायी है। उसे अपने जिले के प्रत्येक सरकारी उच्च स्कूल और प्रत्येक प्राइमरी अध्यापक शिक्षा कालिजों का वर्ष में एक बार अवश्य निरीक्षण करना चाहिए। उसे वर्ष में कम से कम एक तिहाई गैर सरकारी माध्यमिक स्कूलों और कुछ सरकारी और गैर सरकारी बेसिक स्कूलों का निरीक्षण भी करना चाहिए। उस पर अपने तत्काल अधीनस्थ सभी शैक्षिक संस्थाओं तथा कुछ अन्य कार्यालयों का इस बात के सुनिश्चय के लिए वर्ष में एक बार निरीक्षण करने का उत्तरदायित्व है कि इन कार्यालयों का प्रबंध कुशलतापूर्वक किया जा रहा है और संबंधित अधिकारी ठीक से काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त स्कूल में कभी कभी आकस्मिक वीक्षण करना चाहिए। जिला शिक्षा अधिकारी को अपना निरीक्षण कार्य वर्ष भर में बराबर बराबर बांटना चाहिए और अपने निरीक्षण नोट की एक कापी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक द्वारा निदेशक को प्रस्तुत करनी चाहिए।

नमूना क्षेत्रों में निरीक्षण कार्य का मूल्यांकन

5.18 नमूना क्षेत्रों में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के निरीक्षणों के अध्ययन से यह प्रकट होता है कि निरीक्षण कार्य उपेक्षित रहा है। बहुत से प्राइमरी स्कूलों का लगातार तीन से चार वर्ष तक निरीक्षण नहीं किया गया और बहुत से माध्यमिक स्कूलों का स्कूल उप निरीक्षकों द्वारा लगातार छह से सात वर्षों तक निरीक्षण नहीं किया गया। पश्चिमी चम्पारन जिले के गौनाह ब्लाक में सिमरीधुमरी के माध्यमिक स्कूलों का 1962 और 1974 के बीच और फिर मई 1974 से निरीक्षण नहीं किया गया। इसी प्रकार सिंहभूम जिले में बदगांव ब्लाक के औतर में माध्यमिक स्कूल का जून 1972 से निरीक्षण नहीं किया गया। बहुत से एक अध्यापक और दो अध्यापक प्राथमिक स्कूलों का लगातार तीन वर्षों से निरीक्षण नहीं हुआ है। नमूना क्षेत्रों में अन्य नियंत्रण अधिकारी ने भी स्कूलों में कभी वीक्षण नहीं किया।

5.19 निरीक्षण की गुणात्मकता भी निम्न कोटि की थी। केवल छह निरीक्षण टिप्पण थे, वे भी औसत दर्जे के थे। सामान्यतः निरीक्षण एक ही प्रकार के थे और उनसे प्रधान अध्यापकों और अध्यापकों को बहुत कम व्यावसायिक सहायता प्राप्त हो सकती थी।

5.20 निरीक्षण के निम्न कोटि के होने के मुख्य कारण इस प्रकार थे :

— सामान्यतः निरीक्षण अधिकारियों में कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्धता का अभाव था।

— पिछले वर्षों में निरीक्षण अधिकारियों की संख्या में वृद्धि स्कूलो की संख्या में वृद्धि के अनुपात में नहीं हुई। फलस्वरूप वर्तमान स्थित निरीक्षण पद्धति कर्तव्यों का पालन उचित रूप से और कुशलतापूर्वक करने के अयोग्य थी। प्रत्येक जिले तथा प्रत्येक उप जिले में उच्च विद्यालयों की संख्या अत्यन्त शीघ्रता से बढ़ी। प्रत्येक जिले में उच्च विद्यालयों की संख्या 185 और प्रत्येक जिले में औसत संख्या लगभग 100 थी। एक ब्लाक में प्राथमिक स्कूलों की अधिकतम संख्या 177 थी और अधिकतम माध्यमिक स्कूल 182 थे। बेतिहा में स्कूल उप निरीक्षक के अंतर्गत 166 माध्यमिक स्कूल थे और रांची में स्कूल उप निरीक्षक के अधीन 125 माध्यमिक स्कूल थे।

— निरीक्षण अधिकारियों पर काम का अत्यधिक भार और राज्य की जनतंत्रीय पद्धति और विकासशील अवस्था के कारण अनुभूत अन्य ससस्याएं।

— अपने ऊपर के केडर में दूसरे वर्ग के नियंत्रक अधिकारी के अभाव के कारण ब्लाक विस्तार शिक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण और पर्यवेक्षण की उपेक्षा।

— नमूना क्षेत्र और राज्य में ब्लाक विस्तार शिक्षा अधिकारी की संख्या कम थी। प्रति ब्लाक विस्तार शिक्षा अधिकारी के अधीन स्कूलों और अध्यापकों की औसत संख्या क्रमशः 62 और 186 थी। ब्लाक विस्तार शिक्षा अधिकारी 872 थे जबकि राज्य में 30,000 प्राथमिक स्कूल थे ब्लाक विस्तार शिक्षा अधिकारी की संख्या समान बनी रही जबकि प्राथमिक स्कूलों की संख्या बढ़कर 52,000 हो गयी।

— ब्लाक शिक्षा अधिकारियों के किराये वसूली, नियम और व्यवस्था, सूखा और बाढ़ से संबंधित कार्यों में व्यस्त रहने पर उनके द्वारा किए जाने वाले प्रारंभिक स्कूलों के निरीक्षण और पर्यवेक्षण के कार्य में रुकावट आ गई।

— शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले विकास के कारण ब्यौरा रिपोर्ट और वक्तव्य तैयार करने का कार्य इतना बढ़ गया है कि इससे ब्लाक विस्तार शिक्षा अधिकारी पर कार्यालय काम का भार अत्यधिक है।

— जिला शिक्षा अधिकारी और उप जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा के कार्यभार से अत्यधिक दबे होने के कारण, उन्हें प्राथमिक स्कूलों के निरीक्षण और पर्यवेक्षण की गुणत्ता की जांच करने का कोई समय नहीं मिलता।

— राज्य में प्रारंभिक शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् और बड़ी संख्या में (लगभग दो ब्लाक) अध्यापकों की सेवायें इसके अंतर्गत आ जाने के कारण अध्यापकों और स्कूल के अन्य स्टाफ की समस्याओं के संबंध में निरीक्षण और पर्यवेक्षण अधिकारियों का उत्तरदायित्व अत्यधिक बढ़ गया है।

निदेशालय स्तर

5.21 अतीत में राज्य निदेशालय को अनेक बार पुनर्गठित किया गया। प्रारंभ में लोक शिक्षा निदेशक शिक्षा, विश्वविद्यालय, माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा के सभी क्षेत्रों का प्रभारी अधिकारी था। एक विशेष अधिकारी—उपसचिव का पद, जिसे विभागाध्यक्ष के अधिकार और कार्य दिए गए थे, प्रारंभिक शिक्षा की देखभाल करने के लिए स्वीकृत किया गया। क्रमशः इस पद को, प्राथमिक शिक्षा के शिक्षा निदेशक, जो लोक शिक्षा निदेशक के अधीन कार्य करेगा, में बदल दिया गया। इस विभाग को फिर से पुर्नगठित किया गया। और इस बार शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों के लिए शिक्षा निदेशकों के विभिन्न पद उत्पन्न करने के लिए लोक शिक्षा निदेशक का पद समाप्त कर दिया गया। निदेशकों की प्रस्थिति लोक शिक्षा निदेशक के समान थी। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के निदेशालय स्कूल शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत इकट्ठे कर दिए गए। अद्यतन व्यवस्था के अनुसार वर्तमान समय में प्राथमिक शिक्षा का एक अलग निदेशालय है।

5.22 प्राथमिक शिक्षा निदेशक की सहायता के लिए पांच उप निदेशक और एक सहायक निदेशक है। काम का वितरण इस प्रकार किया गया है :

उप निदेशक I

5.23 उप निदेशक I नीचे दिए गए मामलों से संबंधित है—प्राथमिक स्कूलों के राष्ट्रीयकरण, उनमें काम कर रहे अध्यापकों की सेवा-स्थितियों की देखरेख, स्कूलों और अध्यापकों की अन्य समस्यायें, अल्पसंख्यकों के स्कूलों की अन्य समस्यायें, कोर्ट के मामले, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, जिला बोर्डों के अन्तर्गत क्षेत्रों में काम कर रहे लिपिकों की सेवा स्थितियों की देखरेख, राष्ट्रीयकृत अध्यापकों के वेतन-नियतन, पेंशन और अनिवार्य जमा से संबंधित मामले।

उप निदेशक II

5.24 उप निदेशक II निम्नलिखित मामलों से संबंधित है—सर्वव्यापकता कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबंधित मामले, अनौपचारिक शिक्षा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, मॉनिटरिंग, गुणात्मक संवर्धन कार्यक्रम अर्थात् गति-निर्धारण स्कूल, सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादनशील कार्य, शिक्षा के नए पैटर्न, सर्वव्यापकता के संबंध में अध्यापकों और क्षेत्रीय अधिकारियों का अभिविन्यास : प्रारंभिक स्कूल अध्यापकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण की मॉनिटरिंग, नई शैक्षिक संरचना, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या की समीक्षा, पूर्व व्यावसायिक स्कूल तथा नवीन प्रक्रियायें।

उप निदेशक III

5.25 उपनिदेशक III निम्नलिखित मामलों की देखरेख करता है : अध्यापक यूनिटों, मध्य दिवसीय भोजन, आश्रम स्कूल, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण, निःशुल्क वर्दी, उपकरण, प्राथमिक स्कूलों का साज सामान और शिक्षण सहायता सामग्री।

उप निदेशक IV

5.26 उपनिदेशक IV स्बोर्डिनेट एजुकेशन सर्विस के सदस्यों और मंत्रालय के स्टाफ की सेवा-शर्तों से संबंधित मामले।

उपनिदेशक V

5.27 उपनिदेशक V निम्नलिखित मामलों की देखभाल करता है : स्कूलों की योजना, भवन निर्माण और मरम्मत, सेवा व्यवस्था तथा विभाग में इंजीनियरिंग सेल से संबंधित अन्य कार्य, भूमि प्राप्ति, स्कूल सम्पत्ति, बेसिक स्कूल अध्यापकों की सेवा स्थितियां, अध्यापक संघ, प्रशासनिक संरचना को दृढ़ करने की योजना, लेखा परीक्षा प्रगति रिपोर्ट, भूतपूर्व कार्यकारी सचिव के रूप में बेसिक शिक्षा बोर्ड का प्रबंध।

प्रारंभिक शिक्षा के प्रशासन के संबंध में विविध स्तरों पर होने वाली चर्चाओं में उभर कर आने वाले एक मत

5.28 साक्षात्कारों और चर्चाओं के दौरान यह अनुभव किया गया कि अधिकारियों में शक्तियों के राष्ट्रीय प्रत्यायोजन की तत्कालिक आवश्यकता है। इस संबंध में अभिव्यक्त किए गए मत इस प्रकार हैं :

— सेवा शर्तों के मामलों और मुख्य मदों को छोड़ कर प्राथमिक शिक्षा निदेशक के अधिकार और कार्य निदेशालय के उपनिदेशकों को दिए जा सकते हैं।

— विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों में रक्षोपाय को ध्यान रखते हुए नियुक्तियों और स्थानांतरणों के सबंध में पर्याप्त अधिकार क्षेत्रीय अधिकारियों को दिए जा सकते हैं।

— नीचे दिए गए कार्यक्रमों के प्रभावी नियोजन के लिए और कार्यपाल के पर्याप्त अधिकारों सहित एक संयुक्त निदेशक की नियुक्ति का पर्याप्त औचित्य था :

— (1) भवनों और अध्यापकों के लिए क्वार्टरों का निर्माण और उनकी मरम्मत;

— (2) अनौपचारिक शिक्षा;

— (3) मध्य दिवसीय भोजन; तथा

— (4) निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का विवरण और निःशुल्क वर्दी।

5.29 यह सूचित किया गया कि भारत सरकार ने संयुक्त निदेशक के पद का व्यय उठाना मंजूर किया है। इससे आगे, स्कूलों के राष्ट्रीयकरण और प्रारंभिक शिक्षा के सर्वव्यापकता के कारण कार्य के बढ़ते हुए भार को बांटने के लिए संयुक्त निदेशक के दो अतिरिक्त पद उत्पन्न करने का सुझाव भी दिया गया है।

5.30 निदेशक के कुछ अधिकारों को क्षेत्र में तथा मुख्यालय में उप निदेशकों और संयुक्त निदेशक को दिए जाने के कारण वह अपना अधिक समय शैक्षिक कार्य, क्षेत्रीय निरीक्षणों, सम्पर्कों, मॉनिटरिंग और समीक्षाओं को दे सकेगा। इस बात पर मत्यैक था कि प्राथमिक शिक्षा का निदेशक प्रारंभिक शिक्षा से लेकर कक्षा आठ तक की सभी कक्षाओं, जिसमें 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे आते हैं, का पूर्ण प्रभारी अधिकारी होना चाहिए, चाहे कक्षायें कहीं भी मिला दी गई हों। प्राथमिक शिक्षा के निदेशक

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No........................

के पद को प्रारंभिक शिक्षा के निदेशक का नाम दिया जाना चाहिए।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एस सी इ आर टी)

5.31 वर्तमान में एक अनुसंधान और प्रशिक्षण निदेशक है जो प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा प्रारंभिक शिक्षा, विज्ञान शिक्षा, इंग्लिश और दृश्य-श्रव्य संस्थानों में प्रशिक्षण और अनुसंधान की व्यवस्था करने वाले साधनों का प्रभारी अधिकारी होता है। राज्य में अपर लोक शिक्षा निदेशक के स्तर के एक निदेशक समेत राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई है। यह परिषद वर्तमान समय में अलग अलग कार्य कर रहे बिभिन्न संस्थानों की प्रभावी और समन्वित प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए एक छत्र के अंतर्गत लाने का कार्य करेगी। यदि परिषद् का निदेशक विभाग के प्रधान की प्रस्थिति का आनन्द उठाते हुए स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है, तो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए कार्यक्रम प्रभावी रूप से क्रियान्वित किए जा सकते हैं।

5.32 नई पाठ्यचर्या में सामाजिक रूप से उत्पादनशील कार्य प्रारंभ करने के दृष्टिकोण से राज्य में बेसिक शिक्षा बोर्ड को कारगर बनाया जा सकता था जिससे यह नए संदर्भ में अपनी पूरी भूमिका निभा सके।

5.33 प्रारंभिक शिक्षा की सर्वव्यापकता के लिए उचित परिवेश उत्पन्न करने के लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशालग और राज्य शिक्षा संस्थान (एस सी इ आर टी) के संयुक्त उद्यम से विविध स्तरों पर अभिविन्यास संगोष्ठियां आयोजित करने के सुझाव दिए गए। इन संगोष्ठियों में अध्यापकों द्वारा भाग लिए जाने पर भी जोर दिया गया।

5.34 शिक्षा विभाग के एक संयुक्त एकक के रूप में कार्य करने पर भी चर्चा की गई। इस बात पर मतैव्य था कि कार्यक्रमों की कुशलता और त्वरित कार्यान्वियन की दृष्टि से विभाग का एक एकक के रूप में कार्य करना उपयोगी है। तथापि कुछ का विचार था कि इसके अन्य पक्ष भी हैं। एकक विभाग का प्रधान तकनीक तंत्री होने के बजाय भारतीय प्रशासनिक वासे (आइ ए एस) से लिया जाने वाला सरकारी होने के कारण इसमें तदर्थ निर्णय लिए जाने की सामान्य प्रवृत्ति की संभावना हो सकती थी। यह विचार भी अभिव्यक्त किया गया कि इस प्रकार के कार्य व्यवस्था में निदेशक कम प्रभावी हो सकता है। तथापि कुछ लोगों ने यह अनुभव किया कि वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत विकास से संबंधित शैक्षिक और अन्य मामलों में निदेशक द्वारा प्रत्यक्ष और प्रभावशाली रूप सें भाग लेने पर कोई रोक नहीं है।

अन्य विभागों सें समन्वय

5.35 इस बात पर बल दिया गया कि 15-35 वर्ष की आयु के निरक्षर लोगों की शिक्षा से मुख्य रूप से संबंधित प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय तथा 6-14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा से सबंधित प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, दोनों ही जो शिक्षा के औपचारिक और अनौपचारिक मार्ग हैं, के क्रियाकलापों का प्रभावी रूप से समन्वय किये जाने की तत्काल आवश्यकता है। ग्राम और ब्लाक स्तरों पर समन्वय द्वारा उपकरण, भवनों और मानवीय संसाधनों के संदर्भ में आधारित संरचनाओं का अधिकतम उपयोग करने तक पहुँचा जा सकता है।

5.36 जहां तक कल्याण विभाग से समन्वय का संबंध है इसका अन्य स्वास्थ्य विभागों से, विशेष रूप से बच्चे के स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम के संबंध में, सक्रिय सहयोग करने का अत्यधिक क्षेत्र है क्योंकि राज्य कल्याण विभाग आदिवासी क्षेत्र में 40 आवासीय स्कूल, हरिजन क्षेत्र में 30 स्कूल और पिछड़े हुए क्षेत्रों में दो, एक बेगुसरा और दूसरा पालमाऊ जिले में, चल रहा है। कुछ लोगों का मत था कि इन आवासीय स्कूलों का प्रबंध और पर्यवेक्षण शिक्षा विभाग को सौंप दिये जाने की संभावना है जो संदिग्ध विषय हो सकता था।

5.37 बच्चों के सुपर्यवेक्षित जनगणना कार्यक्रम को सर्वोच्च अग्रता प्रदान करने की तथा स्कूल समूह पद्धति के प्रथम स्तर के रूप में सभी प्राथमिक स्कूलों की समीपस्थ माध्यमिक स्कूल से मिला देने की आवश्यकता थी।

5.38 प्राथमिक और प्रशिक्षण स्कूलों के लिए संशोधित तथा संवर्धित मुद्रित निरीक्षण फार्मों को स्कूलों और निरीक्षण-अधिकारियों के बीच वितरित करने की आवश्यकता की तीव्र इच्छा प्रकट की गई।

5.39 यह भी सुझाव दिया गया कि जिला अधिकारियों को प्रत्येक स्कूल के निर्देश (चिह्न) आंकड़ों सहित सभी प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों की अद्यतन सूचियां तैयार करनी चाहिए जो निदेशालय में रिकार्ड और तत्काल संदर्भ के लिए उपलब्ध करवायी जानी चाहिए।

5.40 स्कूलों और अध्यापकों को भौतिक सुविधायें उपलब्ध करवाने और नामांकन तथा बच्चों को स्कूल में बनाए रखने पर

प्रोत्साहनों के प्रभाव सहित सर्वव्यापकता की समस्याओं का निकट से अध्ययन करने के लिए कुछ चुने हुए क्षेत्रों में मार्गदर्शी परियोजनाओं के प्रारम्भ करने का सुझाव भी दिया गया। इससे रुकावटों को जानने और समस्याओं के प्रभावी समाधानों का का पता लगाने में सहायता प्राप्त होगी।

5.41 अध्यापकों और निरीक्षण अधिकारियों के कार्यों का मूल्यांकन करने की एक वस्तुनिष्ठ कसौटी बनाने और उन्हें अच्छे काम के लिए पुरस्कार देने की आवश्यकता थी।

5.42 प्रत्येक जिले में ब्लाक के अनुसार बीच में पढ़ाई छोड़ जाने वाले और स्कूल न जाने वाले बच्चों के मूल्यांकन की भी आवश्कता थी जिससे राज्य में संतुलित विकास लाने के लिए प्रोत्साहनों, भौतिक सुविधाओं और गुणता संवर्धन कार्यक्रम के प्रशासन की व्यवस्था अधिक निर्णायक ढंग से की जा सके।

5.43 सचिवालय में सांख्यिकी एकक, योजना सैल और बजट अनुभाग को सुदृढ़ तथा कारगर बनाने का सुझाव दिया गया। यह अनुभव किया गया कि सांख्यिकी एकक जो आजकल अधिकांशत: केन्द्रीय सरकार को सांख्यिकीय आंकड़े तथा नियमित विवरण भेजता है उसे कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन, मॉनिटरिंग तथा नियोजन के लिए शिक्षा विभाग द्वारा समय समय पर मांगे गए आंकड़ों को एकत्रित, संकलित तथा उनका मूल्यांकन करना चाहिए। इस एकक के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए सांख्यिकी अधिकारी के पद और अन्य कनिष्ठ पदों को उच्च-स्तरीय बनाने की आवश्यकता थी। योजना एकक जो अत्यधिक उपयोगी कार्य कर रहा था, उसमें भी कनिष्ठ योजना अधिकारियों के पदों को उच्च स्तरीय बनाने और टाइपिस्ट सहित अन्य पदों की उत्पत्ति की भी आवश्यकता थी। बजट अनुभाग को भी सुदृढ़ और कारगर बनाने की भी आवश्यकता थी जिससे विकासात्मक कार्यक्रम और योजनाओं में नियोजित और अनियोजित संस्थानों के उचित और प्रभावी समन्वय द्वारा सामंजस्य स्थापित किया जा सके।

5.44 जिला शिक्षा अधीक्षकों के कार्यालय में वित्तीय खाता लेन देन के अत्यधिक बढ़ने और अध्यापकों तथा स्कूलों की संख्या में विशाल वृद्धि होने के कारण समस्याओं के बढ़ने की दृष्टि से उपमंडलीय स्तर पर इन कार्यालयों का विकेन्द्रीकरण करने की तत्काल आवश्यकता अनुभव की गई। प्रत्येक जिले में केवल प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक जिला शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति भी अनिवार्य समझी गई।

5.45 यह आवश्यक समझा गया कि चौथे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के कुछ पदों को बनाए रखना चाहिए जिससे शैक्षिक सर्वेक्षण से संबंधित रिकार्ड का रखरखाव एक स्थायी गुण बन जाए। सर्वेक्षण के आंकड़ों पर आधारित सर्वव्यापकता के कार्यक्रम के नियोजन और मॉनिटरिंग में सहायक ब्लाक स्तर के आंकड़ों के रखरखाव के कार्य का भार भी इस संक्षेप सर्वेक्षण सैल को दिया जा सकता था।

अध्याय 6

सिफारिशें

6.01 इस अध्ययन की अवधि में उभरकर आने वाले निष्कर्षों के आधार पर सर्वव्यापकता के कार्यक्रम के संबंध में बिहार राज्य में विविध स्तरों पर प्रारंभिक शिक्षा के प्रशासन की वर्तमान व्यवस्था को सुदृढ़ करने, उसकी प्रक्रियाओं और पद्धतियों को सुप्रवाही बनाने के लिए निम्नलिखित सिफारिशें की गईं।

6.02 प्रचलित पद्धति के अनुसार 6-14 वर्ष के आयुवर्ग के बच्चों की वार्षिक गणना की गई। यह सुझाव दिया गया कि जनगणना पांच वर्ष में एक बार होनी चाहिए और उसमें 18 वर्ष तक के सब बच्चे सम्मिलित किए जाने चाहिएँ। इस उद्देश्य के लिए 1960 में बनाए गए प्रपत्र का उपयोग किया जा सकता है।

6.03 ऐसे कई दृष्टांत सामने आए कि एक वासस्थान एक से अधिक स्कूलों की जनगणना के लिए नियत किया गया। यह निश्चित किया जाना चाहिए कि इस संबंध में कोई भी दोहराव नहीं होना चाहिए और एक वासस्थान केवल एक ही स्कूल के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

6.04 पहला काम ग्रामों को स्कूलों से संबद्ध करना है। इसके पश्चात् उचित विस्तार कार्य जिसमें माता-पिता के साथ निकट के संपर्क स्थापित करना तथा उनको अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करना सम्मिलित है, के लिए प्रत्येक ग्राम एक अथवा अधिक अध्यापकों के सुपुर्द किया जाना चाहिए। इस प्रकार का परिवेश बनाना चाहिए कि बदले में ये माता-पिता अपने पड़ोसियों को अपने बच्चे स्कूल भेजने के लिए राजी कर सकें और नामांकित बच्चों को स्कूल में बने रहने में सहायता कर सकें।

6.05 इससे अनुपस्थित बच्चों की तत्कालिक जांच निश्चित ही की जा सकेगी और अध्यापक के लिए बच्चे के स्कूल में न आने के कारण को जानना सरल हो जाएगा। उत्तम उपस्थिति के लिए संबंधित कक्षा को प्रति मास एक ध्वज प्रदान किया जाना चाहिए और सर्वोच्च नामांकन के लिए 'तोला'। इससे बच्चों को अत्यधिक प्रेरणा प्राप्त होगी।

6.06 अनुपस्थिति की स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए स्कूलों में साप्ताहिक स्टाफ बैठकें नियमित रूप की जानी चाहिएँ।

6.07 जहां ग्राम में एक अनौपचारिक शिक्षा केंद्र हो वहां स्कूल न जाने वाले बच्चों को, जो आठ वर्ष के हो चुके हों, नियमित स्कूल में दाखिल न करके केंद्र में दाखिल कर दिया जाना चाहिए।

6.08 प्रत्येक स्कूल के लिए बनाई गई सतर्कता तथा विकास समिति द्वारा समय समय पर स्कूल न जाने वाले और नामांकित बच्चों की स्थिति की समीक्षा की जा सकती है और उनके स्कूल आने को सुनिश्चित करने के लिए प्रयत्न किए जा सकते हैं। ये समितियां अनेक अन्य काम भी कर सकती हैं जिनकी सूची नीचे दी गई है :

ग्राम स्कूल समिति की भूमिका और सर्वव्यापकता की परिकल्पना के संबंध में :

6.09 प्रत्येक प्राथमिक स्कूल के निश्चित रूप से प्रदत्त ग्राम और वासस्थान है जो उसके भरण ग्राम हैं।

— प्रत्येक परिवार और ग्राम के संबंध में स्कूल अध्यापकों द्वारा बच्चों की गणना यथार्थ रूप से की गई है जिससे स्कूल न जाने वाले लड़के/लड़कियों को पहचानने में सहायता प्राप्त हो सके।

6.10 नामांकन के उद्देश्य के लिए नीचे दिए गए मदों पर सूचना प्राप्त की गई :

(क) स्कूल की वर्तमान कुल उपस्थिति कितनी है ? क्या यह अध्यापक-छात्र अनुपात 1:50 (अथवा कम से कम 1:40) के अनुसार है और यदि यह इससे कम है तो क्या भरण ग्रामों में भी स्कूल जाने वाली आयु के बच्चे हैं जो किसी स्कूल में नहीं जाते ?

(ख) यदि स्कूल का अधिकतम उपयोग किए जाना है तो स्कूल में ही ग्रेड अनुभाग खोलने की अथवा एक नए प्राथमिक स्कूल खोलने की आवश्यकता का मूल्यांकन किया जा सकता है।

6.11 स्कूल न जाने वाले बच्चों के रिकार्ड रखने के लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछे जा सकते हैं :

(क) क्या छात्राओं की उपस्थिति नियमित रूप से चिह्नित की जाती है ?

(ख) क्या उपस्थिति का दैनिक संक्षेप रखा जाता है ?

(ग) क्या कक्षा अध्यापक/अध्यापिका सप्ताह में लगातार अनुपस्थित रहने का पुनरावलोकन करता/करती है ?

(घ) क्या प्रधान अध्यापक के पास उन बच्चों के बारे में सूचना होती है जो लगातार एक सप्ताह या उससे अधिक अनुपस्थित रहते हैं।

(ङ) लगातार अनुपस्थित रहने वालों में से कौन से छात्र अनौपचारिक शिक्षा की ओर मोड़ दिए जाते हैं।

6.12 स्कूल द्वारा जनगणना किए जाने पर निम्नलिखित की पहचान की गई :

(क) जो बच्चे स्कूल में नहीं हैं (वर्तमान में 9-14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे जो कभी स्कूल गए ही नहीं)।

(ख) यदि कोई स्कूल गया भी था, तब उसने कब स्कूल छोड़ा और किस कक्षा में ?

ग्राम स्कूल समिति के लिए जांच सूची

6.13 एक ग्रामीण स्कूल का निम्नलिखित मामलों का नियमित रूप से पुनरावलोकन करना चाहिए :

(क) कुल नामांकित बच्चे, उनकी स्कूल में लगातार उपस्थिति तथा पढ़ाई में प्रगति।

(ख) दत्त कार्यों और मार्गनिर्देशन से संबंधित स्थिति।

(ग) वे छात्र जो पिछले एक अथवा दो महीनों से अधिकतर अनुपस्थित रहते हैं और उनके अनुपस्थित रहने के कारण।

(घ) क्या प्रोत्साहन बच्चों को अभिप्रेरित करते हैं और उन्हें स्कूलों में नियमित रूप से उपस्थित रहने में सहायता करते हैं।

(ङ) अनामांकित बच्चों में से वे बच्चे जो माता-पिता से बार बार सम्पर्क किए जाने पर सरलता से स्कूल में लाए जा सकते हैं।

(च) ग्राम-समिति के सदस्य समूह बनाने के विषय में आपस में तय कर सकते हैं और प्रत्येक समूह एक या अधिक अध्यापकों के साथ नामांकन बढ़ाने और स्कूल में बच्चों को रखने के लिए ग्रामों में घूम सकते हैं।

(छ) समिति प्रत्येक वासस्थान के अनामांकित और स्कूल न जाने वाले बच्चों की जांच कर सकती हैं जो अनौपचारिक शिक्षा की ओर मोड़े जा सकते हैं।

(ज) समिति अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के लिए अध्यापकों और स्थान का चुनाव कर सकती है।

(झ) प्रोत्साहनों जैसे कापी, पेंसिल, वर्दी और कल्याण विभाग की छात्रवृत्तियों के जरूरतमंद तथा अधिकारी छात्रों के विषय में निर्णय लेने में सहायता कर सकती है।

(ट) समिति ग्रामीणों के सहयोग से खेलों और खेलकूदों के प्रदर्शन की व्यवस्था में सहायता कर सकती हैं।

(ठ) समिति ग्राम के कलाकारों के सहयोग से तीन महीने में एक बार सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन में सहायता कर सकती है।

(ड) यदि मध्य दिवसीय भोजन दिए जाने की व्यवस्था है तो समिति आकस्मिक रूप से इसके वितरण की जांच कर सकती है।

(ढ) समिति स्कूल पुस्तकालय के निर्माण में सहायता कर सकती है और स्टाफ पर इस बात का प्रभाव डाल सकती है कि स्कूल-पुस्तकालय और कक्षा पुस्तकालयों का उपयोग किया जाए।

(ण) समिति लड़कियों के नामांकन और उन्हें स्कूल में बनाए रखने में विशेष रुचि ले सकती है।

(त) समिति वर्ष में एक बार स्कूल दिवस और पुरस्कार वितरण के आयोजन में सहायता कर सकती है।

(थ) समिति को इस बात की जांच करनी चाहिए कि दैनिक समाचार और अन्य आवधिक पत्रिकायें पढ़ी जाती हैं अथवा नहीं।

(द) समिति को नीचे दी गई वस्तुओं के लिए संसाधनों को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए :

—ब्लैकबोर्ड, अध्यापन सामग्रियों और समाचार-पत्रों की व्यवस्था;

—स्कूल को सजाना;

—बैठने की उचित और सस्ती व्यवस्था;

—माता-पिता और अध्यापकों की बैठक बुलाना जहाँ पिता और माता दोनों ही निमंत्रित हों।

(ध) ब्लाक शिक्षा अधिकारी को समिति की बैठक में नियमित रूप से भाग लेना चाहिए और उस पर इस बात का ज़ोर डालना चाहिए कि उसके द्वारा ऊपर दिए गए मदों की नियमित रूप से जांच की जाए और स्कूलों में रुचि ली जाए।

(न) समिति के निर्णयों का कार्यान्वयन किया जाना चाहिए और समिति की अगली बैठकों में अनुवर्ती उपाय किये जाने चाहिएँ।

पंचायत स्तर और ब्लाक स्तर समितियाँ

6.14 प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक ग्रामीण पंचायत शिक्षा समिति होनी चाहिए। इसी प्रकार ब्लाक स्तर पर एक ब्लाक शिक्षा समिति होनी चाहिए। इन समितियों में नियम लागू करके उन्हें प्रभावी बनाया जा सकता है जहाँ अतिरिक्त नामांकन तथा स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति और स्कूल विकास कार्यक्रम के मामलों में उन्हें अधिकारों का बल प्राप्त हो।

प्रशासनिक दृढ़ता और पुनर्गठन

6.15 प्रशासन के वर्तमान गठन में सिफारिशें इस प्रकार हैं :

(1) प्रत्येक जिले को प्रारंभिक शिक्षा की देखभाल करने, उसके प्रशासन और मॉनिटरिंग के लिए एक अधिकारी (जिला शिक्षा अधिकारी के स्तर का) के अधीन रखा जाना चाहिए। इसमें सहायक स्टाफ सहित 31 पदों की उत्पत्ति की अपेक्षा होगी।

(2) सहायक स्टाफ के साथ जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय उपमंडलीय स्तर पर विकेन्द्रित किए जा सकते हैं। इस प्रकार की एक योजना शिक्षा विभाग द्वारा तैयार की गई है तथा वार्षिक योजना में इसकी व्यवस्था की गई है। यह योजना स्वीकृति प्राप्त करने के लिए भेजी गयी है।

(3) उचित पर्यवेक्षण और निरीक्षण करने तथा अपने क्षेत्रों में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की देखभाल करने के लिए प्रति ब्लाक विस्तार शिक्षा अधिकारी 60 स्कूलों के वर्तमान मानक को कम किया जा सकता है। यहाँ यह बताया जा सकता है कि 30 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के लिए एक पूर्णकालिक अधीक्षक की व्यवस्था है। प्रति ब्लाक विस्तार शिक्षा अधिकारी 50 स्कूलों के आधार पर 1,500 ब्लाक विस्तार शिक्षा अधिकारियों अथवा 1,400 ऐसे ही अधिकारियों की आवश्यकता है जिसमें से वर्तमान में केवल 872 अधिकारी ही हैं। इस प्रकार 528 अतिरिक्त ब्लाक विस्तार शिक्षा अधिकारियों की आवश्यकता है।

(4) मुख्यालय में सहायक स्टाफ सहित संयुक्त निदेशकों के दो पद उत्पन्न किए जा सकते हैं।

6.16 वैकल्पिक रूप से नीचे दी हुई सिफारिशें प्रस्तुत की गई :

(1) राज्य के तीन जिलों में प्रयोग के रूप में स्कूल समूह पद्धति प्रशासन और पर्यवेक्षण की एक एकीकृत पद्धति के रूप में पूरे राज्य तक विस्तृत की जा सकती है।

(2) इस पद्धति को अपनाने से पहले पर्याप्त समय तक प्रयोग किए जाने चाहिए जिससे यह पता चल सके कि यह पद्धति राज्य में वर्तमान प्रशासन पद्धति से अच्छी सिद्ध हो सकती है।

अन्य सिफारिशें

6.17 हम ईश्वर भाई जे० पटेल समिति में अभिव्यक्त किए गये विचारों से पूर्णतः सहमत हैं जिन्हें नीचे दोहराया गया है :

यह निश्चित किया जाना चाहिए कि शिक्षा के 10 वर्षीय पैटर्न में कक्षा 1 से 7/8 के लिए सर्वव्यापक प्रारंभिक अथवा प्राथमिक शिक्षा की वरीयता की उपेक्षा नहीं की जा सकती क्योंकि 7/8 वर्षीय प्राथमिक शिक्षा 80 प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए एक स्वतःपूर्ण समेकित अवस्था है। विद्यार्थियों के इस विशाल समूह की आवश्यकताएँ, अपेक्षाएँ और वास्तविकताएँ माध्यमिक शिक्षा की आवश्यकताओं के अधीन और उनसे कम नहीं समझी जानी चाहिए। यहाँ पर माध्यमिक स्कूलों को उच्च स्कूलों से संलग्न करने का प्रस्ताव चुनौतीपूर्ण है। तथापि यदि यह बात कार्यसाधकता के रूप में की जाती है तो इसे पड़ोसी स्कूल के पैटर्न पर किया जाना चाहिए और स्कूल का यह भाग प्राथमिक शिक्षा निदेशक के प्रशासनिक नियंत्रण में होना चाहिए।

परिशिष्ट I

उपयोजना-क्षेत्रों में जनजातीय जनसंख्या का जिलानुसार विवरण

जिला	जनसंख्या लाखों में (1971) कुल	जनगणना जनजातीय
पलामाउ (उपयोजना भाग)	3.32	1.63
रांची	26.11	15.17
संथाल परगना	21.11	9.82
सिंहभूम	24.38	11.24
	74.92	37.86
बिहार राज्य में कुल	563.53	49.33

परिशिष्ट II

पिछले पांच वर्षों में वार्षिक अतिरिक्त नामांकन की समीक्षा

(लाखों में)

आयु वर्ग		1973-74	1977-78	1978-79 प्रत्याशित	1979-80 प्रत्याशित
6-11	लड़के	33.72	43.50	44.00	44.43
	लड़कियां	11.96	19.90	21.00	23.41
	कुल	45.68	63.40	65.00	67.84
11-14	लड़के	8.13	9.00	10.30	11.81
	लड़कियां	1.96	2.27	2.23	3.96
	कुल	10.09	11.27	13.53	15.77
6-14	कुल	55.77	74.67	78.53	83.61
नामांकन में वृद्धि					
आयुवर्ग 6-11		—	17.72	1.60	2.84
11-14		—	1.18	2.26	2·24
नामांकन में वृद्धि की वार्षिक दर			4.72	3.86	5.08

परिशिष्ट III

नामांकन के आधार पर जिलों का कोटिक्रम

जिला	6-11 वर्ष के आयुवर्ग में नामांकन का प्रतिशत
1	2
1. धनबाद	110.21
2. पटना	100.00
3. सिंहभूम	95.50
4. गया	75.17
5. रांची	73.11
6. नालंदा	73.19
7. भोजपुर	68.17
8. भागलपुर	66.43
9. गिरिड	65.55
10. हजारी बाग	64.04
11. वैशाली	63.03
12. रोहतास	62.74
13. मौंघर	62.65
14. सारन	62.63
15. बेगुसराय	59.20
16. दरभंगा	59.10
17. संथाल परगना	57.56
18. कठियार	55.65
19. गोपालगंज	53.84
20. मुजफ्फरपुर	53.21
21. पूर्वी चंपारन	53.21
22. सीवन	51.64
23. समस्तीपुर	50.48
24. मधुबनी	49.26
25. पूरनिया	49.26
26. सहारा	48.03
27. औरंगाबाद	47.24
28. पालमू	47.07
29. सीतामरही	43.20
30. नवद	36.91
31. पश्चिमी चम्पारन	35.88

परिशिष्ट IV

अध्ययन में प्रयुक्त उपकरण

(क) 1. ग्राम सूचिकायें
2. समुदाय द्वारा भाग लिए जाने संबंधी सूचना
3. छात्रावासों का प्रबंध
4. प्रोत्साहनों की व्यवस्था और प्रशासन

(ख) 1. ब्लाक सूचना (सामान्य सूचना)
2. ब्लाक शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त सूचना
3. पंचायत समितियां

(ग) 1. जिला शिक्षा अधिकारी
2. जिला परिषद्

(घ) क्षेत्रीय व्यवस्था

(ङ) मुख्यालय में व्यवस्था

परिशिष्ट V(i)

नमूना स्कूलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बच्चों की जनसंख्या और नामांकन

जिला/ ब्लाक पंचायत	स्कूल	निम्न आयु वर्गों में अनुसूचित जातियों की संख्या				निम्न आयु वर्गों में अनुसूचित जातियों का नामांकन				प्रतिशत	निम्न वर्गों में जनसंख्या				निम्न आयु वर्गों में अनुसूचित जनजातियों का नामांकन				प्रतिशत
		6-11		11-14		6-11		11-14		6-11	6-11		11-14		6-11		11-14		6-14
		लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
माध्यमिक स्कूल																			
रांची																			
नमकुम																			
टेकरी	माध्यमिक स्कूल टेकरी	25	24	30	17	5	5	17	2	30	57	63	43	64	6	6	32	28	32
मरहू																			
मरहू	बेसिक स्कूल मरहू	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	10	9	5	16	13	4	2	55
	माध्यमिक स्कूल जान एम मरहू	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	27	13	23	32	21	3	2	60
	माध्यमिक स्कूल मैरी बी०एम०एस० मरहू	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170	—	32	—	131	—	20	76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
सिंहभूम																			
बंदगांव																			
बंदगांव	माध्यमिक स्कूल बंदगाँव	10	6	4	2	5	4	—	—	41	40	43	27	12	13	2	—	—	12
	माध्यमिक स्कूल टोकड	3	1	1	—	2	—	—	—	60	29	11	29	12	13	2	1	22	47
ग्रौतर	माध्यमिक स्कूल ग्रौतर	1	—	1	—	—	—	—	—	—	47	27	28	21	30	14	12	10	56
हैसादीह	माध्यमिक स्कूल सोगरा	2	—	1	—	—	—	—	—	—	47	49	27	25	28	—	20	—	32
संथाल परगना																			
जामा																			
लक्ष्मीपुर	माध्यमिक स्कूल बाघदोपा	3	2	—	—	3	2	—	—	100	6	3	—	—	—	3	—	—	100
	माध्यमिक स्कूल लक्ष्मीपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	23	7	2	12	10	—	—	35
	माध्यमिक स्कूल पंचरुखी	7	3	—	—	2	3	—	—	50	34	29	7	5	20	6	2	—	37
सारथ																			
खैरबानी	माध्यमिक स्कूल नौनी	9	15	5	3	7	2	5	—	44	25	10	—	—	12	7	—	—	42
	माध्यमिक स्कूल दिगही	3	5	1	1	—	—	—	—	—	29	14	—	—	24	1	—	—	58
पश्चिमी चंपारन																			
गौनाह																			
गौनाह	माध्यमिक स्कूल गौनाह	15	10	3	2	11	6	—	—	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	माध्यमिक स्कूल (लड़कियां) गौनाह	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
सिमरीधुमरी	माध्यमिक स्कूल सिमरीधुमरी	26	10	8	3	14	1	—	—	32	51	38	20	7	33	14	8	3	50
नौतन																			
शिम्रोराजपुर	माध्यमिक स्कूल शिम्रोराजपुर	76	54	15	7	17	—	5	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—
पूरनिया																			
कल्यानंदनगर																			
कजाह	माध्यमिक स्कूल कजाह	60	20	6	5	43	12	—	—	56	42	23	11	9	18	—	8	—	30
	माध्यमिक स्कूल अमचुरा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
नालंदा																			
गिरिएक																			
पुरी	माध्यमिक स्कूल पुरी	4	—	3	—	3	—	—	—	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—
बलारी	माध्यमिक स्कूल गंगापुर पलटपुर	60	41	10	11	21	—	3	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
(ख) बहुविद्यालय प्राथमिक स्कूल																			
रांची																			
नमकुम																			
तुपुदाना	एल० एस० आर० के० एम० दुमरी	8	9	9	8	7	1	—	—	24	38	15	—	—	17	8	—	—	47
मरहू																			
मरहू	प्राथमिक स्कूल सोमरबाजार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	प्राथमिक स्कूल दुमरी	9	6	—	—	2	1	—	—	20	35	30	15	18	19	14	6	6	45
	प्राथमिक स्कूल गौंडा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	16	16	9	9	9	12	1	46
सिंहभूम																			
बंदगांव																			
हैसादीह	प्राथमिक स्कूल चम्पारन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	35	22	9	22	8	15	4	48
संथाल परगना																			
जामा																			
जामा	प्राथमिक स्कूल सिलंदा	—	2	—	2	—	—	—	—	100	49	31	5	7	38	16	—	—	59
अपरसेतु	प्राथमिक स्कूल फिलोपानी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92	49	12	2	76	19	—	—	61
लक्ष्मीपुर	प्राथमिक स्कूल अजोध्या	17	6	—	—	2	—	—	—	9	52	40	20	10	39	12	—	—	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	प्राथमिक स्कूल कदेला	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	100
सारथ																			
खैरबानी	प्राथमिक स्कूल पालमा	5	2	1	—	3	2	1	—	75	72	44	16	5	31	7	—	—	28
गोपीबंध	प्राथमिक स्कूल कोंछबोंग	19	16	4	—	2	2	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	प्राथमिक स्कूल गोपीबंध	7	5	2	—	1	—	—	—	7	4	6	—	—	1	2	—	—	30
	प्राथमिक स्कूल बौरवा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53	42	29	9	45	20	—	—	49
	प्राथमिक स्कूल जमुआसोल	3	3	1	2	2	1	—	—	67	76	46	18	14	32	10	—	—	27
सबाइजोर	प्राथमिक स्कूल मातरिया	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
पश्चिमी चम्पारन **गौनहा**																			
बेलवा	प्राथमिक स्कूल बेलवाबाजार	44	33	15	11	25	16	4	2	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	प्राथमिक स्कूल (कन्यायें) बेलवाबाजार	14	10	5	4	12	1	3	—	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	प्राथमिक स्कूल माधोपुरबेग्ररी	8	3	—	—	6	3	—	—	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	प्राथमिक स्कूल माधोपुरमौसा	33	29	10	9	28	20	7	5	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—
गौनहा	प्राथमिक स्कूल रूपौलिया	21	12	7	3	20	--	5	—	59	15	11	7	—	12	4	—	—	48
	प्राथमिक स्कूल पिपरिया	23	21	—	—	13	2	—	—	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—
सिमरीघुमरी	प्राथमिक स्कूल सरफोखा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
नौतन																			
मनुग्राहन	प्राथमिक स्कूल मधुग्राहन	50	25	24	6	27	10	8	4	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	प्राथमिक स्कूल मधुग्राहनपुरवी सिहुलिया	18	10	—	—	8	1	—	—	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	प्राथमिक स्कूल परसउनी	15	20	5	2	10	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—
पूरनिया																			
	कृत्यानंदनगर																		
कजाह	प्राथमिक स्कूल कजाहकोठ हटबारी	61	45	28	15	58	37	17	7	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—
बेलारिकाबगंज	प्राथमिक स्कूल बाघमेर	21	7	4	2	6	1	—	—	21	48	33	—	—	1	—	—	—	1
	प्राथमिक स्कूल बेलारिकाबगंज	45	15	—	—	28	1	—	—	48	15	12	16	4	6	—	8	—	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	प्राथमिक स्कूल बेगमपुरखाना	10	9	—	—	7	1	—	—	42	19	17	—	—	2	—	1	1	8
नालंदा																			
गिरिएक																			
पुरी	प्राथमिक स्कूल पुरी	68	61	25	20	7	6	4	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	प्राथमिक स्कूल पोखरपुर	57	48	23	17	18	2	1	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—
बेलारी	प्राथमिक स्कूल कमलबीघा	75	43	32	16	23	3	6	1	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(ग) दो अध्यापक प्राथमिक स्कूल																			
रांची																			
नामकुम																			
टेटारी	प्राथमिक स्कूल पलान्दु	10	6	—	—	4	2	—	—	37	67	61	—	—	40	24	—	—	50
कोछबोंग	प्राथमिक स्कूल कोछबोंग	3	1	—	—	3	1	—	—	100	47	31	—	—	18	16	—	—	44
	प्राथमिक स्कूल खरसीदाग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	11	—	—	12	1	—	—	52
टुपुदाना	प्राथमिक स्कूल टुपुदाना	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54	30	—	—	21	10	—	—	37
	प्राथमिक स्कूल सतरंगी	1	—	—	—	1	—	—	—	100	49	22	—	—	32	15	—	—	66
	प्राथमिक स्कूल डुमरी	5	7	—	—	5	5	—	—	83	17	10	—	—	15	9	—	—	89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	प्राथमिक स्कूल बयामुसुर	12	5	—	—	5	3	—	—	47	37	33	—	—	27	14	—	—	58
मरहू																			
मरहू	प्राथमिक स्कूल गोराटोली	12	7	—	—	9	4	—	—	68	56	35	21	19	53	27	12	6	75
गुटुहातू	प्राथमिक स्कूल गुटुहातू	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108	83	54	41	30	14	6	2	18
जलासार	प्राथमिक स्कूल करान्ला	2	5	—	—	1	1	—	—	29	28	27	15	18	21	23	—	—	33
सिंहभूम																			
बंदगाँव																			
बंदगाँव	प्राथमिक स्कूल लुम्बा	5	3	2	—	2	2	—	—	40	54	60	48	33	25	10	21	5	32
श्रोतर	प्राथमिक स्कूल सोमरोन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	6	4	4	7	5	3	—	65
संथाल परगना																			
जामा																			
	प्राथमिक स्कूल गुनचकवा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46	31	18	11	45	24	—	—	65
जामा	प्राथमिक स्कूल सगनीबाद	3	1	3	—	2	1	—	—	57	29	27	9	3	20	19	8	3	73
	प्राथमिक स्कूल डेलकुपी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42	25	10	10	24	17	—	—	47
	प्राथमिक स्कूल मोहुलबाना	1	1	—	—	1	1	—	—	100	68	31	1	2	42	10	—	—	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	प्राथमिक स्कूल रागनी	2	3	—	—	2	—	—	—	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	प्राथमिक स्कूल घोरीबाद	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	28	15	13	23	13	6	3	50
	प्राथमिक स्कूल सेजाकोरा	4	8	—	—	1	—	—	—	6	2	3	—	—	2	1	—	—	50
अपरसेतुआ	प्राथमिक स्कूल जमुगुरी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	9	—	—	5	6	—	—	69
	प्राथमिक स्कूल मंझिया-इन्दीह	7	4	—	—	—	—	—	—	—	32	13	2	1	14	3	—	—	35
लक्ष्मीपुर	प्राथमिक स्कूल मोराबादर	18	13	—	—	11	5	—	—	52	32	31	—	—	27	10	—	—	59
	प्राथमिक स्कूल कुरुमतंड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
सारथ																			
खैरबानी	प्राथमिक स्कूल खैरबानी	3	2	—	0	3	—	—	—	67	38	23	23	14	25	4	—	—	30
	प्राथमिक स्कूल चुरुली	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44	25	2	3	34	15	—	—	66
गोपीबंध	प्राथमिक स्कूल पिंडेरीकाप्सा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
सबाइजोर	प्राथमिक स्कूल झिलुआ	5	5	1	—	—	—	—	—	27	42	25	—	—	24	2	—	—	39
पश्चिमी चंपारन																			
गौनाह																			
गौनाह	प्राथमिक स्कूल मंगुराहा	30	18	9	7	25	5	5	1	56	23	21	11	6	14	2	2	—	29

1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	प्राथमिक स्कूल परसा	27	20	10	6	10	3	1	—	22	5	4	—	—	1	—	—	—	11
सिमरीघुमरी	प्राथमिक स्कूल पिरहरी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	17	11	17	10	10	9	7	63
नौतन																			
शिम्रोराजपुर	प्राथमिक स्कूल शिम्रोराजपुर हरिजनटोला	53	40	—	—	38	25	—	—	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—
पूरनिया																			
कल्यानंदनगर																			
कजाह	प्राथमिक स्कूल भिनियापति	35	23	6	5	8	1	1	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	प्राथमिक स्कूल हरिपुरमशु	25	15	16	5	14	10	11	3	65	2	1	—	—	2	1	—	—	100
	प्राथमिक स्कूल मनरिहितोल	2	1	—	—	2	1	—	—	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—
बेलारिकाबगंज	प्राथमिक स्कूल जोकाजलमेर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	45	—	—	29	8	—	—	35
	प्राथमिक स्कूल भुमनीस्तमबाजार	18	16	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	प्राथमिक स्कूल मिराजपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	8	16	6	26	7	2	—	60
नालंदा																			
गिरिएक																			
पुरी	प्राथमिक स्कूल दौलाचक	31	23	12	9	16	4	1	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
बेलारी	प्राथमिक स्कूल कतरोर	4	4	1	1	3	3	1	—	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—
रांची																			
नानकुम																			
ततरी	प्राथमिक स्कूल सरबाल	10	3	—	—	4	—	—	—	31	30	27	—	—	21	2	—	—	60
कोछबोंग	प्राथमिक स्कूल मंगुबंध	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
तुपुदाना	प्राथमिक स्कूल सोरहा	22	24	—	—	8	4	—	—	29	55	24	—	—	20	4	—	—	—
	प्राथमिक स्कूल खादोनिया	8	4	—	—	2	1	—	—	25	28	26	5	1	12	1	—	—	24
मरहू																			
गुटुहाटू	प्राथमिक स्कूल गुटुहाटू	15	19	—	—	3	6	—	—	26	35	23	25	22	20	4	—	—	23
जलासार	प्राथमिक स्कूल सौकाई	5	7	—	—	4	2	—	—	50	49	28	22	22	14	1	—	—	12
सिंहभूम																			
बंदगांव																			
बंदगांव	प्राथमिक स्कूल बारी	2	3	—	—	1	2	—	—	60	42	34	26	21	25	12	8	4	40
	प्राथमिक स्कूल तिमदा	1	2	1	—	1	1	—	—	50	17	9	6	4	7	4	1	—	33
	प्राथमिक स्कूल किता	1	1	—	—	1	—	—	—	50	13	3	5	6	7	—	2	3	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ग्रौतर	प्राथमिक स्कूल जौना	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80	68	30	8	22	—	11	—	18
	प्राथमिक स्कूल घोघरा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	8	2	3	13	3	—	—	53
हैसादीह	प्राथमिक स्कूल हैसादीह	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	22	8	3	14	4	5	—	43
	प्राथमिक स्कूल ग्रंगारिमा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	26	4	1	10	3	4	—	37
	प्राथमिक स्कूल जाराकला	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	7	17	8	8	1	5	—	31
	प्राथमिक स्कूल कुंडुगुटु	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	18	27	15	7	9	10	—	37
	प्राथमिक स्कूल बिरदा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	10	15	8	9	2	5	1	34
संथाल परगना																			
सारठ																			
जामा																			
जामा	प्राथमिक स्कूल कँदुग्रा बहिया	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	16	3	2	12	7	—	—	48
खैरपानी	प्राथमिक स्कूल हरिरखा	1	1	—	—	1	—	—	—	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—
गोपीबंध	प्राथमिक स्कूल लोधरा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	15	8	13	20	13	—	—	52
सलोग्राएजोर	प्राथमिक स्कूल कुम्हारबंधी	18	9	2	3	4	2	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	प्राथमिक स्कूल तुखजोर	23	20	2	—	11	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—
पश्चिमी चंपारण																			
बौनहा																			
बैरया	प्राथमिक स्कूल मझौवासरवा	13	10	3	1	10	8	—	—	—	—	66	—	—	—	—	—	—	—
बौनहा	प्राथमिक स्कूल हरकेतवा	6	4	—	—	1	—	—	—	10	34	11	19	10	17	—	3	—	28
बेमरीदुमरी	प्राथमिक स्कूल बारावबारा	37	26	10	8	3	1	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
पूर्णिया																			
कृत्यानन्दनगर																			
बेलारिकाबगंज	प्राथमिक स्कूल मूभा	27	11	—	—	13	2	—	—	39	6	2	5	1	1	—	—	—	7
नालंदा																			
गिरिएक																			
बेलारी	प्राथमिक स्कूल ताराबीघा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	प्राथमिक स्कूल सैदपुर	11	9	4	3	9	4	—	—	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट V (ii)

सभी समुदायों के संबंध में नमूना ब्लाकों तथा जिलों में सर्वव्यापकता में ग्राम पंचायत के अनुसार निष्पत्ति

जिला/ब्लाक पंचायत	जनसंख्या नामांकन प्रतिशत	आयुवर्ग 8—11 लड़के	लड़कियाँ	कुल	11—14 लड़के	लड़कियाँ	कुल	6—14 लड़के	लड़कियाँ	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
रांची (जिला)										
नमकुम (ब्लाक)										
ढेकरी	जनसंख्या	199	184	383	73	81	154	272	265	537
	नामांकित	91	47	138	32	28	60	123	75	198
	प्रतिशत	46	25	36	44	35	39	45	28	37
कोछबैंग	जनसंख्या	64	43	107	—	—	—	64	43	107
	नामांकित	33	18	51	—	—	—	33	18	51
	प्रतिशत	52	42	48	—	—	—	52	42	48
तुपुदाना	जनसंख्या	463	302	765	28	15	43	491	317	808
	नामांकित	258	100	358	12	5	17	270	105	375
	प्रतिशत	56	36	47	43	33	39	55	33	46
मरडू (ब्लाक)										
मरडू	जनसंख्या	382	518	900	163	206	369	545	724	1269
	नामांकित	294	333	627	78	84	162	372	417	789
	प्रतिशत	77	64	70	48	41	44	68	57	62
घुंदुहारू	जनसंख्या	167	138	305	90	73	163	257	211	468
	नामांकिन	59	26	85	—	—	—	59	26	85
	प्रतिशत	35	19	28	—	—	—	23	12	18
जलसार	जनसंख्या	84	67	151	37	40	77	121	107	228
	नामांकित	40	17	57	—	—	—	40	17	57
	प्रतिशत	48	25	38	—	—	—	33	16	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सिंहभूम (जिला)										
बंदगांव (ब्लाक)										
बंदगांव	जनसंख्या	217	176	393	144	90	234	361	266	627
	नामांकित	102	40	142	77	19	96	179	59	238
	प्रतिशत	47	23	36	53	21	41	49	22	38
ईसादीह	जनसंख्या	158	167	325	121	69	190	279	236	515
	नामांकित	100	27	127	65	5	70	165	32	197
	प्रतिशत	63	16	39	54	7	37	59	14	38
श्रोतर	जनसंख्या	216	146	362	95	53	148	311	199	510
	नामांकित	143	33	176	53	16	69	196	49	245
	प्रतिशत	66	23	49	56	30	47	63	25	48
संथाल परगना (जिला)										
जामा ब्लाक										
जामा	जनसंख्या	687	512	199	234	161	395	921	673	1594
	नामांकित	513	241	754	90	36	126	603	277	880
	प्रतिशत	74	47	63	38	32	32	65	41	55
अपरसेतु	जनसंख्या	312	205	517	66	37	103	378	242	620
	नामांकित	258	65	323	40	4	44	298	69	367
	प्रतिशत	83	32	62	61	1	31	79	29	59
लक्ष्मीपुर	जनसंख्या	560	371	931	170	130	300	730	501	1239
	नामांकित	433	139	572	77	24	101	510	163	673
	प्रतिशत	77	37	61	45	18	34	70	32	55
सारथ (ब्लाक)										
गोपीबंध	जनसंख्या	385	251	536	179	117	296	564	368	932
	नामांकित	329	93	422	—	—	—	329	93	422
	प्रतिशत	85	37	66	—	—	—	58	25	45
सवाएजोर	जनसंख्या	226	146	372	27	18	45	253	164	417
	नामांकित	195	62	257	—	—	—	195	62	257
	प्रतिशत	86	42	79	—	—	—	77	38	62
खैरबानी	जनसंख्या	427	314	741	121	73	194	548	387	935
	नामांकित	370	118	488	29	18	47	399	186	535
	प्रतिशत	87	38	66	24	25	24	73	35	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
पश्चिमी चम्पारन (जिला)										
नौतन (ब्लाक)										
शिश्रोराजपुर	जनसंख्या	688	479	1167	285	111	396	973	590	1563
	नामांकित	315	94	409	34	6	40	349	100	449
	प्रतिशत	46	19	35	12	5	13	36	17	29
मरूहा	जनसंख्या	257	151	408	91	31	122	348	182	530
	नामांकित	95	20	115	52	7	59	147	27	174
	प्रतिशत	37	13	28	57	23	48	42	15	33
गौनहा (ब्लाक)										
बेलवा	जनसंख्या	488	371	859	218	193	411	706	564	1290
	नामांकित	346	351	497	60	32	90	406	183	589
	प्रतिशत	71	41	58	28	17	22	57	32	46
समरीधुमरी	जनसंख्या	171	164	335	154	215	269	325	279	604
	नामांकित	110	44	154	48	29	77	158	73	231
	प्रतिशत	64	27	46	31	25	29	49	26	38
गौनहा	जनसंख्या	465	283	748	207	89	296	672	372	1044
	नामांकित	246	53	299	71	17	88	317	70	387
	प्रतिशत	53	19	40	34	19	30	32	19	37
पूरनिया जिला										
कृत्यानंदनगर (ब्लाक)										
कजाह	जनसंख्या	597	378	975	246	124	370	843	502	1345
	नामांकित	425	177	602	104	40	144	529	217	746
	प्रतिशत	71	44	60	42	32	39	63	42	55
बेलारिकाबगंज	जनसंख्या	485	332	817	201	70	279	686	410	1096
	नामांकित	377	159	536	28	5	33	405	164	569
	प्रतिशत	78	48	66	14	6	12	59	40	52
नालंदा (जिला)										
गिरिएक (ब्लाक)										
पुरी	जनसंख्या	430	328	758	232	161	393	662	489	1151
	नामांकित	325	160	485	128	33	161	453	193	646
	प्रतिशत	75	49	64	55	20	41	68	39	56
बेलारी	जनसंख्या	544	393	937	276	198	474	820	591	1411
	नामांकित	328	133	461	97	22	119	425	155	580
	प्रतिशत	60	34	49	35	11	25	52	26	41

1978 के आंकड़ों पर आधारित कक्षा 1 की संख्या से आगे कक्षा 2 और अन्य उच्च कक्षाओं में उपस्थिति में कमी

जिला ब्लाक	स्कूल	उपस्थिति	श्रेणी 1	श्रेणी 2	श्रेणी 3	श्रेणी 4	श्रेणी 5
1	2	3	4	5	6	7	8
(क) माध्यमिक स्कूल							
रांची							
मरहू	बेसिक स्कूल	लड़के	43	17	23	—	—
	मरहू	लड़कियां	21	9	4	—	—
		कुल	64	26	27	—	—
	माध्यमिक स्कूल	लड़के	39	41	39	—	—
	जौन	लड़कियां	—	—	—	—	—
		कुल	39	41	39	—	—
सिंहभूम	माध्यमिक स्कूल	लड़के	33	13	16	—	—
बंदगांव	बंदगांव	लड़कियां	10	3	2	—	—
		कुल	43	16	18	—	—
संथाला परगना	माध्यमिक स्कूल	लड़के	27	7	16		
जामा	जामा	लड़कियां	8	2	—		
		कुल	35	9	16	—	—
	माध्यमिक स्कूल	लड़के	41	32	33	—	—
	बाघहोप	लड़कियां	20	9	6	—	—
		कुल	61	41	39	—	—
	माध्यमिक स्कूल	लड़के	31	10	12	—	—
	लक्ष्मीपुर	लड़कियां	16	3	4	—	—
		कुल	47	13	16	—	—
	माध्यमिक स्कूल	लड़के	51	34	8	—	—
	पंचरूखी	लड़कियां	22	2	1	—	—
		कुल	73	36	9	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
पश्चिमी चम्पारन	माध्यमिक स्कूल	लड़के	35	19	13	12	20
गौहना	गौहना	लड़कियाँ	10	11	1	4	1
		कुल	45	30	14	16	21
	माध्यमिक स्कूल	लड़के	33	11	11	—	—
	गौहना (लड़कियाँ)	लड़कियाँ	14	2	0	—	—
		कुल	47	13	11	—	—
	माध्यमिक स्कूल	लड़के	39	16	11	13	31
	सेमरी	लड़कियाँ	9	4	1	1	1
		कुल	48	20	12	14	32
पुरनिया	माध्यमिक स्कूल	लड़के	98	39	52	—	—
कृत्यानंदनगर	ग्रमचूरा	लड़कियाँ	24	9	2	—	—
		कुल	122	48	54	—	—
नालंदा	माध्यमिक स्कूल	लड़के	40	34	36	—	—
गिरिएक	गंगापुर	लड़कियाँ	12	16	15	—	—
	पालतपुर	कुल	52	50	51	—	—
बहु-ग्रध्यापक प्राथमिक स्कूल							
रांची	प्राथमिक स्कूल	लड़के	6	10	4	—	—
मरहू	ऊर्दू	लड़कियाँ	15	4	6	—	—
		कुल	21	14	10	—	—
	प्राथमिक स्कूल	लड़के	20	5	3	—	—
	(दूदरी)	लड़कियाँ	12	6	—	—	—
		कुल	32	11	3	—	—
सिंहभूम	प्राथमिक स्कूल	लड़के	62	13	—	—	—
बंदगांव	चम्पारन	लड़कियाँ	14	—	—	—	—
		कुल	76	13	—	—	—
संथाल परगना	प्राथमिक स्कूल	लड़के	28	18	25	—	—
जामा	सिलंदा	लड़कियाँ	23	10	5	—	—
		कुल	51	28	30	—	—
	प्राथमिक स्कूल	लड़के	24	12	11	—	—
	ग्रपरसेतु	लड़कियाँ	8	6	5	—	—
		कुल	32	18	16	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
	प्राथमिक स्कूल	लड़के	21	14	7	—	—
	अंगोआ	लड़कियाँ	6	2	1	—	—
		कुल	27	16	8	—	—
	प्राथमिक स्कूल	लड़के	38	8	5	—	—
	कदेजा	लड़कियाँ	20	4	2	—	—
		कुल	58	12	7	—	—
पश्चिमी चम्पारन	प्राथमिक स्कूल	लड़के	26	29	6	13	—
गौनहा	बेलवा बाजार	लड़कियाँ	10	9	1	5	—
		कुल	36	38	7	18	—
	प्राथमिक स्कूल	लड़के	39	20	12	—	—
	बेलवा	लड़कियाँ	12	3	2	—	—
		कुल	51	23	14	—	—
	प्राथमिक स्कूल	लड़के	18	11	11	—	—
	माधोपुर बाजार	लड़कियाँ	10	1	2	—	—
		कुल	28	12	13	—	—
	प्राथमिक स्कूल	लड़के	18	20	16	10	—
	माधोपुर मौजा	लड़कियाँ	4	6	4	3	—
		कुल	22	26	20	13	—
	प्राथमिक स्कूल	लड़के	13	5	4	5	—
	रुपौली	लड़कियाँ	1	3	—	—	—
		कुल	14	8	4	5	—
नौतन	प्राथमिक स्कूल	लड़के	18	10	4	—	—
	मरुहा	लड़कियाँ	8	2	3	—	—
		कुल	26	12	7	—	—
पूरनिया	कजहाकोथ	लड़के	46	6	6	—	—
कृत्यानंदनगर		लड़कियाँ	28	5	3	—	—
		कुल	74	11	9	—	—
	प्राथमिक स्कूल	लड़के	17	14	6	—	—
	वागमेरा	लड़कियाँ	9	8	3	—	—
		कुल	26	22	9	—	—
	बेलारिकाबगंज	लड़के	28	20	16	—	—
		लड़कियाँ	25	9	5	—	—
		कुल	53	29	21	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
नालंदा	प्राथमिक स्कूल	लड़के	26	17	18	—	—
गिरिएक	पुरी	लड़कियाँ	16	10	11	—	—
		कुल	42	27	29	—	—
	प्राथमिक स्कूल	लड़के	28	26	23	—	—
	पोखरपुर	लड़कियाँ	20	13	9	—	—
		कुल	48	39	32	—	—
	प्राथमिक स्कूल	लड़के	44	18	19	—	—
	कामीबांधा	लड़कियाँ	20	14	10	—	—
		कुल	64	32	29	—	—
दो अध्यापक स्कूल							
पश्चिमी चम्पारन	मांगुराह	लड़के	33	13	2	1	—
गौनहा		लड़कियाँ	5	—	3	—	—
		कुल	38	13	5	1	—
	परसा	लड़के	37	18	15	—	—
		लड़कियाँ	3	—	—	—	—
		कुल	40	18	15	—	—
	पीहारी	लड़के	7	4	5	—	—
		लड़कियाँ	11	3	1	—	—
		कुल	18	7	6	—	—
नालंदा	धौलचक	लड़के	25	11	14	—	—
गिरिएक		लड़कियाँ	15	8	5	—	—
		कुल	40	19	19	—	—
	कातरपुर	लड़के	24	19	8	—	—
		लड़कियाँ	18	1	5	—	—
		कुल	42	20	13	—	—
संथाल परगना	प्राथमिक स्कूल	लड़के	33	7	10	—	—
जामा	गुनछुआ	लड़कियाँ	9	5	—	—	—
		कुल	42	12	10	—	—
	प्राथमिक स्कूल	लड़के	16	6	5	—	—
	सुगनीवाद	लड़कियाँ	16	2	3	—	—
		कुल	32	8	8	—	—
	प्राथमिक स्कूल	लड़के	15	4	3	—	—
	बेलकपी	लड़कियाँ	12	—	—	—	—
		कुल	27	4	3	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
	प्राथमिक स्कूल	लड़के	20	2	4	—	—
	मोहलबना	लड़कियाँ	6	2	—	—	—
		कुल	26	4	4	—	—
	प्राथमिक स्कूल	लड़के	21	14	12	—	—
	रागनी	लड़कियाँ	9	16	4	—	—
		कुल	30	30	16	—	—
	प्राथमिक स्कूल	लड़के	11	6	5	—	—
	घोरीबाद	लड़कियाँ	10	5	3	—	—
		कुल	21	11	8	—	—
	प्राथमिक स्कूल	लड़के	5	6	8	—	—
	रोजाकोरा	लड़कियाँ	6	4	4	—	—
		कुल	11	10	12	—	—
	प्राथमिक स्कूल	लड़के	14	5	4	—	—
	जरातिकार	लड़कियाँ	11	—	1	—	—
		कुल	25	5	5	—	—
	प्राथमिक स्कूल	लड़के	33	—	—	—	—
	जमूगुरी	लड़कियाँ	—	—	—	—	—
		कुल	33	—	—	—	—
पूरनिया	प्राथमिक स्कूल	लड़के	31	12	4	—	—
कल्यानंदनगर	पुरमुशोरी	लड़कियाँ	20	10	1	—	—
		कुल	51	22	5	—	—
	प्राथमिक स्कूल	लड़के	24	6	4	—	—
	मेघीतोल	लड़कियाँ	14	3	1	—	—
		कुल	38	9	5	—	—
	प्राथमिक स्कूल	लड़के	23	13	8	—	—
	जौलाजलमेर	लड़कियाँ	1	3	1	—	—
		कुल	24	16	9	—	—
	प्राथमिक स्कूल	लड़के	21	14	11	—	—
	चूनीइस्मबरार	लड़कियाँ	7	6	9	—	—
		कुल	28	20	20	—	—
	प्राथमिक स्कूल	लड़के	11	13	12	—	—
	मिराजपुर	लड़कियाँ	6	8	6	—	—
		कुल	17	21	18	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
एक अध्यापक स्कूल							
सिंहभूम							
बंदगांव	प्राथमिक स्कूल	लड़के	8	1	1	—	—
	कोटा	लड़कियाँ	6	2	—	—	—
		कुल	14	3	1	—	—
	प्राथमिक स्कूल	लड़के	20	5	3	—	—
	विरदा	लड़कियाँ	6	—	—	—	—
		कुल	26	5	3	—	—
संथाल परगना	प्राथमिक स्कूल	लड़के	14	3	4	—	—
जामा	केंदुआबहीर	लड़कियाँ	9	1	—	—	—
		कुल	23	4	4	—	—
	प्राथमिक स्कूल	लड़के	11	1	2	1	—
	हरखेतवा	लड़कियाँ	1	—	—	—	—
		कुल	12	1	2	1	—
	प्राथमिक स्कूल	लड़के	5	7	3	1	—
	अजेसरवा	लड़कियाँ	5	4	1	—	—
		कुल	10	11	4	1	—
	प्राथमिक स्कूल	लड़के	4	4	2	—	—
	तारा बसवारिया	लड़कियाँ	2	1	1	—	—
		कुल	6	5	3	—	—
पूरनिया	प्राथमिक स्कूल	लड़के	3	6	7	—	—
कृत्यानंदनगर	भूताह	लड़कियाँ	2	13	4	—	—
		कुल	5	19	11	—	—
नालंदा	प्राथमिक स्कूल	लड़के	17	9	7	—	—
	तारा बीघा	लड़कियाँ	7	2	1	—	—
		कुल	24	11	8	—	—
	प्राथमिक स्कूल	लड़के	13	7	4	—	—
	सैदपुर	लड़कियाँ	12	3	3	—	—
		कुल	25	10	7	—	—

पिछले पांच वर्षों में नमूना स्कूलों में और उपस्थिति में वृद्धि/कमी

जिला ब्लाक पंचायत	स्कूल	मास वर्ष	रोल	उपस्थिति	प्रतिशत	मास वर्ष	रोल	उपस्थिति	प्रतिशत	मास वर्ष	रोल	उपस्थिति	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
(क) माध्यमिक स्कूल													
रांची													
मरहू													
मरहू	प्राथमिक स्कूल मरहू सेंट जॉन	अगस्त 73	163	95	58.2	जुलाई 77	142	104	73.9	—	—	—	—
	माध्यमिक स्कूल मरहू सेंट मैरी	जनवरी 75	252	213	84.5	नवंबर 77	297	231	77.7	मार्च 79	309	262	84.7
	माध्यमिक स्कूल (लड़कियां) मरहू	नवंबर 75	271	256	94.4	नवंबर 77	250	221	88.4	फरवरी 78	304	270	88.8
संथाल परगना													
जामा													
जामा	माध्यमिक स्कूल जामा	नवंबर 74	79	38	—	अगस्त 75	94	37	—	फरवरी 76	90	64	
			—	—	—	—	—	—	—	अप्रैल 79	72	34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
पूरनिया													
कृत्यानंदनगर													
कजाह	माध्यमिक स्कूल अमचुरा	मई 73	351	301	84.3	मई 75	386	302	78.2	दिसंबर 78	372	282	75
नालंदा													
गिरिएक													
पुरी	माध्यमिक स्कूल पुरी	अप्रैल 69	2[illegible]4	266	78.8	दिसंबर 73	273	194	71.06				
(ख) बहु अध्यापक स्कूल													
सिंहभूम													
बंदगांव													
हैसादीह	प्राथमिक स्कूल चंपारन	मई 75	106	56	53.0	नवंबर 78	89	53	60				
पश्चिमी चंपारन													
गौनहा													
बेलवा	प्राथमिक स्कूल बेलवाबाजार	सितंबर 74	71	29	40.8	अगस्त 75	79	60	76.07	सितंबर 79	142	106	74.5
	प्राथमिक स्कूल (लड़कियां) बेलवाबाजार	अगस्त 75	98	58	59.1	सितंबर 77	76	51	67.1	मई 79	139	102	73.3
गौनहा	प्राथमिक स्कूल पिपरिया	अगस्त 74	28	19	67.8	जनवरी 75	27	24	88.8	जुलाई 77	40	36	90.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
नौतन													
शिग्रोराजपुर	प्राथमिक स्कूल शिग्रोराजपुर	जुलाई 74	98	74	75.5	सितंबर 75	109	42	38.5	मार्च 78	118	65	55
मारुहन	प्राथमिक स्कूल मारुहन	जनवरी 76	63	44	69.8	अगस्त 77	84	60	71.4	अगस्त 79	73	59	88.8
पूरनिया													
कृत्यानंदनगर													
कजाह	माडल कजाहकोठी हटबारी	अगस्त 75	113	98	84.07	अप्रैल 77	141	93	65.9	—	—	—	—
नालंदा													
गिरिएक													
पुरी	प्राथमिक स्कूल पोखरपुर	जून 76	137	119	87.00	सितंबर 77	134	103	80.0	अगस्त 79	178	157	88
संथाल परगना													
सारथ													
खरबानी	प्राथमिक स्कूल छुरुलिया	फरवरी 72	58	30	52	अक्तूबर 76	52	5	10.00	अगस्त 78	57	11	20
सिंहभूम													
बंदगांव													
हैसादीह	प्राथमिक स्कूल अंगारिया	जुलाई 75	29	13	45	नवंबर 78	51	48	94.0	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
संथाल परगना													
जामा													
जामा	प्राथमिक स्कूल केंदुआ भैया	मार्च 78	31	22	71	नवंबर 79	34	17	55.0	—	—	—	—
	प्राथमिक स्कूल हरिरखा	फरवरी 72	27	11	40.7	अगस्त 78	35	9	26.6	—	—	—	—
सबाइजोर	प्राथमिक स्कूल कुम्हारबंध	नवंबर 75	30	27	90	नवंबर 78	49	40	81.0	—	—	—	—

ऊपर दी गई सूचना निरीक्षण टिप्पणी पर आधारित है।

शैक्षिक पैटर्न में संरचनात्मक परिवर्तन के कारण प्रारंभिक स्कूलों में बीच में पढ़ाई छोड़ जाने वाले बच्चे

दल/प्रथम श्रेणी में दाखिले का वर्ष	वर्ष में उप-स्थिति	श्रेणी 4 उपस्थिति		वर्ष में उप-स्थिति	श्रेणी 5 उप-स्थिति	बीच में पढ़ाई छोड़ जाने वालों कीसंख्या	पिछले वर्षों की उपस्थिति से चली आ रही प्रतिशत	वर्ष में उप-स्थिति	श्रेणी 6 उप-स्थिति	बीच में पढ़ाई छोड़ जाने वालों की संख्या	पिछले वर्ष की उप-स्थिति से चली आ रही प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1969	1972	लड़के	3.758	1973	3.396		90.37	1974	3.247		95.6
		लड़कियाँ	1.130		0.895		79.20		0.898		100.3
		कुल	4.888		4.291	.597	87.79		4.145	.146	96.60
1970	1973	लड़के	4.024	1974	3.531		87.75	1975	3.327		94.22
		लड़कियाँ	1.193		0 957		80.22	1.40			108.67
		कुल	5.217		4.488	.729	86.03		4.367	.121	97.30
1971	1974	लड़के	4.132	1975	3.652		88.38	1976	3.420		95 65
		लड़कियाँ	1.274		1.082		84.93		1.116		103.14
		कुल	5.406		4.734	.672	87.57		4.536	.198	95.82
1972	1975	लड़के	4.282	1976	3.824		89.30	1977	3.337		87.26
		लड़कियाँ	1.397		1.188		85.64		1.002		84.34
		कुल	5.679		5.012	.667	88.25		4.339	.673	86.34
1973	1976	लड़के	—	1977	3.899		—	1978	3.422		87.771
		लड़कियाँ	—		1.216	—	—		1.017		83.63
		कुल	—		5.115	—	—		4.439	.676	86.784
1974	1977	लड़के	6.467	1978	4.842		74.87				
		लड़कियाँ	2.190		1.520		69.41				
		कुल	8.657		6.361	2.295	73.49				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					श्रेणी 7 और 8						
1969	1974	लड़के	3.247	1975	2.841		87.50	1976	2.306		81.17
		लड़कियाँ	0.898		0.819		91.20		0.426		52.38
		कुल	4.145		3.660	.685	89.30		2.735	0.925	74.73
1970	1975	लड़के	3.327	1976	2.947		88.58	1977	2.004		68.00
		लड़कियाँ	1.040		0.891		85.67		0.348		39.06
		कुल	4.367		3.838	1.533	87.79		2.352	1.482	61.35
1971	1976	लड़के	3.420	1977	2.461		71.96	1978	2.055		83.58
		लड़कियाँ	1.116		0.516		46.24		0.383		74.22
		कुल	4.536		2.977	1.559	65.63		2.438	.539	81.89
1972	1977	लड़के	3.337	1978	2.518		75.46				
		लड़कियाँ	1.002		0.534		53.29				
		कुल	4.339		3.052	1.287	70.34				
1973	1978	लड़के	3.422								
		लड़कियाँ	1.017								
		कुल	4.439								

चौथे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार पहले से उपलब्ध विद्यालयी सुविधायें

	जनसंख्या के साथ वासस्थानों की संख्या				
मद	5000 और इससे ऊपर	2000 से 4,999	1000 से 1,999	500 से 999	400-499
1	2	3	4	5	6
राज्य में कुल वासस्थानों की संख्या	261	3,777	12,151	22,239	8,264
माध्यमिक स्कूलों वाले वासस्थान	222	2,016	2,963	2,160	1,300
एक किलोमीटर की दूरी के अंदर	+19=241	+625=2641	+2771=5754	+5315= 7475	1,300
माध्यमिक स्कूलों वाले वासस्थान, एक किलोमीटर की दूरी के अंदर कोई माध्यमिक स्कूल न होने वाले वासस्थान	20	1,136	6,417	14,764	6,964
प्राथमिक स्कूल वाले वासस्थान	260	3,662	11,289	17,738	5,159
1/2 किलोमीटर की दूरी के अंदर प्राथमिक स्कूल होने वाले वासस्थान	+1=261	+58=3720	+485=11,744	+2182=19,920	+140=6,566
1/2 किलोमीटर की दूरी के अंदर कोई प्राथमिक स्कूल न होने वाले वासस्थान	कोई नहीं	57	377	2,319	1,698
क्रिया मुद्दे					
माध्यमिक स्कूल खोलना/उच्च स्तरीय बनाना	20	1,136	6,417		
प्राथमिक स्कूल की व्यवस्था वर्तमान स्थित माध्यमिक स्कूल की वैधता का परीक्षण	—	57	377	2,319	1,698

परिशिष्ट X

मध्य अवधि योजना स्कीम1978-83—बिहार छठी पंचवर्षीय योजना

क्रम सं०	कार्यक्रम	1978-79 की प्रारूप योजना में प्रस्तावित राशि	किसी कार्यक्रम की प्रस्तावना में प्रतिबद्ध देय अंश	प्रतिबद्ध देय अंश के बिना न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम के लिए अपेक्षित राशि	कालम 4+5 का जोड़	टिप्पणी राज्य सरकार द्वारा प्रारूप मध्यावधि योजना 78-83 में मूल रूप से प्रस्तावित रूपरेखा	(संख्या लाखों में)
1	2	3	4	5	6	7	8
I सामान्य शिक्षा							
(क) प्रारंभिक शिक्षा							
1.	पूर्व प्राथमिक शिक्षा	—	—	31.00	31.00	100.00	
2.	पांच लाख जाब कार्यक्रम के अंतर्गत नियुक्त 10745 अध्यापकों की नियमित सेवा की विभाजित लागत	477.58	477.58	—	477.58	477.59	
3.	अध्यापकों का लगातार बने रहना तथा नियुक्ति						
	'क' पांचवीं योजना के दौरान 15715 अध्यापकों का लगातार बने रहना	676.29	676.29	—	676.29		
	'ख' 25 महिला अध्यापकों का लगातार बने रहना	0.99	0.99	—	0.99		

1	2	3	4	5	6	7	8
	'ग' अध्यापकों की नियुक्ति	—	2060.00	470.00	2530.00		अप्रैल 1979 की अवधि में 12,000 अध्यापक (8,000 दसवीं कक्षा पास, 2,000 अध्यापक इंटरमीडिएट पास और 2,000 अध्यापक स्नातक स्तर पास) नियुक्त किए गए। 3,000 अध्यापक (1,500 इंटरमीडिएट पास) तथा 1,500 स्नातक अध्यापक जनवरी 1981 में नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव है। जनवरी 82 में 2,500 अध्यापक और जनवरी 83 में इतनी ही संख्या में अध्यापक नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव है। गुणवत्ता संवर्धन के लिए यह एक अनिवार्य दिशा है।
4.	अनौपचारिक शिक्षा आयु समूह वर्ग 6-14	—	320.00	40.00	360.00	656.83	यह योजना 1979-80 के दौरान 80.00 लाख लागत पर स्वीकृत की गई है। यह कार्यक्रम अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत 7.15 लाख अतिरिक्त बच्चों के नामांकन के लिए अनिवार्य है।
5.	पाठ्य पुस्तकों का निःशुल्क वितरण	63.96 +11.00 (सी० ए०)	560.00	40.00	600.00	3455.00	प्रति बच्चा 10 रु० औसत दर
6.	स्कूल वर्दियों का निःशुल्क वितरण	8.00 +10.75 (सी० ए०)	95.00	55.00	150.00	2560.00	प्रति दो जोड़ों के लिए 50 रु० की दर से।
7.	उपस्थिति इनाम	—	—	10.00	10.00	150.00	—

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	लड़कियों के लिए विशेष योजनाएँ	20.00 +12.00 (सी० ए०)	32.00	318.00	350.00	950.00	इस कार्यक्रम में प्रति मकान 20,000 रु० की लागत पर अध्यापकों के लिए आवास निर्माण मिलेजुले माध्यमिक स्कूलों में प्रति 15,000 रु० लागत पर विश्राम कक्ष के साथ लगे स्नानगृह, प्राथमिक स्कूलों में 2,000 रु० प्रति दर लागत पर सफाई सुविधायें, ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों के चुने हुए माध्यमिक स्कूलों में 50,000 रु० प्रति दर की लागत से छात्रावास सुविधायें तथा लड़कियों के सरकारी माध्यमिक स्कूलों के भवनों का 4 लाख प्रति भवन की दर से निर्माण सम्मिलित है।
9.	अध्यापन साधनों का वितरण	14.53 +15.25 (सी० ए०)	29.58	750.42	780.00	2340.00	प्रति माध्यमिक स्कूल 5,000 रु० औसत लागत तथा प्रति प्राथमिक स्कूल 3000.00 औसत लागत।
10.	निर्माण और नवीकरण	186.15 +15.00 (सी० ए०)	250.00	750.00	1000.00	5360.00	प्रति कक्ष 10,000 रु० की औसत लागत पर निर्माण तथा प्रति स्कूल 6000.00 रु० की लागत से नवीकरण और विस्तार।
11.	आश्रम स्कूल	8.00 +15.00 (सी० ए०)	114.00	135.00	249.00	377.45	शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों में कम से कम 25 आश्रम स्कूलों की स्थापना प्रस्तावित है। प्रत्येक पर 1.50 लाख आवर्ती तथा 3 लाख अनावर्ती व्यय अनुमानित है। 1979-80 की अवधि में 10 स्कूलों की स्थापना की गई।

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादनशील कार्य	—	46.72	123.87	170.59	726.00	प्रारंभिक स्कूलों में कार्य/अनुभव कार्यक्रम अब अनिवार्य है। इस कार्यक्रम में चुने हुए माध्यमिक स्कूलों में 20,000.00 प्रति दर लागत पर कार्यशालाओं और कार्यगृहों का निर्माण, 1,500 प्रति दर की लागत से उपकरणों की व्यवस्था और प्रति माध्यमिक स्कूल 600 रु० कार्यशील पूंजी तथा प्रति प्राथमिक स्कूल 300 रु० कार्यशाल पूंजी की व्यवस्था की गई है।
13.	उत्तर प्रदेश छात्रवृत्तियाँ	9.41	50.67	—	50.67	61.26	पहले से चले आ रहे 2,880 उत्तर प्रदेश छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त 1980 से तीन वर्ष के लिए 3,522 प्राथमिक छात्रवृत्तियों को स्वीकृत करने का प्रस्ताव है।
14.	विज्ञान शिक्षा का विकास	—	—	50.00	50.00	180.00	प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में विज्ञान अध्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। इन स्कूलों में सरल वैज्ञानिक उपकरण उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव किया गया है।
15.	स्कूल प्रसारण और रेडियो सेट दिये जाने की व्यवस्था	—	1.50	8.50	10.00	200.00	—
16.	गति निर्धारण स्कूलों की स्थापना	—	—	28.00	28.00	150.00	चुने हुए माध्यमिक स्कूल माडल संस्थाओं के रूप में विकसित किए जाएंगे जो प्रभावी समुदाय केन्द्र का कार्य करेंगे।

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	शैक्षिक दौरे	—	1.00	8.00	9.00	5.00	—
18.	अभिभावक अध्यापक संघ	0.17	1.00	3.00	4.00	4.20	—
19.	अध्यापकों और अधीक्षकों के लिए राज्य-पुरस्कार	0.10	1.00	3.00	4.00	4.00	—
20.	अध्यापकों और अधीक्षकों की वार्षिक बैठक	—	—	4.00	4.00	7.20	—
21.	अपव्यय और गतिरोध के लिए मार्गदर्शी परियोजना	—	1.00	3.00	4.00	4.80	—
22.	प्रारम्भिक शिक्षा को प्रशासनिक सहायता	36.87	450 88	—	450.88	500.00	—
	कुल	+1581.05 79.00 (सी० ए०)	5169.21	2830.79	8000.00	21300.11	—

Sub. Natior -l Systems Unit,
N tional I ute of Educational
Pl nning Administration
... -110016
DOC. ....
Date..............................

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान

उद्देश्य

केंद्र और राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के वरिष्ठ शिक्षा अधिकारियों के लिए सेवापूर्व तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, बैठकों, संगोष्ठियों, और अल्पकालीन सूत्रों की व्यवस्था ;

अध्यापक शिक्षकों तथा शैक्षिक योजना और प्रबंध से संबंधित विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के प्रशासकों के लिए अभिविन्यास और प्रशिक्षण तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों की व्यवस्था ;

केंद्र और राज्य सरकारों के नीति निर्धारण स्तर पर शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में विधायकों सहित सर्वोच्च स्तरीय अधिकारियों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम तथा परिचर्चा समूहों की व्यवस्था ;

भारत के विभिन्न राज्यों और विश्व के अन्य देशों में नियोजन तकनीकों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं सहित शैक्षिक योजना और प्रशासन के विविध पक्षों में अनुसंधान करना, उसे सहायता प्रदान करना, उसका संवर्धन तथा समन्वय करना ;

शैक्षिक योजना और प्रशासन में लगे कार्मिकों और एजेन्सियों और संस्थाओं को शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करना ;

राज्य सरकारों और अन्य शैक्षिक संस्थाओं के अनुरोध पर परामर्शता सेवायें उपलब्ध करवाने की व्यवस्था ;

शैक्षिक योजना और प्रशासन संबंधी सेवायें तथा अन्य कार्यक्रमों में विचारों तथा अनुसंधान, प्रशिक्षण और विस्तार से संबंधित सूचना के प्रसार केंद्र के रूप में कार्य करना ;

इन उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए पत्र, आवधिक पत्रिकायें तथा पुस्तकें तैयार करना, मुद्रित तथा प्रकाशित करवाना और विशेष रूप से शैक्षिक योजना और प्रशासन में पत्रिका निकालना ;

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, प्रबंध और प्रशासन संस्थानों और भारत तथा विदेशों में इसी प्रकार की संस्थाओं सहित अन्य ऐजेन्सियों, संस्थाओं तथा संगठनों से सहयोग ;

राष्ट्रीय संस्थान के उद्देश्यों के विकास के लिए अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों तथा शैक्षिक पुरस्कारों की व्यवस्था ;

शैक्षिक योजना के क्षेत्र में श्रेष्ठ शिक्षाविदों को सम्मानीय अध्येतावृत्तियाँ दिए जाने के लिए व्यवस्था ;

अन्य देशों विशेष रूप से एशियाई क्षेत्र के देशों के अनुरोध पर शैक्षिक योजना और प्रशासन में प्रशिक्षण और अनुसंधान की सुविधायें और कार्यक्रमों में उनके साथ सहयोग।

महत्त्वपूर्ण प्रकाशन

ई० पी० ए० बुलेटिन (त्रैमासिक)

शैक्षिक नियोजन और प्रशासन पर राज्य संगोष्ठियों की रिपोर्ट : आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, केरल, कर्नाटक, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल (1969-71)।

जिला शिक्षा अधिकारियों की भूमिका, कार्यों, भर्ती और प्रशिक्षण पर राष्ट्रीय संगोष्ठी की रिपोर्ट (1970)।

जिला शिक्षा अधिकारियों के प्रशिक्षण पर अध्ययन समूह की रिपोर्ट (1972)।

शैक्षिक नियोजन और प्रशासन—शैक्षिक नियोजन और प्रबंध (1973) उच्च प्रशिक्षण संगोष्ठी की रिपोर्ट।

भारत में शैक्षिक नवाचार—कुछ प्रयोग (1976)।

पांचवी पंचवर्षीय योजना के विशेष संदर्भ में भारत में शिक्षा का प्रशासन और वित्तीयन। (1974) (संगोष्ठी पत्रों का संग्रह)।

एशियाई संस्थान द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा। (1962-1971) (1974)।

शैक्षिक अवसरों के बढ़ते हुए बाहुल्य और खोज—

यूनेस्को के सहयोग से राष्ट्रीय स्टाफ कालिज द्वारा जनसंख्या गति की ओर शिक्षा पर आयोजित विशेषज्ञों की राष्ट्रीय बैठक की रिपोर्ट (अक्टूबर 1974)।

सिक्किम में शैक्षिक अवसरों का विस्तार—श्री वेद प्रकाश द्वारा एक रिपोर्ट (अगस्त 1976)।

इ० पी० ए० को यूनेस्को के अंशदान पर कुछ यादृच्छिक विचार—डा० मैलकोम अदीसेशिहा (मार्च 1977)।

ग्रामीण विकास के लिए शिक्षा—दिसम्बर 1976 में राष्ट्रीय सेमीनार और सम्मेलन की रिपोर्ट (जुलाई 1977)।

मार्च 6-8-1976 में नए शैक्षिक पैटर्न पर हुए जिला शिक्षा अधिकारियों के सम्मेलन की रिपोर्ट (अगस्त 1977)।

भारत में स्थानीय सहायता का प्रबंध—एक केस अध्ययन (1978-अनुलेखित्र)।

भारत में यूनेस्को क्लोलों के कार्य का एक अध्ययन—(1979 अनुलेखित्र)

भारत में शैक्षिक प्रशासन के विषय में कुछ तथ्य (1979)।

जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षिक नियोजन की पुस्तिका—एम एम कपूर (1980 अनुलेखित्र)।

भारत में शैक्षिक विकास के संकेतक चुने हुए आंकड़े (1980 अनुलेखित्र)।

अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए शिक्षा : भारतीय अनुभव (यूनेस्को प्रायोजित परियोजना की एक रिपोर्ट) (1981)।

सभी राज्यों, केन्द्र शासित क्षेत्रों तथा भारत सरकार से संबंधित शैक्षिक प्रशासन पर सर्वेक्षण रिपोर्ट।

प्रारंभिक शिक्षा के प्रशासन पर रिपोर्ट—आंध्र प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश।

अजन्ता बुक बाइंडर्स एण्ड प्रिंटर्स, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-92 द्वारा मुद्रित।